मौलिकभारत

राष्ट्र के नवनिर्माण व व्यवस्था परिवर्तन हेतु एक अभियान/आन्दोलन

मौलिक भारत के सदस्यों के लिए
दस आवश्यक सुझाव

1. क्या अपने मौलिक भारत के 'नीति पत्र' को पूर्णत: समझ लिया है?
2. क्या आपने अपने मित्रों, परिचितों व प्रबुद्ध लोगों को इसके बारे में बताया है?
3. क्या आप अपनी संस्था, बेबसाईट, ई-मेल व फेसबुक व अन्य सामाजिक नेटर्वकिंग साईटों के माध्यम से 'मौलिक भारत' के बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है?
4. क्या आपने अपने जिले के जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध लोगों व प्रशासनिक अधिकारियों की सूची ;नाम, पता, ई-मेल व फोन आदि मुख्य कार्यालय को मेल करनी शुरू कर दी हैं?
5. क्या आपने कम से कम ग्यारह लोगों को 'मौलिक भारत' के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जोड़कर अपनी अपनी जिला समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है?
6. क्या आपने जन घोषणा पत्र व जन नेताओं के निर्माण के लिए जनसंसदों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी हैं?
7. क्या आपने 'मौलिक भारत' के 'नीति पत्र' के मुद्दों पर लेख लिखने, अखबारों को पत्र लिखने, आर टी आई डालने, पीआईएल डालने, विचार गोष्ठियों व सामूहिक वाद विवाद आयोजित करने प्रारम्भ कर दिये हैं तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में अपनी दखल बढ़ानी प्रारम्भ की दी है?
8. क्या आपकी प्रचार सामग्री में मौलिक भारत का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है?
9. क्या आपने अपने जन प्रतिनिधियों-पंचायत सदस्यों, ब्लाक समिति के सदस्यों, जिला पंचायत के सदस्यों, नगर पालिका के सदस्यों, विधान सभा, विधान परिषद व संसद सदस्यों की कार्य प्रणाली व क्षमताओं, उपलब्धियों व कमियों का आंकलन शुरू कर दिया है?
10. क्या आपने सभी सरकारी खर्चो की सोशल ऑडिटिंग हेतू जननिगरानी तंत्र के विकास व नये नेतृत्व के निर्माण हेतू - कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण शिविर लगाने की रणनीति बनानी शुरू कर दी हैं?

मौलिक भारत की ओर ...

अमेरिका में ओबामा पुनः चुनाव क्या जीते भारतीय राजनीतिज्ञों व सिविल सोसाइटी के लोगों के सांस में सांस आ गयी। यह दूसरी बात है कि ओबामा को जिताने की कोशिश में सोनिया मनमोहन की जोड़ी की गद्दी सरकती दिख रही है। भारत की राजनीति में यह तथ्य निर्विवाद रूप से माना जाता है कि वही पार्टी व नेता ही सत्तारूढ़ होते है जिन्हें अमेरिका-इंग्लैंड लॉबी का समर्थन मिलता है। मतलब जिस दल व नेता के समीकरण अमेरिका-यूरोप की कम्पनियों, लॉबिंग एजेंसियों , चर्च अर्तराष्ट्रीय फंडिग एजेंसियो व बड़ी एनजीओ के साथ ठीक ठाक होते हैं वहीं सत्तासीन हो पाता है। थोड़ा बहुत घूमफिर कर यही कहानी लगभग हर विकासशील देश में दोहराई जाती है।

पश्चिमी सैन्यबल, कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर एकाधिकार, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, तकनीक, प्रौद्योगिकी, अथाह धन व कुटिल व्यवसायिक बुद्धि ने ऐसा संजाल बुन रखा है कि तमाम राष्ट्रवाद व राष्ट्रहितों की बातें करने वाले दलों व उनके नेताओं को अन्दरखाने पश्चिमी देशों से तालमेल बैठाने ही पड़ते हैं। भारत की पुरातन व निरन्तरता लिए अपनी संस्कृति, जीवनशैली व विचारधारा है। अमूमन सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीति का तानाबाना इसी के इर्दगिर्द बुनते हैं किन्तु सत्ता में आने के बाद नीतियों में बड़ी बेईमानी की जाती है। जुबानें बदल जाती है, इरादे पलट जाते हैं। प्रत्येक भारतीय राजनेता जो केन्द्र की राजनीति करता है इसी दोहरे चेहरे व दोहरापव की राजनीति के बीच जीता है। विकास के नाम पर सबने शनैः शनैः देश की मूल संस्कृति, विचारधारा, व्यापार-उद्योगों, जीवन शैली, शिक्षा स्वास्थ्य पद्धति सबको नष्ट किया है। हम पर हमारे ही नेतृत्व ने पश्चिमी तकनीक के नाम पर पश्चिमी जीवन शैली को थोपा है। ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमने हर वह चीज आयात की जो हम स्वयं बना सकते थे। हमारे उद्योग धंधे मर गये। हमारे शिक्षा संस्थानों के पास सारे अनुसंधान व संसाधन आयतित है, सो वे भी कुछ नया नही कर सकते, अतः कबाड़ फैक्टरी में बदल गये। हमारी नयी पीढ़ी को न अंग्रेजी ढंग से आती है, न ही हिंदी। हमारी होनहार व एन्टरप्रेनर बन सकने वाली पीढ़ी दलाल, सट्टेबाज व व्यापारी बन चुकी है। वैज्ञानिक, श्रेष्ठ खिलाड़ी, अध्यापक, इंजीनियर, राजनेता अथवा कुछ भी विशिष्ट हमारे पास नहीं। हमारी नीतियां देश में बेरोजगारी पैदा कर रहीं है ओर अमेरिका में नौकरियां। हमारे उद्योग धंधे मंद है और हमारा चीन से आयात बढ़ रहा है। हमारे सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल आदि ब्रांचो के इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ आई टी क्षेत्र व बीपीओ में नौकरी कर पा रहे हैं। बाकी ब्रांचो में

यक्ष प्रश्न

पिछले एक दशक के यूपीए सरकार के संचालन से उसके दर्शन व कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता हे। यह पूर्णतः बाजारवादी व उपभोक्तावादी दर्शन है जहाँ पाश्चात्य जीवन शैली, खुलापन, नशा-हथियारों की होड़, अश्लीलता, भ्रष्टाचार व घोटाले, बेतरतीब विकास, सामंती शासन प्रणाली के साथ अमीरों के पक्ष में नीतियां और गरीबों के लिए ऋण माफी, नरेगा, वजीफा व नकद राशि जैसे प्रावधान हैं। कांग्रेसी नीतियां गरीब को गरीब बनाये रख वोट बैंक बनाये रखने की हैं और उसे इनके सहारे चुनाव जीतने आते हैं।

क्षेत्रीय दल, भाजपा एवं एनडीए कमोबेश यूपीए के मॉडल पर ही अपनी नीतियां बनाते हैं। मुख्य मुद्दा भारतीय बनाम पाश्चात्य जीवन शैली तथा बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद का है। एनडीए खुलेपन व अश्लीलता का विरोध करता है किन्तु बाजारवादी नीतियों में यूपीए व एनडीए मे कोई विरोध नहीं दिखता।

किन्तु यक्ष प्रश्न राष्ट्र का है। हमारे संवैधानिक मूल्यों, नीति निर्देशक तत्वों व मूल कर्तव्यों को स्थापित करने का है। सच्चाई यह है कि सत्ता की होड़ में यूपीए व एनडीए दोनों ही संविधान की मूलभूत भावनाओं के मौलिक दर्शन को छोड़ चुके हैं। हमारे नेता पश्चिमी देशो की नीतियाँ, कानूनों, प्रणालियों व दबावों के प्रभाव में हैं। बाकी कसर दलों की आपसी गुटबाजी, व्यक्तिगत अहम् एवं शीघ्र सफल होन के लिए हर हथंकडा प्रयोग करने की मानसिकता निकाल देती है।

वास्तव में संसदीय शासन व्यवस्था मात्र गुटों का ही प्रतिनिधित्व करती है व्यक्तियों व आम जनता का नहीं। क्या मोदी या राहुल देश को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने का कोई प्रस्ताव जनता के सामने रखेंगे ? क्या वे दलों में आंतरिक लोकतंत्र को लागू करने की कार्यप्रणाली विकसित करेंगे। क्या उनके पास सुशासन के साथ संवैधानिक संस्थाओं की विश्वासबहाली, कानून के शासन, संविधानवाद व कारपोरेटवाद के बीच संतुलन, भारत की शाश्वत संस्कृति, चिन्तन धारा, सभ्यता और जीवन शैली भारतीय अध्यात्म, विज्ञान व कलाओं का विकास व विश्व बाजार में भारत की महत्वता की पुनर्स्थापना हेतु कोई कार्यक्रम है ? क्या वे हमारे मीडिया, फिल्में, जनसंचार व शिक्षा संस्थानों को भ्रम फैलाने के काम व पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करा 'मौलिक भारत' की स्थापना की ओर अग्रसर कर सकेंगे ? क्या वे गम्भीर है ऐसे देश के विकास के लिए जहां भूख, गरीबी अशिक्षा व अपमान नहीं होगा ? स्त्री बच्चों व बुजुर्गो को सम्मान व बराबर का हक होगा ? ऐसी व्यवस्था जो सौ प्रतिशत भारतीय होगी व भारत को दिशाहीन विश्व के सामने एक प्रतिमान के रूप में स्थापित कर सकेगी। यदि नहीं तो न राहुल और न ही मोदी, हमें नये विकल्प तलाशने होंगे।

तकनीकी व बना बनाया सामान आयतित हो रहा है तो ये लोग क्या करें?

निजीकरण ने प्राकृतिक व खनिज संसाधनो की लूट मचा दी है। सरकारें व व्यवस्था में बैठे लोग स्पष्ट पारदर्शी व व्यवस्थित नियम, कायदे व कानून बनाने के स्थान पर उद्योगपतियो के साथ लूट साँझा कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एफडीआई की आड़ में सभी राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों व खनिजों पर काबिज होने की तैयारी कर रही हैं तथा भारतीय उद्योगपतियों के साथ उपक्रम लगा रही है। कुछ सिविल सोसाइटी आंदोलन भी इसी कारपोरेट गठजोड़ का शातिर खेल हैं (जिसको अमेरिका-यूरोपीय भारतीय कंपनियों से भरी मात्रा में पैसा मिल रखा है)। देश विशुद्ध कारपोरेट जंग का शिकार है जिसमें कारपोरेट, सिविल सोसाइटी को हथियार बनाकर छद्म युद्ध खेल रहे हैं। निजीकरण ने देश को 'बनाना रिपब्लिक' बना दिया है। हमारे पास गैस, लोहा कोयला व अन्य खनिज सबके अकूत भंडार है किन्तु निजीकरण ने इनके दामों में तो आग लगा दी है पर उत्पादन शून्य है। आश्चर्यजनक यह है कि निजीकरण की आड़ में चल रहे क्रोनी-केपिटलिज्म व अमानवीय सट्टे के खेल को रोकने की माँग कहीं नहीं उठ रही? अगर हम उदारीकरण के साथ कानून के शासन, नियमीकरण, कारपोरेट गवर्नेंस व सुशासन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो पुनः इन संसाधनो का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए?

विश्व बदल रहा है और पुनः अन्तर्राष्ट्रीय वाद से राष्ट्रवाद की ओर मुड़ रहा है, ऐसे में सच तो यह है कि अंततः हमें अपनी जड़ों की ओर ही लौटना होगा। हम अमेरिका-यूरोप के राष्ट्रीय हितों के प्रति चिंतित होने की जगह अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक हों। अमेरिका-यूरोप की संस्कृति व जीवन शैली अपनाने की जगह अपनी संस्कृति व जीवन शैली की ओर वापस लौटें। ग्राम स्वराज, स्वभाषा एवं प्रौद्योगिकी, स्वरोजगार से ही हमारी पीढ़ियों का भला होगा। पिछले दो सौ वर्षो में हमने अपने आत्मनिर्भर देश जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मानित जीवन जी रहा था, को शाश्वत संघर्ष व फजीहत की जिंदगी में धकेल दिया हैं। आइये, फिर से मिलें, विचार करें, एकजुट हों और लौटें अपने उसी मौलिक भारत की ओर, आत्मसम्मान की ओर, राष्ट्र स्वाभिमान की ओर।

शैनेः शैनेः क्षरण

ऐसा लगता है कि हमारा देश सम्मलित रूप से सत्य से असत्य की ओर, प्रकाश से अंधकार की ओर एवं विकास से विकार की ओर बढ़ रहा है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं व सरकारी तंत्र के साथ-साथ वित्तीय तंत्र सभी तीव्र गति से `भस्मासुर` प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद तो अपनी विश्वसनीयता बहुत पहले ही गँवा चुके हैं। हमारी न्यायप्रणाली की विश्वसनीयता सर्वाधिक संदेहों के घेरे में है। हमारे न्यायाधीश न्याय प्रक्रिया को जानबूझ कर लटका रहे हैं, एक ही कानून की दो-दो व्याख्याएं कर रहे हैं और दोषी लोगों व अपराधियों को दण्ड देने में पक्षपात कर रहे हैं अथवा दण्ड ही नहीं दे रहे हैं। नारी उत्पीड़न व भ्रष्टाचार के मामलों में तीव्र न्यायिक प्रक्रिया, व्यापक जनाक्रोश के बाद भी नहीं प्रारम्भ हो पायी है और व्यभिचारी व भ्रष्टाचारी खुले आम घूम रहे हैं। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने लोकायुक्त के मामले में गुजरात व कर्नाटक के सबंध में दो अलग-अलग व्याख्याएं दी हैं, जो एक घातक संकेत है। दिल्ली में सी बी आई की विशेष अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय में इस घोटाले की जाँच की मांग करने वाले सिविल सेवा के अधिकारी संजीव कुमार को भी अपराधी घोषित कर सजा दे दी। यह सारी बातें न्यायपालिका व राज व्यवस्था के मध्य गहरी सांठ-गांठ के खुले संकेत देती हैं। इस मामले में सीबीआई पर भी सरकार के इशारे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं।

हमारी संसद अब न के बराबर काम करती है। जनहित के विधेयकों को लगातार टाला व लटकाया जा रहा है और विदेशी हितों की पूर्ति के कानून बड़ी आसानी से पास हो रहे हैं। हमारे सांसदों के भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी व अपराधी होने के प्रमाण बिखरे पड़े हैं किन्तु वे इसे ही सांसद होने की न्यूनतम योग्यता मान बैठे हैं। राज्यों की विधान सभाएं तो मुख्यमंत्रियों की कठपुतलियां बहुत पहले ही बन चुकी हैं। हमारे राजनीतिक दलों के प्रमुख पदों पर भी परिवारवादी व व्यापारिक मानसिकता के अपरिपक्व लोगों का कब्जा हो चुका है।

हमारी नौकरशाही कभी लोक सेवक बन ही नही पायी है। पर्दे के पीछे खेल खेलने के माहिर ये लोग उन्हीं गुणों से सम्पन्न है जिनसे हमारे सांसद। इनकी जवाबदेही शून्य है और अधिकार अपरिमित। हमारी सीबीआई, पुलिस व अर्द्धसैनिक बल राजनीतिज्ञों का मोहरा हैं और इन दोनों के गठजोड़ ने देश में पुलिस राज बना रखा है, जिसमें आम भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। हमारी व्यवस्था के सभी प्रमुख पदों पर गणतंत्र के तहत अवैध तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की नियुक्ति होना कोई गलत बात नहीं है किन्तु वरीयता क्रम का उल्लंघन कर कम योग्य लोगों को ऐसे पदों पर बैठाने का मतलब इन महत्वपूर्ण संस्थानों की गरिमा, गुणवत्ता व कार्यप्रणाली पर कुठाराघात करना होता है। हमारे चुनाव आयोग की निष्पक्षता व स्वायत्तता भी सवालों के घेरे में है, वह सत्तारूढ़ दल का एजेन्ट सा लगने लगा है। वह चुनावों के आंकड़ों को लेकर भ्रमित करता है। चुनाव आचार संहिता के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने में असमर्थ है और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की गड़बड़ियों पर उसकी आंखे बंद है।

हमारे बैकिंग व वित्तीय संस्थानों को सरकार द्वारा उद्देश्यहीन व दिशाहीन ऋण देने पर मजबूर किया जा रहा है। हमारे औद्योगिक घरानों के पास 20 लाख करोड़ के ऋण हैं किन्तु उसका उपयोग विदेशों में निवेश के लिए किया जा रहा है जो सरासर धोखा है। हमारे बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए आंवटित ऋण शहरी क्षेत्रों को दिये जा रहे है। स्वयं उद्योग जगत 13 लाख करोड़ की कर माफी ले चुका है। किन्तु आम आदमी को मिलने वाली 3-4 लाख करोड़ रूपये सालाना की सब्सिडी भी समाप्त करने के लिए उन्होंने सरकार को मजबूर कर दिया है। देश के मध्यम वर्ग व किसानों को सरकार बढ़ते जनाक्रोश के बीच कुचलने पर आमादा है। वह अपनी आवाज ऊँची न कर सके इसीलिए महँगाई बढ़ाकर उसे जीवन संघर्ष में उलझाया जा रहा है। मीडिया समूहों व संचार माध्यमों के साथ ही सोशल मीडिया पर अघोषित रूप से आपातकालीन प्रतिबंध लगाये जा रहे है तथा उन्हें धमकी, पैसा व विज्ञापन देकर खरीदा जा रहा है।

देश अमेरिका, यूरोपीय देश और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के षड्यंत्रों का अड्डा बन गया है। सब एक दूसरे को पैसा फेंक कर खरीद-बेच रहे है। खरीद फरोख्त के इस खेल में मँझधार में और बीच बाजार में फंसता जा रहा है आम भारतीय। एक अधूरा सा व्यक्तित्व, आधी अधूरी बौद्धिकता, कभी भरा तो कभी खाली पेट और बटूआ। कभी भारतीय तो कभी पश्चिमी, कभी शहरी तो कभी ग्रामीण, कभी आधुनिक तो कभी पिछड़ा। बाजार ने पेंडुलम बना दिया है उसे। व्यवस्था न तो उसे उसके परम्परागत स्वरूप में रहने देना चाहती है और न ही उसे पूर्णतः आधुनिक बनाना चाहती हैं। उसको फुटबॉल बना दिया गया हैं। उसके मौलिक विकास का हक उससे छीन लिया गया है। दोहरे चरित्र की व्यवस्था ने देश को ही दोहरा कर दिया। वोट बैंक और बाजार के खेल में कैसे बनेगा मौलिक भारत?

इंडिया से भारत की ओर ...

पवन सिन्हा

जितना मैंने अध्यात्म पढ़ा है उससे यह समझ आया है कि देशकाल से व्यक्ति का भविष्य जुड़ा होता है। व्यक्ति के भविष्य से देश भले ही उन्नत न हो पाए किन्तु देश का भविष्य खतरे में होगा तो व्यक्ति का भी हो जाएगा। इसीलिए केवल अपने भविष्य की चिंता बंद कर दें।

देश के लिए अभी भी कई लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता किन्तु जो अच्छे नहीं हैं वो देश के लिए घातक हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता चला गया। भ्रष्टाचार को एक लीगल फ्रेमवर्क देने का प्रयास और चल गया। भ्रष्ट लोग आरटीआई के दायरे से बाहर आने शुरू हो गए।

आज युवाओं को जागरूक किए जाने की जरूरत है क्योंकि 2020 तक हमारा देश युवाओं का देश होगा और इसकी बागडोर उनके हाथों में होगी। किन्तु जब मैं देश के युवाओं को देखता हूं तो दुख होता है कि जिसे भारत का ज्ञान नहीं है वो इस देश को कैसे चलाएंगे। जिन्हें भारत की परंपरा, संस्कृति की समझ नहीं है वो देश को कैसे संभालेंगे? जिन्हें संविधान व कानून का ज्ञान नहीं वो कैसे कानून व्यवस्था कायम करेंगे? इन पीढ़ी को कौन बना रहा है यह सोचने का विषय है। कहीं यह पीढ़ी 'इंडिया' की तो नहीं है? जबकि आज 'भारत' की पीढ़ी की आवश्यकता है।

इस देश में योग, ज्योतिष, आयुर्वेद और आध्यात्म हैं जिनके माध्यम से बच्चों व युवाओं के तन-मन-चरित्र पर काम किया जा सकता है। युवाओं को कुछ भी जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता लेकिन बताया जा सकता है, एक माहौल बनाया जा सकता है।

इंडिया की समझ रखना बुरा नहीं है किन्तु बनना भारत जैसा पड़ेगा, अन्यथा जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं वो और बढ़ेंगी। जुलाई 1995 से मैं लगातार कह रहा था कि अपने व अपने परिवार के बारे में सोचो लेकिन राष्ट्र को अपने जीवन लक्ष्यों में शामिल करके चलो वरना हालात बहुत कठिन हो जाएंगे और आज वो स्थिति आ गई है। एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है या सेब खिला रही है तो वह दावे से नहीं कह सकती कि यह शुद्ध हैं। आज यदि कोई आगे बढ़ता है तो अपने साथ किसी को आगे नहीं बढ़ाता। हम जिस देश की संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं, एक बार उस देश की संस्कृति में झांक कर तो देख लो, वह अपने साथ अपने राष्ट्र को भी आगे बढ़ाते हैं। वो अपने व्यापार को राष्ट्र के व्यापार से जोड़कर चलते हैं। इसी वजह से वो अन्य देश कब्जाते थे और आज भी कब्जा रहे हैं। यदि हम आज नहीं चेते तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसीलिए हमें भारत की मौलिकता को समझना होगा और भारत की ओर चलना होगा। जिस दिन भारतीय होने का अहसास हमें हो गया उस दिन भारत की तस्वीर बदल जाएगी।

मैं तीन विषयों पर बात करना चाहता हूं कि भारत क्या था, क्या हुआ और कैसे वापिस भारत बनाया जाना चाहिए। भारत एक बेहद उन्नत और बेहद विशाल देश था। 180 से पहले के नक्शे में यदि आप पूर्वी हिस्से को देखेंगे तो सबसे बड़ा भूखंड भारत दिखेगा। उसके अतिरिक्त बहुत छोटे-छोटे प्रांत थे। एक इतना विशाल देश जिसके भूखंड को नापना भी मुश्किल था, वहां चन्द्रगुप्त थे, सूर्यवंशी थे, चन्द्रवंशी थे, कोई श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान व मंगोलिया नहीं थे। एक ऐसा विशाल खंड जहां भारत की लौ जलती थी। भारत में ज्ञान था और ये दोनों ज्ञान थे- लौकिक भी व परालौकिक भी। संगीत, कला, साहित्य, दर्शन के प्रति हमारी गहन रूचि थी। भारत में हर कला पल्लवित हुई, फूली फली। आज जिन हार्मोन्स की बात की जाती हैं वो 10 हजार वर्ष पूर्व भारतीयों को पता थी। कई बीमारियों के उल्लेख भी सुश्रुत संहिता में पहले से ही मौजूद हैं जिनकी खोज का दावा 17वीं शताब्दी के बाद से किया जाता है। भारत में विशालता और महानता के साथ ही गुण और मौलिकता भी थी।

हमारे पास जो ज्ञान है आप वैज्ञानिक रूप से उसी तरह प्रस्तुत कर सकते हैं जिस तरह से बड़े-बड़े वैज्ञानिक कार्यशालाओं में प्रस्तुत करते हैं। हमें फिल्मों व सीरियलों ने भटका दिया। हमें बहुत से धर्म गुरूओं ने भी भटका दिया क्योंकि उन्होंने चमत्कार के नाम पर सही राह नहीं दिखाई। भारतीय समाज जातियों से निरपेक्ष था व वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता था। समाज समानता में विश्वास रखता था। मैं दावे से कह सकता हूं कि हिन्दू धर्म और समाजवाद अलग नहीं हो सकते। हिन्दू धर्म में कभी भी पूंजीवाद नहीं आया। हिंदू धर्म ने जिस बांह से बंसी बजाना सीखा था, उसी बांह से बंदूक चलाना भी सीखा। हिन्दू समाज में शांति का वातावरण था किन्तु शांति इस बात पर नहीं थी कि तुम आओ, कुछ भी करो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। श्रीकृष्ण ने भी कहा था कि दुष्टों का विनाश होना चाहिए। ऐसे भगवान जिन्होंने यह दर्शन दिया और ऐसा हिन्दू समाज जिसने धर्म में अपनी आस्था दिखाकर इसका अनुपालन किया, आज वह यह सब भूल रहे हैं और इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का नारा बार-बार दिया जाता है जिसका कोई आधार नहीं है।

अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैं श्रीकृष्ण का जिक्र करना चाहूंगा। वह गवैये या रसिया नहीं थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक व अर्थशास्त्री थे। मटकी फोड़ने के बहाने वो स्वदेशी उपभोग की बात करते थे। उनका मानना था कि तुम्हारा मक्खन पहले तुम अपने घर के बच्चों व गांव के लोगों में तो बांट दो, बाद में कंस की सेना को बेचने जाना। आज एफडीआई को बढ़ावा देकर अच्छी चीजें निर्यात और बुरी चीजें आयात करके यहां बेची जा रही हैं। भारत ने हमें कृषि की अर्थव्यवस्था दी। श्रीकृष्ण का जो गौ प्रेम था उसे साधारण मत समझिएगा। वो गाय के पीछे बैठकर बांसुरी राधा के लिए नहीं बजाते थे। बांस से निकलने वाली आवाज से शरीर की वायु शांत होती है और गाय ज्यादा दूध देती है। श्रीकृष्ण अपने भाई के साथ घर छोड़कर ऐसे रास्ते से भागे थे जहां शिशुपाल की सेना उन्हें देख सके जिससे बाकी लोगों को वो सेना मारे नहीं। हम दो मर जाएंगे देखा जाएगा, बाकी लोग तो सुरक्षित रहेंगे। ये होता है हुक्मरान, न कि वो जो सुरक्षाकर्मियों के साथ चले। ऐसी हमारी जबरदस्त व्यवस्था और सैन्य शक्ति थी। हम जानते थे धनुष किस प्रकार दूर तक मार कर सकता है। जो दूसरे देशों ने युद्ध की रणनीतियां अपनाई वो श्रीकृष्ण और अभिमन्यु जानते थे। हमने उस वैज्ञानिक धर्म को समझने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया।

धीरे-धीरे देश में मुगल आने लगे। वो जानते थे कि भारत को कब्जाने के लिए भारत के धर्म पर प्रहार करना होगा क्योंकि भारत ने राजनीति, अर्थशास्त्र, रक्षा नीति सब धर्म से सीखा था। हमारा धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं था इसीलिए उन्होंने धीरे-धीरे पहले धर्म को

काटना शुरू किया। उन्होंने हमें धर्म से अलग करना शुरू किया और चापलूसों की एक फौज खड़ी कर दी। आज की राजनीति में भी चापलूस देखे जा सकते हैं। भारत में पुर्तगाली, डच व अंग्रेज भी भारत आएं। आक्रमणकारी सबसे पहले संस्कृति और अर्थव्यवस्था को ही जड़ से काटने का प्रयास करता है। वह सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर प्रहार करता है और यदि वह चूक जाता है तो संस्कृति पर प्रहार करता है जिसमें भाषा, वेशभूषा, पूजा-पाठ पद्धति, लौकिक, परालौकिक ज्ञान आदि आते हैं। अंग्रेज परेशान थे कि भारत को कैसे काबू में किया जा सके। गांव उनके साथ समन्वय नहीं करते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया जो बहुत खतरनाक था और जो हममें से आज कई लोग अख्तियार करे बैठे हैं। इससे बचने की जरूरत है। हमें सिखाया गया कि आप बंजारे लोग हैं। आपका कोई धर्म नहीं था और हमारे अस्तित्व को लेकर भी बहस छेड़ दी। कोई कहता था हम स्विट्जरलैंड से आए हैं और कोई कहता था जर्मनी से आए हैं। चंगेज खां मुसलमान नहीं थे, मंगोलियन थे।

उन्होंने कहा कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो वहां से आए हैं। एक थ्योरी यह भी कहती है कि रूस के कुछ लोग कश्मीर व गंगा किनारे आकर बस गए। हमारे अस्तित्व पर अंग्रेजों ने प्रहार किया। युवाओं व बच्चों को सिखाया गया कि तुम्हारा कोई इतिहास, भूगोल नहीं है और तुम्हें पालना पोसना व शिक्षित करना अंग्रेजों का दायित्व है। वो एक दिन की नहीं बल्कि सौ साल तक की नीतियां बनाते थे। नालंदा व तक्षशिला में हमारे धर्म, इतिहास व दर्शन आदि की पुस्तकें जला दी गई और फिर हमारे धर्म व इतिहास पर प्रश्न उठाया गया। वहां ऐसा अद्भुत विज्ञान था जो जन्म लेने से बूढ़े होने तक बताता था कि व्यक्ति को कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हिन्दू अर्थव्यवस्था से संबंधित सारा साहित्य खत्म कर दिया गया। 'सो कॉल्ड मॉडर्न इंडिया' ने हमें केवल यह बताया कि आप कबीले के लोग हैं और आपकी कोई संस्कृति, इतिहास नहीं है, कोई विज्ञान नहीं था, कोई भाषा नहीं थी। आप पत्थरों की मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने यह सारी चीजें किसानों व अनपढ़ों को नहीं बताई बल्कि बुद्धिजीवियों को बताई। आज वो मैकॉले तो चला गया किन्तु कई मैकॉले इस देश में पैदा हो गए। हमने किताबों में अंग्रेजों की 'डिवाइड एन्ड रूल' की नीति पढ़ी है। यह डिविजन केवल हिन्दू-मुस्लिमों में नहीं था बल्कि हमारे व हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के साथ भी था। इससे मध्ययुगीन इंडिया बनता चला गया जो मॉडर्न इंडिया में तब्दील हो गया। हमारा भारत अपनी मौलिकता के साथ कहीं खो गया है। वो भारत हमारे बीच ही है किंतु वह मॉडर्न इंडिया से डरकर छिप गया है। बहुत सारे लोग इसके लिए चिंतित भी हैं।

1991 की विदेश नीति के बाद जो दोहरी अर्थव्यवस्था बनाई गई है वह एकदम से टूटेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजरेगी। इंडिया से भारत की ओर जाने के लिए 55 करोड़ युवा आबादी पर ध्यान देना होगा। आज 90 प्रतिशत युवा इंडिया को जानते हैं, भारत को नहीं। भारत की ओर जाने के लिए बच्चों व युवाओं को शिक्षा प्रदान करनी होगी जिसका आधार होगा विज्ञान। इसके लिए अपने व अपने परिवार से ऊपर उठकर जिम्मेदार व्यक्तियों को आगे आना होगा।

राजनीति देश को दिशा दिखाती है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को राजनीति को गंदा न बताएं और उन्हें राजनीति में भेजें। श्रीकृष्ण भी एक राजनीतिज्ञ थे। कोई भी देश राजनीति के बिना नहीं चल सकता। हमें राजनीति में जाना होगा किन्तु हमें षड्यंत्रों व षड्यंत्रकारियों से बचना होगा। देश को बेचने वाला व षड्यंत्र करने वाला बुरा है जिससे बचने की जरूरत है डरने की नहीं। मैं विश्व बंधुत्व को राष्ट्र हित के बाद मानता हूं। देश का पुनर्निर्माण केवल आध्यात्म और शिक्षा करेगी। अध्यात्म चरित्र बनाता है। आज जिस तरह की शिक्षा भारत में है ये इंडिया को भारत नहीं बना सकती। यह इंडिया को सबल इंडिया भी नहीं बना सकती। बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता बल्कि बताया जा सकता है। आज बच्चों को सकारात्मक माहौल देने की जरूरत है और उसके लिए खुद को बदलना होगा। राम चाहिए तो स्वयं दशरथ बनना होगा। शिक्षकों के रूप में भी वह लोग हो जिन्हें भारत के बारे में पता हो।

श्री पवन सिन्हा जी मौलिक भारत संस्था के राष्ट्रीय संयोजक हैं।

मौलिक भारत क्या और क्यों?

रामानुज मिशन ट्रस्ट के 13वें वार्षिकोत्सव पर चेन्नई में आयोजित व्याख्यानमाला में मौलिक भारत के राष्ट्रीय समन्वयक **अनुज अग्रवाल** द्वारा दिया व्याख्यान-

अनुज अग्रवाल

जि मौलिक भारत से हमारा आशय निश्चित रूप से अपने उस पुरातन से वह सभी सारगर्भित लेना है जिसके कारण हमारा देश भारतवर्ष एक बौद्धिक-आध्यात्मिक-सांस्कृतिक त्रयी के साथ ही आर्थिक व वैज्ञानिक रूप से भी समृद्ध स्वरूप ले पाया था। हम भारतीयों की उस महान परम्परा को पुनर्जीवित करने का पक्षधर हैं जिसमें भृगु, मनु एवं वेद परम्परा के माध्यम से प्रकृति के साथ मानव के रिश्ते को समझने, मनन करने व तूलिका बद्ध कर जीवन सूत्र बनाने की वैज्ञानिक परम्परा सदियों तक चली। जिस कारण हमारा देश अनेकों उपनिषदों व जीवन दर्शनों के साथ ही जीवन के हर पहलू की विषद, वैज्ञानिक व व्यावहारिक परिभाषा दे पाया। हम मौलिक भारत में उस सनातन संस्कृति के अनुरूप मानसिकता वाले समाज की स्थापना करने के पक्षधर हैं जिसमें कोई सम्प्रदाय, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होते थे और मानव समाज प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करता हुआ धर्म (कानून) के अनुरूप अर्थ व काम का उपभोग करता हुआ आत्मसाक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति को अपने जीवन का ध्येय समझता था। निश्चित रूप से वह समय अर्द्धशहरी व ग्रामीण - कृषि व व्यापार आधारित संयुक्त परिवार की त्रयी पर आधारित था और प्रकृति-गाय-गंगा के इर्द-गिर्द केन्द्रित था।

हम समझते हैं कि औद्योगिकीकरण, नगरीय ढांचों, एकल परिवार व कृत्रिमता ने आधुनिक परिदृश्य को बदल दिया है, गाय से निकल कर अर्थव्यवस्था डॉलर के इर्द-गिर्द आ गयी है और' भारत की शिक्षा गुरूकुल से निकल विद्यालयों, स्वास्थ्य आयुर्वेद से निकल एलोपैथी व न्याय पंचायतों से निकल बहुस्तरीय अदालतों की ओर केन्द्रित होता गया है। समाज उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र व कृषि क्षेत्र में बँटता गया। इस बदलाव के क्रम में हमारी निर्भरता विदेशों पर बढ़ती गयी और हम एक षड्यंत्र के तहत अपने जाँची परखी व आजमायी हुई जीवन पद्धति से एक संदिग्ध व शोषण पर आधारित जीवन पद्धति की ओर धकेल दिये गये। भारत के गुरूकुल जो निरंतर संवाद, शोध व नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते थे, अब समाप्त हो चुके हैं। भारतीय मंदिर जो राजाओं को धर्म आधारित शासन प्रणाली को लागू करने के लिए सलाह देते थे व खजाने के रूप में उपयोग होते थे, को वर्तमान राज व्यवस्था ने अनुपयोगी मान लिया है। देश में मुगल-अंग्रेजी राज में स्थापित नये शासन तंत्र ने भारतीय समाज की धार्मिक-सांस्कृतिक व शैक्षिक जीवंतता को अपने लिए खतरा समझ, इसका शनैः शनैः क्षरण किया और शोषण की एक नयी व्यवस्था स्थापित की जो भारत की समग्र बौद्धिक क्षमता व संसाधनों की निरंतर निकासी की प्रक्रिया है। यह निकासी आबादी के 67 वर्ष बाद भी उसी प्रकार से जारी है और हमारी राजनीतिक शक्तियों, नौकरशाह व उद्योग व्यापार समूह सभी मिलकर इसे और अधिक गति, रूप और प्रकारों से जारी रखे हुए हैं जिसका कारण भारत का आम भारतीय आज भी मुख्य धारा से अलग-थलग हासिये पर पड़ा अस्तित्व के संघर्ष में रत है। हम पुरातन व आधुनिक भारत के बीच समन्वय, सांमजस्य व पुल बनाने के लिए संघर्षरत है।

कितना दुखद है कि हमारे यहाँ हजारों उच्च शिक्षा के संस्थान होने के बाद भी शोध व अनुसंधान में हमारी हिस्सेदारी नगण्य है। हमारे यहाँ के औद्योगिक विकास को ध्वस्त कर हमारी सरकारें विदेशों से आयात को बढ़ावा देती जा रही हैं। देश प्रत्येक दिन 15 से 20 हजार करोड़ रूपयों की बाहरी देशों को निकासी कर देता हे। इस कारण नयी पीढ़ी बेरोजगार है अथवा, सेल्स, मार्केटिंग व दलाली जैसे कार्य कर रही है और उद्योग विनिर्माण के स्थान पर एसेम्बलिंग। अभी हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में 85 हजार भर्तियों के लिए 1.60 करोड़ युवकों ने हिस्सा लिया जो हमारी सरकार के रोजगार उत्पादन व शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के बीच बढ़ते भयावह फासले को बता रहा है। टूटती मर्यादाओं, एकलवाद व परिवारों के बिखराव के बीच भारत का 25-30 करोड़ कुंठित युवा देश के लिए एक धरोहर होने की जगह भार बनता जा रहा है और देश में बड़ी अस्थिरता अथवा गृहयुद्ध के संकेत दे रहा है। हमारे प्रत्येक मंत्रालय व विभागों में गलत नीयत के लोग ऐसी नीतियाँ बना रहे हैं जो उनके अपने स्वार्थ व 'लूट के साम्राज्य का पोषण करती रहें। ये लोग देश की जनता से कटे हुए हैं व व्यवस्था ही देश पर बोझ बन चुकी है।

हम समझते हैं कि हमारे सपनों का मौलिक भारत तभी बन सकेगा जब देश-विदेशों से सामान आयत करना बंद कर अपने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा निर्यात करना शुरू कर देगें। हमारी निर्भरता तेल पर खत्म होकर देश में उपलब्ध परम्परागत व नये उर्जा श्रोतों पर होती जायेगी। साथ ही हम अपने सभी प्रकार के हथियारों का स्वयं उत्पादन करना प्रारम्भ कर सकेंगे। हम किसी भी गैर सरकारी व धार्मिक संस्था को किसी भी तरह की विदेशी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहायता को बंद करने की माँग करते हैं क्योकि भारत में अव्यवस्था व असंतोष भड़काने में यह धन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने शोध, अपनी संस्कृति, अपना ज्ञान, अपना विज्ञान व जीवन के हर क्षेत्र को भारतीय मापदंडों से निर्धारित करने के लिए संघर्षरत हैं और रहेंगे। हम भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य व न्याय के आर्थिक स्तरीकरण का विरोध करते हैं व इसकी सममित व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि भारत के किसानों को पुराना सम्मान व फसल के सही दाम मिलना देश के समग्र विकास के लिए अपरिहार्य है। साथ ही महिलाओं की गरिमा व परिवार संस्था का संरक्षण दोनों ही आवश्यक है। हम आधुनिकता के नाम पर देशवासियों पर थोपी जा रही पाश्चात्यता, अंग्रेजी भाषा, अश्लीलता, नशा व सट्टे की संस्कृति का विरोध करते हैं और इसे रोकने की मांग करते हैं। हम हमारे फिल्म, टीवी और मीडिया द्वारा भारतीयता परक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक मानते हैं।

मौलिक भारत मानता है कि पुरातन व नवीन जीवन पद्धतियों व संस्कृतियों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने के लिए सतत शोध व अध्ययन आवश्यक है और इस दिशा में हम एक शोध संस्थान स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। हम देश में विभिन्न विभागों की नीतियों को राष्ट्रीय हित में व हमारी संस्कृति के अनुकूल करने की प्रक्रिया विकसित करने हेतू एक शोध संस्थान व उन नीतियों को लागू करने हेतू एक दबाब समूह व चिंतक समूह के रूप में भी मौलिक भारत को स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे हैं। इस क्रम में हम निरंतर प्रेसवार्ता, लेखन, PIL/RTI, चर्चा समूह, सेमिनार, संगठन का नेटवर्क, सभाओं, साहित्य का प्रकाशन, पत्रिकाओं/अखबार का संचालन अथवा लेखन, आंदोलनकारी गतिविधियों करने के लिए संकल्प बद्ध हैं। इसी क्रम में हम सभी समान मानसिकता व विचारों के लोगों, समूहों व संस्थाओं को एक मंच पर लाने के लिए प्रयासरत है।

मौलिक भारत यह मानता है कि वर्तमान नीतियों को लागू करने में व्यवस्था की असफलता के पीछे वहाँ बैठे लोगों को गलत नीयत है। हम गलत नीयत वाले लोगों के चयन की प्रक्रिया यानी चुनाव व्यवस्था में व्यापक सुधार की माँग कर रहे हैं। दलों में आंतरिक लोकतंत्र, चरणबद्ध तरीके से पंचायत से केन्द्र तक नेतृत्व की प्रोन्नति, उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण तथा उनकी स्पष्ट जवाबदेही आवश्यक है। सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी, सार्वजनिक व गैर सरकारी नियुक्तियों में भी यही प्रक्रिया आवश्यक व अपरिहार्य है।

हम मानते हैं वर्तमान नेतृत्व चाहे वह राजनीतिक हो अथवा सरकारी नौकर, भ्रष्ट व अनुपयोगी हो चुका है और उसे बदलना आवश्यक हैं। सत्ता परिवर्तन से अब किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। अत: निम्न तीन कदमों की आवश्यकता हैं-

- जनकेन्द्रित व भारतीयतापरक नीतियों
- पूर्णत: लोकतांत्रिक व पारदर्शी ढांचा
- प्रशिक्षित व जवाबदेह नेतृत्व

इस व्यवस्था को एक दिन में लागू करना संभव नहीं है। इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता विश्वसनीय नेतृत्व के विकास की है। हम काम कर रहे हैं नये नेतृत्व की प्रशिक्षण की प्रक्रिया व आयामों पर। इसके लिए एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम व प्रशिक्षक तैयार करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है तथा एक आदर्श प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण भी। हम सभी वर्तमान लोकसेवकों व भविष्य में लोकसेवा के लिए उत्सुक लोकसेवाओं के सतत् प्रशिक्षण की माँग करते हैं। हम चाहते हैं कि पंचायत से लेकर केन्द्र तक देश भर में प्रशिक्षण केन्द्रों का राष्ट्रव्यापी ढांचा हो जो जनकेन्द्रित नीतियों जो जन संवाद व जनसंसद के माध्यम से बनायी जाये व शोध केन्द्रों द्वारा बताये गये तरीकों से प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित नेतृत्व द्वारा लागू की जाये। इस प्रकार से हम देश के क्रमबद्ध विकास का एक ढांचा भी तैयार कर रहें हैं जिससे अगले कुछ वर्षों में क्रमबद्ध तरीके से लागू कर भारत को भारतीयता से ओत-प्रोत एक समृद्ध, विकसित, सभी वर्गों के समान विकास वाले व विश्व के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जा सके। ■

भारतवर्ष की समस्त समृद्धि तथा प्रतिभा की 'सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' आखिर क्यों ?

भारतवर्ष एक सफल 'समस्त धन, समृद्धि तथा प्रतिभा की सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' से पीडित है जिसके परिणामस्वरूप उनके कठोर परिश्रम के फल का विकसित देशों में संपूर्ण निकास कर भारतवासियों को इस फल से पूर्णतः वंचित रखा जाता है।

भारतवर्ष प्राकृतिक सम्पदा एवं प्रतिभावान व्यक्तियों से परिपूर्ण है और इन दोनों को ही अत्यधिक सफलतापूर्वक विकसित देशों के निवासियों की और अधिक उन्नति एवं बढ़ोतरी के लिए उपयोग में लाया जा रहा है?

निम्नलिखित वास्तविकताओं से ज्ञात होता है कि कैसे विदेशी भारतवासियों के कठोर परिश्रम का लाभ उठाते हैं तथा कैसे अधिकांश भारतवासी स्वयं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में - शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थय, पोषण, यातायात, सुरक्षा, क्रीड़ा, संस्कृति, मनोरंजन, वातावरण आदि की उच्च कोटि की सुविधाओं से वंचित रहकर निम्न कोटि का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं?.

1 **भारत से निरन्तर** निम्नलिखित वस्तुओं का अत्यधिक सस्ते दामों पर निर्यात किया जाता है :

- कच्ची धातुएं
- फल, मसाले, मेवे
- अत्यंत निम्न आय के व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए वस्त्र
- अति निम्न आय के व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हीरों के आभूषण
- अन्य निम्न आय के व्यक्तियों द्वारा निर्मित अन्य वस्तुएं

देश की प्राकृतिक सम्पदा का अति सस्ते दामों पर निर्यात देश की सम्पत्ति को व्यर्थ गंवाना है तथा अत्यंत निम्न आय के व्यक्तियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात उन व्यक्तियों के जीवन स्तर को सदैव अति निम्न श्रेणी का रखेगा क्योंकि उनकी आय अत्यंत कम है ?

2 **अत्यधिक उच्च कोटि** की शिक्षा कुछ चुने हुए लोगों को बहुत कम दाम पर उपलब्ध की जाती है। इस उच्च कोटि की सस्ती शिक्षा के लिए धन भवन एवं सड़क निर्माण में लगे श्रमिकों, शिक्षा-संस्थानों के कर्मचारियों, अध्यापकों, कृषकों, घरों की सफाई तथा अन्य घरेलू कायो में सहायता करने वाले लोगों को अत्यल्प आय देकर एकत्र किया जाता है। यूरोप में एक इन्जीनियर को बनाने का खर्चा लगभग 6 करोड़ रुपए है। अधिकांश प्रशिक्षित इन्जीनियर तथा चिकित्सक भारत छोड़ कर विकसित देशों में काम करने और रहने के लिए चले जाते हैं और विकसित देशों को बिना कोई प्रयत्न एवं खर्च किए हुए निःशुल्क बने-बनाए इन्जीनियर तथा चिकित्सक मिल जाते हैं। इस प्रकार विकसित देशों का न तो केवल इन्जीनियर तथा चिकित्सक बनाने का धन बचता है अपितु उन्हें दोहरा लाभ होता है क्योंकि उन्हें ये निःशुल्क मिल जाते हैं।

फलस्वरूप भारत का उच्च-शिक्षित नागरिकों पर लगाया गया सारा धन व्यर्थ हो कर विकसित देशों के उपयोग में आता है। स्पष्ट है कि प्रशिक्षित इन्जीनियरों तथा चिकित्सकों का भारत छोड़ कर चला जाना तो भारत की हानि है ही।

3 **मध्यम श्रेणी के श्रमिक** भारत छोड़ कर सिंगापुर, अरब एवं अफ्रीकी देशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वे वहां अत्यधिक अल्प आय पर कठिन परिस्थितियों में कठोर परिश्रम कर वहां के नागरिकों के जीवन-स्तर को उच्च श्रेणी का बनाने और बनाए रखने के लिये काम करते हैं।

इस प्रकार अल्प आय पर कार्य करने वाले भारतीयों के कठोर परिश्रम के

फलस्वरूप विदेशों में विदेशियों का जीवन उच्च कोटि का बनता है।

4 **पिछले कुछ वर्षों से** भारतीय व्यवसायिक उद्योगपतियों द्वारा विकसित देशों को सस्ती सौफ्टवेयर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन उद्योगों के लिये भव्य भवन, सड़कें बनाने, इत्यादि एवं अन्य कार्यों के लिये अत्यधिक अल्प आय के श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। ये भारतीय उद्योग अपने अल्प आय के कर्मचारियों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप अत्यधिक लाभ कमाते हैं और फिर उस लाभ से विकसित विदेशों में अन्य उद्योग खरीदते हैं।

अल्प आय के कर्मचारियों का सारा धन इस तरह दो प्रकार से विदेशियों का जीवन बेहतर बनाता है - प्रथम, विदेशियों को सस्ती सेवायें प्रदान करके जो कि कर्मचारियों की आय अति निम्न रख कर उपलब्ध की गईं तथा द्वितीय, उन देशों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर जहां पर भारतीय उद्योगपतियों ने विदेशी उद्योग खरीदे क्योंकि वे खरीदे हुए उद्योग स्थानीय व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराते हैं।

5 **विशाल भारतीय उद्योगपति** अपने उद्योगों, जैसे कि चाय की पत्तियां इकट्ठी करने के उद्योग, में अति निम्न आय के श्रमिकों से काम लेकर अत्यन्त लाभ कमाते हैं। उन श्रमिकों की दशा एवं स्थिति में पिछले 50 वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि उनकी आय आज भी उतनी ही कम है जितनी कि 50 वर्ष पहले थी परन्तु उनके मालिकों ने विकसित देशों में जगुआर कार के विशाल उद्योग खरीद लिये हैं।
अत्यधिक अल्प आय के श्रमिकों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप कमाए गये लाभ का धन विदेशों में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा खरीदे गये उद्योगों में कार्यरत विदेशियों के हित मे प्रयुक्त किया जाता है।

6 **भ्रष्ट भारतीयों द्वारा एकत्र** किया हुआ काला धन स्विटजरलैन्ड के बैंकों में जमा हो कर विकसित देशों की आर्थिक अवस्था को और अधिक अच्छा बनाने और वहां रहने वाले विदेशियों के हित में लगाया जाता है। इस प्रकार भारतीयों के कठोर परिश्रम का धन, जो कि रिश्वत के रूप में भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा जमा किया गया, विकसित देशों की आर्थिक गतिविधियों में लगकर वहां के निवासियों का जीवन श्रेष्ठतर बनाने के लिये काम आता है।

7 **विकसित देश भारत से** सस्ते दामों में कच्ची धातुएं आयात कर उन धातुओं से भारत में निर्धन और वंचित जनता के पैसे से शिक्षित और वहां निःशुल्क दान में आए हुए भारतीय इन्जीनियरों की सहायता से विशाल, जटिल एवं आधुनिक यन्त्र बनाते हैं जो कि भारत उन से काफी ऊंचे दामों पर खरीदता है।

इस प्रक्रिया में भारत को चार प्रकार से भयंकर हानि होती है। सर्वप्रथम, कच्ची धातु सम्पदा को सस्ते दामों पर बेच कर, द्वितीय, निर्धन और वंचित जनता के पैसे से शिक्षित इन्जीनियरों को बाहर जाने दे कर उस पैसे को खो देना, तृतीय, उन प्रशिक्षित इन्जीनियरों का विकसित देशों को निःशुल्क दान, एवं चतुर्थ, विदेशों में बने यन्त्र खरीद कर जो कि भारत से खरीदी गई सस्ती कच्ची धातुओं से और निःशुल्क प्राप्त भारतीय इन्जीनियरों द्वारा बनाये गये।

8 **भारतवर्ष में बहुराष्ट्रीय** उद्योग सस्ते इन्जीनियर एवं श्रमिकों से काम ले कर भारी लाभ कमाते हैं।

इस प्रकार भारतवासियों के कठोर परिश्रम के फलस्वरूप कमाया हुआ लाभ विदेशी उद्योगों के मालिकों, हिस्सेदारों और विदेशी सरकारों व नागरिकों के काम आता है। ■

सारांश यह है कि उस भारतीय धन का, जिस पर कठोर परिश्रम करने वाले भारतीयों का अधिकार है परन्तु वह उन्हें नहीं मिलता, विकसित देश निम्नलिखित ढंग से लाभ उठाते हैं:

1. भारतीय भ्रष्टाचार के फलस्वरूप प्राप्त धन को उद्योगों और विकास कार्यों में लगाकर
2. भारतीय उद्योगपतियों, जो अपने भारतीय उद्योगों में कठिन परिश्रम करने वाले भारतीयों को अति अल्प आय देकर एकत्रित किये गये धन से विदेशों में विदेशी उद्योगों को खरीदते हैं, द्वारा लगाए गये धन का लाभ उठाकर
3. निम्नलिखित ढंग से अपना धन बचाकरः
   क. भारत से सस्ता कच्चा माल खरीद कर
   ख. भारत से शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों, जिन्होंने अति अल्प आय के श्रमिकों के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की, का निःशुल्क आयात कर
   ग. भारत से अति निम्न आय के श्रमिकों का आयात कर एवं उनसे निम्न आय पर कठोर परिश्रम का कार्य लेकर
4. भारतीय व्यवसायिक सेवा उद्योगों, जोकि भारत में कार्य करनेवालों को निम्न आय देते हैं, द्वारा प्रदान की गई सस्ती सेवाएं का लाभ उठाकर
5. भारत को अत्युच्च दामों पर ऐसे यन्त्र बेचने से अत्यधिक लाभ कमाकर जोकि ऐसे भारतीयों द्वारा विकसित किये एवं बनाए गये जो
   क. या तो उन्हें निःशुल्क मिले
   ख. या उन्हें भारतीय सेवा उद्योगों द्वारा सस्ते मिले
   ग. या उन्होंने भारत में अपने उद्योगों की शाखाएं खोलकर निम्न आय देकर काम पर लगाये

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में 'समस्त धन, समृद्धि तथा प्रतिभा की सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' कितनी सफलता से कार्यान्वित है। इसके फलस्वरूप अधिकांश भारतीय जनता निर्धनता, क्षुधा और अभावों से भरा हुआ अत्यन्त निम्न कोटि का जीवन व्यतीत करती है जब कि उसके कठोर परिश्रम का सुफल विकसित देशों को पहुंचता है। 'समस्त धन, समृद्धि तथा प्रतिभा की सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' से निश्चित ही उत्तम सुविधायें समस्त भारतीयों को नहीं अपितु केवल कुछ गिने-चुने भारतवासियों को ही मिलती हैं।

परिणामस्वरूप हमारे प्रिय भारत का स्थान है

- संयुक्त राष्ट्र की (180 देशों की) मानवीय विकास 2009 सूची में 134वां (जितना अधिक अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- भूमण्डलीय (84 देशों की) क्षुधा 2009 सूची में 65वां (जितना अधिक अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- स्वच्छ वातावरण की (149 देशों की) 2008 सूची में 120वां (जितना अधिक अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- भ्रष्ट (180 देशों की) देश 2009 सूची में 84वां (जितना अधिक अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- शिशु मृत्यु दर (193 देशों की) 2008 सूची में 49वां (जितना कम अंक, उतनी बुरी स्थिति)
- शौचालय अनुपस्थिति (11 देशों की) 2010 सूची में सर्वप्रथम (जितना कम अंक, उतनी बुरी स्थिति)

इस के विपरीत, विकसित देशों के नागरिकों का जीवन-स्तर अत्युत्तम है क्योंकि भारतवासी उनके उच्च जीवन-स्तर की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए कार्यरत हैं।

हमें इस 'समस्त धन, समृद्धि तथा प्रतिभा की सम्पूर्ण निकास एवं पलायन प्रणाली' को सम्पूर्ण रूपान्तरण कार्यक्रम द्वारा पूर्णतः बदलना होगा जिससे जनता के परिश्रम का पूर्ण फल उसे मिले और समस्त भारतवासियों का जीवन-स्तर अत्युत्तम हो।

असफल राजव्यवस्था एवं

पिछले कुछ वर्षो से देश में कई सारे आंदोलन चल रहे हैं। ये आंदोलन इस बात के प्रतीक हैं कि देश में एक प्रकार का असंतोष व्यापक पैमाने पर पल रहा है। परंतु ये आंदोलन इस असंतोष को सकारात्मक दिशा दे पाने में असफल हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है देश को उसके जड़ों यानी मौलिक भारत की ओर वापस ले जाने की। कैसा स्वरूप होगा मौलिक भारत का और उसे कैसे पाया जा सकेगा, यह गहन चिंतन का विषय है।

पिछले दो दशकों में देश व्यापक बदलावों के कुचक्र का शिकार रहा। इस समय में बाजारवाद, उदारवाद, व पूंजीवाद के नाम पर एक साजिश के तहत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, भारतीय कारपोरेट, विकसित देशों एवं भारत की राष्ट्रीय राजनीति कर रहे दलों, चर्च एवं अंतर्राष्ट्रीय एनजीओं ने देश को एक 'पिलपिले लोकतंत्र' में बदल दिया है। हथियारों, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी एवं सट्टे के साथ पुरानी विदेशी तकनीक का डम्पिंग ग्राउंड बन गया हमारा देश। खुली अर्थव्यवस्था ने हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों, विरासत, हमारे ग्रामीण कृषि कुटीर, सहकारी अर्थव्यवस्था, संयुक्त परिवार, शिक्षा, स्वास्थय व भाषा सभी को तहस-नहस करने की पुरजोर काशिश की है। देश के संसाधनो विशेषकर खनिज पदार्थो को सत्तारूढ़ सरकारों ने खुलेआम लूटा है। देश की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार है। बेरोजगारी चरम पर है। पिछले दस वर्षो में मात्र 20 लाख नये रोजगार सृजित हुए है। यद्यपि जनसंख्या 25 करोड़ बढ़ चुकी है।

बाजार 20-25 प्रतिशत सिकुड़ चुका है किंतु मंहगाई बढ़ाकर तथा प्रत्येक क्षेत्र में आंकडों में फर्जीवाडा कर झूठी तस्वीर जनता को दिखाई जा रही है। पिछले एक दशक में देश की 15-20 प्रतिशत आबादी मध्य वर्ग से पुन: निम्न मध्यम या निम्न वर्ग में आ चुकी है। पिछले चार वर्षो से भारत के उद्योगपतियों ने एक भी पैसा देश में नही लगाया है। उनका सारा निवेश अफ्रीका, यूरोप व अमेरिका आदि में हो रहा है। देश में विदेशी निवेश के नाम पर मारीशस व सिंगापुर रूट से कालाधन ही सफेद होकर वापस आ रहा है। देश की सफेद अर्थव्यवस्था काली अर्थव्यवस्था की एक चौथाई मात्र है। सत्ता व उद्योगपतियों का काकटेल देश को लूट रहा है। हम एक अराजक देश के नागरिक है। अपराध आम बात है। बच्चों, वृद्धों व महिलाओं के आत्म सम्मान की रक्षा अब मुश्किल होती जा रही है। अलगाववाद, साम्प्रदायिकता, आतंकवाद व क्षेत्रवाद का बोलबाला है। पड़ोसी देशो से हमारे संबंध ठीक नही है और सीमाओं पर हमेशा तनाव रहता है। सैन्य खर्च लगातार बढ रहे है। देश में हर समय कही न कही चुनाव एवं स्थानांनतरण होना आम बात है। राजनीतिक दल गिरोह बन चुके हैं और इन पर परिवारों का कब्जा है और आंतरिक लोकतंत्र शून्य है। आम जनता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थय, रोजगार एवं न्याय की जद्दोजहद से ही निकल नही पा रही है। आम भारतीय के पास आत्म सम्मान जैसी कोई चीज नही है। देश एक स्लम में बदलता जा रहा है। प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन की कोई प्रभावी व्यवस्था ही नही है। हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खोखला किया जा है एवं उनकी गरिमा नष्ट की जा रही है। देश को सामंतवादी व मुगलकालीन राजतंत्र के ढर्रे पर चलाया जा रहा है, जहां चापलूसी एवं चमचागिरी का राज है देश का संवैधानिक ढांचा पुनर्विचार एवं पुनर्गठन की मांग कर रहा है और केन्द्र राज्यों के संबंधो में भी भारी तनाव है। इन पर गंभीर पुनर्विचार एवं बदलाव आवश्यक है। राज्यों का पुनर्गठन समय की मांग है तो सत्ता व संसाधनों का विकेन्द्रीकरण भी जरूरी है, किन्तु राजव्यवस्था इसके प्रति उदासीन है। देश दलालों, सट्टेबाजों एवं बड़े व्यपारियों का स्वर्ग बन गया है। इसके बहुआयामी विकास को अनदेखा किया जा रहा है। हमारा आंदोलन इस व्यवस्था को बदल, आगे दिये गये दृष्टिपत्र के अनुरूप देश का पुनर्निर्माण करने के लिए है। हम मात्र सुशासन की पुर्नस्थापना ही नहीं वरन राष्ट्र हित में नीतियों में भी प्रबल बदलावों के पक्षधर हैं।

इन विकट स्थितियों में हमारी मांगें हैं -

- राजनीतिक दलो में आंतरिक लोकतंत्र हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं चुनाव सुधार।
- पूरे देश में शिक्षा को पुर्नपरिभाषित करे तथा एक समान शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी खर्च पर।
- भूमि अधिग्रहण कानून को आवश्यक सुधारों के साथ तुरन्त लागू करना।
- शहरों की सीमाओं की हदबंदी तथा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा।
- अनिवार्य बैंक अकाउंट व पहचान पत्र प्रत्येक नागरिक को।
- खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का हक एवं सरकार मात्र उसकी कस्टोडियन एवं जनहित में ही उसका दोहन।
- राष्ट्रीय जननिगरानी तंत्र का विकास।
- सटटे व वायदा कारोबार पर रोक।
- व्यापक पुलिस एवं प्रशासनिक सुधार।
- सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय।
- स्थानीय निकायो का आर्थिक सशक्तिकरण व अधिक अधिकार।
- भारतीय भाषाओं में सभी प्रकार की शिक्षा व प्रतियोगिताऐं।
- मीडिया/ मनोरंजन जगत एवं पोर्नोग्राफ़ी साइटों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन।
- स्पष्ट युवा नीति जिसमें बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रावधान हो।
- हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था में 'लोकसेवकों के दायित्व एवं जनता के अधिकार' नामक विचारधारा का समावेश हो।

संकल्प पत्र

- हम विशुद्व राष्ट्र आधारित व भारतीयता के पक्षधर है।
- हम किसी शक्ति/ राजनीतिक दल से प्रायोजित नही है।
- हम अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यरत है।
- हम व्यक्तिगत अहम का शिकार नहीं हैं और समाज सेवा हमारे लिए धंधा नही है।
- हम मानते है कि सामूहिक प्रयासों से ही उपरोक्त समस्याओं का समाधान संभव है।
- हम अपनी अपनी संस्था की स्वतंत्र पहचान के साथ ही मौलिक भारत अभियान के दृष्टिपत्र से पूर्णत: सहमत हैं।
- हम अपनी संस्था की सभी प्रचार सामग्री में मौलिक भारत अभियान का लोगो प्रयोग करेगें तथा अपने दर्शन व संस्था के उद्देश्यों को मौलिक भारत अभियान के समरूप करेगें।
- हम आवश्यकता पडने पर तन-मन-धन सभी से इस अभियान को अपना सहयोग देगें।
- हम सामूहिक शक्ति द्वारा राजनीति के मुददों व माहौल को बदलने का प्रयास करेगें और कोशिश करेगें कि आगामी चुनाव हमारे दृष्टिकोण पत्र में वर्णित मुददों के इर्द-गिर्द ही हो।
- हम हमेशा मौलिक भारत अभियान की केन्द्रीय संचालन समिति के निर्णयों को व्यवहार में लाने के लिए प्रयासरत रहेगें।

नए नेतृत्व की विशेषताएं

नए नेतृत्व के विकास की बात सामने आते ही यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गांव से केंद्र तक नई उभरने वाले नेतृत्व में क्या गुण होने चाहिए। यहां पर इस पक्ष पर प्रकाश डाला जा रहा है -

संपूर्ण देश में समान विचार व मानसिकता के लोगों व संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के विकास व प्रसार की रूपरेखा बनाई जा रही है। परस्पर विचार विमर्श से जो महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आया है उसमें नेतृत्व करने वाले नेता के गुणों की स्पष्ट व्याख्या देना जरुरी माना गया है। अव्यवस्था व भ्रष्टाचार से भरे माहौल में बड़ी जरुरत ऐसे लोगों के चयन की है जो ग्राम , वार्ड , ब्लॉक , तहसील , जिले , राज्य और अंतत: केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व देने की क्षमता रखते हों। सामान्यत: यह माना जाता है कि जिले स्तर तक के नेतृत्व करने वाले लोगों को स्थानीय मुद्दों की समझ , बेहतर जनसंपर्क , लगातार जनता से संवाद , साधारण वक्तव्य क्षमता और लगातार व्यवस्था की गलतियों को उजागर करना और सुधार के लिए दबाव बनाए रखना होता है। वास्तविकता यह है कि केंद्र से व राज्यों से प्रस्तावित योजनाएं जिलों और ब्लॉकों तक आते- आते दम तोड़ चुकी होती हैं। योजनाओं के बारे में जनता तो क्या नेताओं तक को ही ढंग से पता नहीं होता और दलों की जिला इकाईयां इसका व्यवस्थित अध्ययन भी नहीं करती हैं। अगर योजनाओं , उनमें आवंटित धन व क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में ग्राम , ब्लॉक , तहसील व जिले के स्तर पर स्पष्ट जानकारी हो तो उसके संबद्ध व सही क्रियान्वयन की पारदर्शी व्यवस्था की जा सकती है। ऐसा तभी संभव है जब निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं व नेताओं को इसका संपूर्ण ज्ञान हो। विकास तभी दिखेगा जब वह निचले स्तर पर कार्यान्वित होगा। सचिवालयों एवं निदेशालयों के गलियारों से निकलकर वह अंतत: जिलों के कार्यालयों की फाइलों में ही दम तोड़ देता है , और अगर कार्यान्वित होता भी है तो आधा-अधूरा और भारी बंदरबांट के साथ।

अत: ग्राम व ब्लॉक स्तर की लीडरशिप इतनी सक्षम हो जो स्वयं ईमानदार हो , सुचिता में विश्वास रखती हो और प्रत्येक आने वाली योजनाओं व धन की पाई-पाई का हिसाब रख सकती हो , उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे सकती हो और अपने हाथ में नेतृत्व के आ जाने के बाद उसके वास्तविक क्रियान्वयन की क्षमता भी रखती हो। स्थानीय दबावों यथा परिवारवाद, वंशवाद, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, उद्योग , व्यापार समूहों व अन्य हित समूहों के दबावों के बीच सबके संविधान सम्मत विकास की अवधारणा को वास्तविकता में लाने की क्षमता रखती हो। परस्पर संवाद, सामूहिक विचार-विमर्श, पारदर्शिता आदि के गुण इसमें अपरिहार्य हैं।

राज्यों व केंद्र की राजनीति में आने के लिए अर्थव्यवस्था, प्रशासन, टेक्नोलॉजी, आईटी , कूटनीति व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की व्यापक समझ व गहरी प्रशासनिक क्षमता व नेतृत्व के गुण आवश्यक हैं और उससे भी ज्यादा जरुरी है सार्वभौमिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, देश के लिए आत्मसम्मान की भावना और टिकाऊ विकास की अवधारणा पर काम करने की मानसिकता। ईमानदारी, पारदर्शिता एवं सामूहिक नेतृत्व की भावना और मात्र राष्ट्र हित में निर्णय लेने की मानसिकता इससे भी ज्यादा जरुरी है।

मौलिकभारत

आन्दोलन का श्रीगणेश

देश के नवनिर्माण एवं व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प

हम सभी आज यह अनुभव कर रहे हैं कि देश में वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह असफल सिद्ध हो चुकी है। मामला भ्रष्टाचार का हो या देश की सुरक्षा का, देश का शासन हर मोर्चे पर असफल सिद्ध हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश में कई आंदोलन चल रहे हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि देश में एक प्रकार का असंतोष व्यापक पैमाने पर पनप रहा है। परंतु ये आंदोलन इस असंतोष को सकारात्मक दिशा दे पाने में असफल रहे हैं। ऐसे में जरूरत है देश को उसकी जड़ों यानी मौलिक भारत की ओर वापस ले जाने की। कैसा स्वरूप होगा मौलिक भारत का और उसे कैसे पाया जा सकेगा, यह गहन चिंतन का विषय है। ऐसे में देश के अनेक प्रबुद्ध लोग देश में एक व्यवस्था परिवर्तन व देश के नवनिर्माण का रचनात्मक कार्य खड़ा करने के लिए एक मंच पर आए हैं, जिसका नाम है, मौलिक भारत।

गांधी शांति प्रतिष्ठान में गांधी के देखे हुए सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एस्ट्रो अंकल पवन सिन्हा, आईपीएस अमिताभ ठाकुर, प्रसिद्ध कवि गजेंद्र सोलंकी, से.नि. मेजर संगीता तोमर, लोकराज अभियान के अमरनाथ ओझा, अनंत त्रिवेदी, पर्यावरणविद अरूण तिवारी, जनसंसद की संकल्पना पर अभियान चलाने वाले नेपाल सिंह तोमर, आध्यात्मिक प्रणाम आंदोलन की प्रमुख मीनाजी, डायलॉग इंडिया के संपादक अनुज अग्रवाल सहित अनेक प्रमुख लोगों ने मिलकर गत 03 फरवरी, 2013 को मौलिक भारत के स्थापना की घोषणा की।

इस अवसर पर मौलिक भारत के संयोजक पवन सिन्हा ने कहा कि देश भर में एक बेचैनी है, हमारी वर्तमान सरकार सभी क्षेत्रों में असफल रही है। आज जरूरत है देश में एक नया नेतृत्व खड़ा करने की और यह हमें कई दशकों में नहीं, कुछ वर्षों में ही पूरा करना है। ऐसा हमारा संकल्प है। यह संकल्प पूरा करने की समय सीमा कम से कम करना हमारे हाथ में। इसका रास्ता गुरु गोविंद सिंह ने बता रखा है- 'सवा लाख से एक लड़ाऊं' तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। हमारे भी गुरु गोविंद सिंहजी हैं। अगर हम भी 'सवा लाख से एक लड़ाऊ' बन पाए व उनके साथ 'सवा लाख से लड़ाऊ' वाले और भी नेता-कार्यकर्ता जोड़ पाए तो यह समय सीमा हम न्यूनतम करने में सफल होंगे।

मौलिक भारत के स्थापना दिवस पर पचास से अधिक संस्थाओं ने इस अभियान से जुड़ कर इसे सफल बनाने में पूरा सहयोग करने का संकल्प लिया।

मौलिक भारत

संकल्पना, लक्ष्य एवम् कार्ययोजना

संकल्पना

'भारतीयता' मौलिक भारत की संकल्पना का मूलाधार है।

'भारतीयता' उन दस लक्षणों का संगम है, जिन्हें लगभग सभी धर्म व संप्रदायों में धर्म का लक्षण माना गया है। इन दस लक्षणों की पालना न करना अधर्म कहा जाता है:

धृति, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम्।।

कहना न होगा कि 'भारतीयता' गुण, विचार व व्यवहार का एक ऐसा संगम है, जो राष्ट्र के सम्मान को अपना संकल्प और विश्व के प्रत्येक प्राणी के कल्याण को अपना अंतिम लक्ष्य मानता है। गौरतलब है कि प्रत्येक प्राणी का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि प्रकृति का रचा प्रत्येक जीवन है; साथ ही विश्व का मतलब सिर्फ सभी देश नहीं, पूरी प्रकृति है।

लक्ष्य

भारतीयता के इसी गुण, विचार और व्यवहार को हासिल करना 'मौलिक भारत' का लक्ष्य है।

'मौलिक भारत' का ऐसा विश्वास है कि भारत के नागरिकों के भीतर 'भारतीयता' के मूल गुणों के विकास से मात्र से ही भारत की वर्तमान कई सामाजिक, राजनैतिक व व्यवस्था संबंधी समस्याओं से निजात मिल जायेगी। 'भारतीयता' का विकास ही अंततः व्यवस्था, राजनीति व हमारे मानस में अपेक्षित व्यापक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करेगा। उसका यह भी ऐसा भी विश्वास है कि आज समस्याओं को चक्र इतना व्यापक व अनवरत् है कि उनका समाधान अकेले किसी भी शासन या प्रशासन के बूते की बात नहीं है। इसके लिए समाज को जिम्मेदार भूमिका में आना ही होगा।

पहला पायदानः 'मुमकिन है' का भरोसा

'कुछ नहीं हो सकता' की जगह 'मुमकिन है' का भरोसा कायम करना 'मौलिक भारत' का पहला कदम है। नकरात्मक सोच के वर्तमान दौर में सकरात्मक और रचनात्मकता के वातावरण विकसित करना लक्ष्य की सीढी चढने की दिश में पहला पायदान हो सकता है।

तीन कार्य

मौलिक भारत अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीन तरह के कार्यों को आवश्यक मानता है:

- सकरात्मक व रचनात्मक गतिविधियों को प्रकाश में लाना, ताकि 'मुमकिन है' का भरोसा लोगों में कायम हो सके।
  'मौलिक भारत' का विश्वास है कि इस भरोसे का कायम होना, लोगों को सकरात्मकता व रचनात्मकता के लिए प्रयास हेतु प्रेरित कर सकेगा। इन दोनो के फैलने से नकरात्मकता और विनाशक शक्तियां व प्रवृतियां स्वतः ही नियंत्रित होने लगेगीं।
- सकरात्मक-रचनात्मक शक्तियों की गतिविधियों और उनके उठाये मुद्दों के प्रति समर्थन जुटाना.... उन्हे सशक्त करना और तद्नुसार शासन-प्रशासन को निर्णय व नीति निर्माण के लिए विवश करना।
  'मौलिक भारत' का ऐसा विश्वास है कि ऐसा कर हम सकरात्मक व रचनात्मक शक्तियों को एकजुट करने के एक ऐसे दायित्व को निर्वाह करेंगे, जिसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। ''ज्यों-ज्यों होय धर्म कै हानी...'' के जरिए तुलसीदास से जिस प्रभु के अवतरण की बात कही है, वह कुछ और नहीं प्रभावी रचनात्मक शक्तियों का अवतरण ही है। विविध रचनात्मक शक्तियों को एकजुट करने तथा मर्यादित सक्षमता प्रदान करने के कारण ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम

कहा गया। महत्व के मुद्दों पर भारतीयता के अनुकूल, स्पष्ट व सकरात्मक राय का निर्माण कर सशक्त तरीके से शासन-प्रशासन के प्रस्तुत कर उसे तद्नुसार निर्णय व नीति निर्माण को विवश करना।

- समझदार, सक्षम, संकल्पित और भारतीयता के मानदंडों पर खरे नेतृत्व का विकास करना।

कहने को आज भारत में जनतंत्र है, लेकिन क्या यह सच नहीं कि आज हमारे जनप्रतिनिधि स्वयं को हमारा शासक समझते हैं? 'मौलिक भारत' का ऐसा विश्वास है कि संसद, विधानसभा, जिला-ग्राम पंचायतों, टाउन एरिया कमेटी आदि सही मायने में सत्ता नहीं, जनप्रतिनिधित्व का आइना बन सकें; इसके लिए भारतीयता की संकल्पना के अनुरूप जनप्रतिनिधियों की टीम तैयार करना जरूरी है। इसी तरह सामाजिक - प्रशासनिक - वैज्ञानिक व अन्य क्षेत्रों में भी भारतीयता की सोच वाले नेतृत्व विकास का काम भी जरूरी है।

अच्छा नेतृत्व

मौलिक भारत की निगाह में 'मौलिक भारत' मानता है कि सच्चा और अच्छा नेतृत्व वह होता है.....

- जो युवा हो (गौरतलब है कि 'युवा' तन नहीं, मन की अवस्था है।);
- जो उन्हें बखूबी समझता हो, जिनका नेतृत्व उसे सौंपा गया है;
- जो भारतीयता के गुणों से परिपूर्ण हो;
- जो अपने प्रति अपने साथियों के मन में गहरी आस्था व अपनापन जगा सके;
- जो खुद बोलने की जरूरत न हो, उसका काम बोले;
- जो खुद इस बात पर यकीन करता हो और जन-जन को यह यकीन दिलाने में सक्षम हो कि हमारे आस-पास बहुत कुछ सकरात्मक घट रहा है;
- जिसकी अपनी दृष्टि होती है, दूरदर्शिता होती है, लेकिन उसमें जन फैसले के सम्मान की उदारता और अपनी सफलताओं/कार्यों का श्रेय खुद की बजाय दूसरों को देने की हिम्मत हो;
- जिसमें सकरात्मक जनमत निर्माण की क्षमता हो;
- जो जनमत को लागू करा सके।

जनसंसदों का आयोजन व गठन : पहला कदम

उक्त तीन कार्यों को अंजाम देने के लिए प्राथमिक दौर में मौलिक भारत के पूरे भारत में जनसंसदों के आयोजन और गठन का इरादा रखती है।

आयोजन का मकसद

समस्याओं के समाधान व सकरात्मकता के प्रसार में सबसे बड़ी बाधा है - संवादहीनता। जनसंसद का सबसे पहला मकसद है कि संवादहीनता समाप्त कर संवाद के सक्रिय, साझे व रचनात्मक मंचों का विकास करना।

दूसरा महत्वपूर्ण मकसद महत्व के मुद्दों पर रायशुमारी के साथ-साथ सकरात्मक शक्तियों व गतिविधियों की पहचान करना है।

तीसरा मकसद है जब और जिस स्तर पर समस्या हो, तब और उसी स्तर पर और प्रभावितों की राय से समाधान प्रस्तुत करना।

गठन का मकसद

सकरात्मक शक्तियों को एकजुट कर उन्हें भारत व भारतीयता के विकास व नेतृत्व में योगदान के लिए तैयार करना है।

जनता की राय को सरकार हल्के से न ले, इसके लिए एक सशक्त फोरम तैयार करना भी जनसंसद के गठन का अन्य महत्वपूर्ण मकसद है।

जनसंसदः गठन का स्वरूप

प्रत्येक न्यायपंचायत-जनसंसद की ग्राम पंचायत, प्रत्येक तहसील-जनसंसद की जिला पंचायत/पार्षद स्तरीय इकाई, प्रत्येक जिला जनंससद का विधानसभा क्षेत्र होगी। क्रमशः प्रत्येक स्तर के प्रतिनिधियों का नेतृत्व अगले स्तर का प्रतिनिधि होगा। विधानसभा का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र स्तर पर गठित संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। सकरात्मक व जमीनी काम के जरिए प्रदेश/राष्ट्र के स्तर पर अपनी अच्छी पहचान कायम कर चुके लोग संसद/विधानसभा के दूसरे सदन में प्रतिनिधित्व करते हुए वैचारिक व मार्गदर्शक शक्ति की भूमिका निभायेंगे।

स्तर में आवश्यकतानुसार बदलाव के साथ वैज्ञानिक, शैक्षिक, आर्थिक जनसंसदों आदि का भी गठन किया जायेगा। ■

संवैधानिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

यह सर्वविदित है कि भारत का संविधान मूलत: बिटिश संसद के द्वारा बनाए गए ढाँचे, नियमों व कानूनों तथा कुछ अन्य देशों के संविधान से की गयी व्यवस्थाओं का सम्मिलन है। संविधान के व्यवहार में, क्रियान्वयन में अनेकों खामियां/कमियां व सुझाव संविधान विशेषज्ञों/न्यायपालिका, बुद्धिजीवियों व सांसदो आदि द्वारा दिया गया है। राष्ट्रहित में इन सुझावों के अनुरूप संविधान को पुनर्गठित एवं संशोधित करने हेतु एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाना आवश्यक है।

- हम देश का प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठन आवश्यक समझते हैं तथा अधिक छोटे अथवा अधिक बड़े राज्यों के विरूद्ध है।
- संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहार में लाना अब समय की आवश्यकता है। दु:खद है हमारी सरकार इन आदर्शो को व्यवहार में लाने के लिए संवेदनशील नहीं हैं। हम नीति निदेशक तत्वों को मौलिक-कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता देने की माँग करते हैं।
- संविधान ने सुविधा की दृष्टि से राज्यों व केन्द्र के कामों का बंटवारा किया था। व्यवहार में केन्द्र सरकारें अपने प्रभुत्व को दिखाती हुई पक्षपात करनी दिखती है और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों में अत्यधिक सक्रियता दिखा रही है जिससे स्थानीय हितों पर कुठाराघात हो रहा है। हम देश के राज्यों का प्रशासनिक दृष्टि से पुनर्गठन, तुलनात्मक रूप से छोटे राज्यों, समवर्ती सूची का राज्य सूची में विलय और केन्द्रीय सूची के कम महत्वपूर्ण कार्यो को भी राज्यों को सौंपे जाने की माँग करते हैं।
- भारत में न्याय तंत्र में खासी विषमता, जटिलता व बिखराव है। हम सम्पूर्ण न्यायपालिका, सभी कानूनों व व्यवस्थाओं के पुनर्गठन व समसामायिक संदर्भो में पुर्नव्यवस्था व संसोधन की मांग करते है, हम चाहते है हमारी न्याय प्रणाली स्वायत्त, निष्पक्ष त्वरित, प्रभावी एवं जवाबदेह हो।
- भारत में सार्वजनिक पद पर चुने व्यक्तियों के लिए मापदंडों को पुन: परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। अधिकांश पदों पर व्यवसायिक मानसिकता अथवा पक्षपाती प्रवृत्ति के लोगों का बोलवाला है, इससे जनहित में होने वाले कार्यो की मात्रा घटी है और समाज में असंतोष फैलता जा रहा है। इसे दूर करने की प्रभावी व्यवस्था हमारी माँग है।
- भारत के सभी लोक सेवक, जनप्रतिनिधि व सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही शून्य है। ये सामंतवादी मानसिकता से ग्रस्त है। इस व्यवस्था में आमूलचूल परिर्वत करने, इसे जनकेन्द्रित व जबावदेह बनाने की स्थायी व्यवस्था आवश्यक है। लोकसेवकों के सेवानिवृत हो जाने के बाद की सक्रियता पर स्पष्ट प्रभावी व जबावदेह नीति हमारी माँग है।
- भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था व पुलिस प्रशासन की कार्यशैली एवं इससे संबधित कानून सवालों के घेरे में हैं, पुलिस की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न हैं, पुलिस सुधारों पर विभिन्न आयोगों के सुझावों को तुरन्त प्रभाव से लागू करना जनहित में एवं राष्ट्र हित में अत्यावश्यक है।
- सभी सरकारी/सार्वजनिक/राजनीतिक पदो व लोकसेवाओं पर लगे आरोपों की समयबद्ध स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच व कठोर दंडों के प्रावधानों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की निष्पक्ष व पारदर्शी स्थानांतरण नीति होनी चाहिए।
- संवैधानिक रूप से सभी लोक सेवको, राजनीतिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की किसी भी प्रकार की विशिष्ट शक्तियों की समाप्ति की जानी चाहिए।
- भारतीय संसद का पुनर्गठन आवश्यक है। इसके सदस्यों की संख्या तीन गुनी होना आवश्यक है। राज्य सभा के सदस्यों के चयन की मूल प्रणाली लागू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य होना चाहिए। सांसद निधि व सांसदों को करपेरेट घरानों से मिल रहे अवैध धन पर रोक की व्यवस्था होनी चाहिए।
- केन्द्र राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे में लगातार पक्षपात की शिकायते हैं इसकी पारदर्शी व निष्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए। योजना आयोग का वित्त मंत्रालय में विलय होना चाहिए। नदी जल बटवारे के लिए स्थायी रूप से स्वायत्त आयोग का गठन होना चाहिए।
- प्रत्येक जिले में चुनाव लड़ने वाले एवं चुने गये जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए।

राजनीतिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

- पूरा देश हमेशा होने रहने वाले चुनावों से ग्रस्त है जिससे विकास के कार्यों में खासी रूकावट आ रही है। ऐसे में सरकारी खर्च पर पंचायत, जिला परिषद, विधान सभाओं व संसद के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 4 वर्ष व सभी उपचुनाव व राइट टू रिकाल का प्रावधान दो वर्षों पर उपयोग का होना चाहिए। मतदान अनिवार्य हो। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों पर पुनर्विचार हो। दलों में आंतरिक लोकतंत्र के संवैधानिक प्रावधान हों। चुनाव आयोग स्वायत्त हो व सभी सुझाये गये चुनाव सुधार प्रभावी रूप से तुरन्त लागू किये जाये, उम्मीदवारों की घोषणा चुनावों से एक वर्ष पूर्व की जाये। कुलमतों का 51 प्रतिशत पाये उम्मीदवार का चयन ही किया जाये। उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता का मापदण्ड हो। स्थानीय निकायों के चुनाव दलीय राजनीति से परे हों। विधान सभा व संसद में स्थानीय निकायों में चुने गये व्यक्तियों के ही चुनाव लड़ने की अनिवार्यता हो। **दल बदल:** पार्टी व्हिप पर प्रतिबंध हो।
- देश के रक्षा तंत्र में गंभीर खामियां हैं। हमारी विदेशी हथियारों व तकनीक पर निर्भरता बढ़ रही है। रक्षा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों ने व्यापक भ्रष्टाचार फैला रखा है, जो आत्मघाती है। हमारे बड़े सैन्य अधिकारी नित भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस रहे हैं और इससे सारी सेनाओं में असंतोष है। देश की रक्षा सेनाओं में स्वदेशी तकनीक व समयबद्ध आधुनिकीकरण समय की माँग है। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा व बांग्लादेश से हमें निरतंर चुनौतियों मिल रही है। मजबूत, सीलबंद व सुरक्षित सीमाएँ ही इसका एक मात्र विकल्प है। हमारे रक्षा तंत्र को राजनीति से बाहर रखा जाना जरूरी है। रक्षा संबंधी सौदों में पारदर्शिता व ऑडिट जरूरी है।
- हमारी सीमाऐं लगातार अवैध आव्रजन का शिकार हैं। देश में अवैध प्रवासियों की संख्या 3-4 करोड़ तक हो सकती है। इस प्रक्रिया से देश के संसाधनों पर घातक असर पड़ा है। बेरोजगारी, विषमताएं व संघर्ष बढ़े हैं। इन प्रवासियों की समयबद्ध वापसी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- हमारे देश के नाम, भाषा, कानूनों, भवनों, स्मारकों आदि में गुलामी के प्रतीक चिन्हों की छाप है जिससे देश के नागरिक में राष्ट्र के प्रति जुड़ाव व आत्मसम्मान की भावना नही पनप पाती है। इन प्रतीक चिन्हों की समाप्ति अतिआवश्यक है।
- देश के सभी संवैधनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति के स्पष्ट प्रावधान आवश्यक हैं।
- राजनीति से सेवानिवृति व नये लोगों के प्रवेश की उचित व्यवस्था समय की मांग है। इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।
- रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ स्वच्छ पर्यावरण तथा प्रत्येक नागरिक का आध्यात्मिक विकास यह सरकार का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। इसे लागू करने हेतू जनकल्याण कारी, जनकेन्द्रित, पारदर्शी, संवेदनशील, कानून के शासन में विश्वास रखने वाली, सुशासन युक्त, भारतीय संस्कृति व विविधता को सम्मान देने वाली राजव्यस्था की स्थापना हमारी मांग है ।
- हमारी विदेशी नीति व लक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। हमें 'बनाना गणतंत्र'(पिलपिला) कहा जाता है। पड़ोसी देश हमें शंका की दृष्टि से देखते हैं। हम स्पष्ट राष्ट्र हितों के संवर्धन व विश्वशांति के संरक्षण वाले दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। हम राष्ट्रवादी, स्वदेशी व भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका के बढ़ाये जाने के पक्षधर है किन्तु अन्तरराष्ट्रीयवाद के विरोधी नहीं हैं। हाँ, राष्ट्र की कीमत पर विदेशी हितों की पूर्ति हमें स्वीकार्य नहीं। हम चाहते है कि भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीति, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से विश्व के अन्य देशों के सामने एक मापदण्ड बने व आपसी सौहार्द्र की एक मिसाल भी।
- हम विभिन्न समूहों, संगठनों , आंदोलनों व दबाव समूहों की निष्पक्ष व आवश्यक मांगों की तुरन्त सुनावाई के लिए एक विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित करने का मांग करते हैं, जिससे देश को निरन्तर होने वाले बड़े, प्रदर्शन, मांगों व हिंसा से छुटकारा मिल सके।
- सभी संवैधानिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर निष्पक्ष एवं प्रभावी व्यक्ति का चयन एंव उनकी स्वायत्तता बनाये रखना वर्तमान में चुनौती है। हम देख रहे हैं कि सरकारें इन संस्थाओं की स्वायत्तता, निष्पक्षता व गरिमा से खिलवाड़ कर रही है। इसे रोकने के उपाय करना हमारी मांग है।
- चुनाव बाद के किसी भी गठबंधन पर प्रतिबंध होना चाहिए तथा पार्टियों के व्हिप जारी करने के अधिकार समाप्त होने चाहिए।
- जाँच ऐजेंसी सीबीआई की स्वायत्तता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- अपराधी प्रवृत्ति के लोगों व धनबल पर चुनाव लड़ने वालों पर प्रतिबंध होना चाहिए।
- सरकारी पद पर रहते हुए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

सामाजिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

- देश में विभिन्न दलों, संगठनों व संस्थनों को मिलने वाले सीधे विदेशी अनुदानों पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके स्थान पर अर्न्तराष्ट्रीय अनुदान कोष होना चाहिए जो संसद के निर्देशों के अनुरूप कार्य करे।
- देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत विषमताएं अराजकता व बिखराव हैं इसका एकीकरण कर 6 वर्ष से अधिक के सभी बच्चों को आवासीय विद्यालयों में दसवीं तक नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण, कौशल उन्नयन, रोजगारपरक व उच्च शिक्षा के लिए भी स्पष्ट नीतियां बनें। कोचिंगो व ट्यूशनों पर प्रतिबंध लगे। शिक्षा में स्वदेशी अनुसंधान नवोन्मेष एवं स्वरोजगार पर जोर होना चाहिए।
- धार्मिक संगठनों को विदेशी अनुदान, भारतीय सिविल सोसाईटी के कुछ धड़ो, चर्च, राजनीतिक दलों, विदेशी शक्ति व मीडिया के बीच राष्ट्रविरोधी गठजोड़ पर तुरन्त प्रभाव से रोक के लिए कानूनी प्रावधान व कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। अल्पसंख्यकवाद के स्थान पर मानवतावाद व समान नागरिक सांहिता की ओर बढ़ना चाहिए।
- मीडिया व अन्य संचार के संसाधन अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहे हैं। ये अक्सर राजनीतिक दलों, विदेशी कम्पनियों व कारपोरेट घरानों की कठपुतली बन जाते हैं। इनमें लिए स्वायत्तता, उचित वित्तीय पोषण, स्पष्ट जिम्मेदारियों व जवाबदेही के साथ सोशल ऑडिट की भूमिका भी दी जानी आवश्यक है। सरकार व जनता के बीच संवाद का माध्यम बनने के लिए इन्हें और प्रभावी बनाना आवश्यक है।
- हमारे शिक्षा संस्थानों विशेषकर उच्च शिक्षा के संस्थानों का क्षेत्रीय विकास में प्रभावी भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। इनको स्पष्ट व प्रभावी भूमिका देने की कार्यप्रणाली विकसित करना आवश्यक है। ये जिला स्तर पर समाजसेवियों, लोकसेवको, बुद्धिजीवियों, पत्रकरों व जागरूक लोगों, विभिन्न सरकरी योजनाओं व कार्यालयों के बीच तालमेल के अभिकरण वन सकते हैं। विकास के लिए आवश्यक सर्वेक्षण, अनुसंधन व डाटा उपलब्ध करा सकते है तथा राज्यों व केन्द्र सरकार को योजना निर्माण व क्रियान्वयन में स्थानीय प्रेस,/मीडिया व जिला प्रशासन के माध्यम से शुद्ध व सही सुझाव/डाटा आदि पहुँचा सकते हैं। नयी पीढ़ी की सोच व आवश्यकता को श्रंखलाबद्ध करने में भी इनकी प्रभावी भूमिका हो सकती हैं। शिक्षा में योग व अध्यात्म का समावेश आवश्यक है।
- हमने घातक रूप से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कर दिया है और सरकारी सेवाऐं निम्न स्तर की व अविश्वसनीय हैं। जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हैं और स्वास्थ का सही रहना इसकी कुँजी। इस अवधारण पर नि:शुल्क व प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान सरकार का दायित्य हो। भारतीय स्वास्थ्य पद्धतियों आयुर्वेद को बढ़ावा भी इसी का एक आयाम होना चाहिए।
- जनसंख्या का विकराल होता रूप हमारे संसाधनों को खाता जा रहा है व व्यवस्था को लाचार बना रहा है। जनसंख्या नियंत्रण समय की आवश्यकता है। प्रभावी जनसंख्या नीति, जनसंख्या राशनिंग, एक परिवार एक या दो संतान की नीति को सीमित समय के लिए अनिवार्य करना आवश्यक है।
- छात्रवृत्ति, अनुदानों, पेंशनों, सब्सिडी, कर छूट आदि को प्रतिबंधित कर, कम करों वाली प्रणाली एवं सबको रोजगार की नीति अपनानी चाहिए। एक परिवार एक रोजगार का प्रावधान हो तथा परिवार को व्यक्ति व समष्टि के बीच महत्वपूर्ण व कानूनी इकाई वे रूप में मान्यता मिलना जरूरी है।
- अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व ने भारतीयों में खासी हीन भावना का प्रसार किया है। दुनिया के सभी विकसित देश अपनी-अपनी भाषाओं में ही विकास कर सके हैं इस तथ्य को ध्यान रख भारतीय भाषाओं में सभी तरह की शिक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यद्यपि हम अंग्रेजी की महत्वता को नकार नहीं रहे हैं, किन्तु इसकी स्थिति द्वितीय स्तर पर ही होना चाहिए।
- देश के ग्रामीण समाज के हितों पर लगातार कुठाराघात हुआ है। कृषि उत्पादों के मूल्यों पर नियंत्रण कर किसानों की आय को रोका गया है। यह नियंत्रण हटाना जरूरी है। कृषि पदार्थों को बेचने के लिए मंडी तथा संग्रहण के लिए गोदामों/ प्रशीतलन गृहों की प्रत्येक ग्रामपंचायत में उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं का विकास, अच्छी सड़के व कृषि आधारित उद्योग, जैव कृषि का निकास बहुफसली पद्धतियों का विकास, सहकारिता, कुटीर उद्योगों को जोर देकर ग्रामीण समाज की आय में कई गुना वृद्धि की जा सकती है।
- ग्राम स्वराज की भावना के विकास हेतू पंचायतों का कानूनी व आर्थिक सशक्तिकरण व स्वायत्तता अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण की स्पष्ट नीति, कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध, अधिग्रहण की स्थिति में 90प्रतिशत मालिकों से सहमति की अनिवार्यता के प्रावधान होने चाहिए। जल, जंगल जमीन के पर्यावरणीय संतुलनों को बनाये रखने, इस पर रहने वालों के मौलिक व मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के प्रावधन स्पष्ट व प्रभावी होने चाहिए। हमारे पशुधनों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व नदियों के संरक्षण व संर्वधान के लिए स्पष्ट, स्थायी व दूरगामी नीतियों व बाह्यकारी कानून आवश्यक है।
- पंचायतें आज सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की कमीशन ऐजेंट बनकर रह गयी हैं। इस चलन ने ग्रामीणों को भी भ्रष्ट बनाया है योजनाओं को ग्रामपंचायतों के जरिये लागू करने हेतू ग्रामसभाओं केा जागरूक सक्रिय सक्षम व जिम्मेदार बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- सभी प्रकार के आरक्षणों , विशेषाधिकार व संरक्षणों की समाप्ति होनी चाहिए ।
- सभी पदों निजी/सरकारी/सार्वजनिक पर चयन के उपरान्त गहन व दीर्घकालिक प्रशिक्षण अनिवार्य हों। पदोन्नति अथवा सेवा काल को बढ़ाना कार्यकुशलता के आधार पर हो।
- महिलाओं के समान अधिकारों, विकास गरिमा व समान का प्रभावी संरक्षण, उनकी सार्वजनिक जीवन में प्रभावी व निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के प्रावधन । भ्रूण हत्या, देहज, महगी शादियों पर पूर्ण प्रतिबंध, वेश्यावृत्ति की समाप्ति के लिए व वेश्याओं के पुनर्वास के लिए प्रभावी उपाय। बूढ़ों, बेरोजगारों, घरेलू विधवाओं व अशक्तों, विकलांगों, मनोरोगियों, विशेष बच्चों आदि के संरक्षण व विकास के लिए स्पष्ट व प्रभावी कार्य।
- देश में आंतरिक सुरक्षा तंत्र की चुनौती बने सभी कारकों यथा सीमावर्ती राज्यों में आतंकवाद, खनिज पट्टी में नक्सलवाद, भाषा, देश, जाति व धर्म पर आधारित आदोंलनों से निपटने के लिए स्पष्ट नीति व कार्ययोजना के पक्षधर हैं तथा इन राष्ट्रविरोधी मांगों को राजनीतिक रूप देने की अनेक दलों की योजना पर प्रतिबंध की मांग करते हैं। सभी धार्मिक/सामाजिक संस्थाओं की शैक्षिक गतिविधियों को सरकारों क्षेत्र में लेकर पूरे देश मे समान शैक्षिक व्यवस्था के समर्थक हैं जिसके संचालन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों के पास हो।
- सीमापार आंतकवादी शिविरों को सैन्य कार्यवाही द्वारा नष्ट करने तथा देश पर होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष हमले का कड़ाई से जवाब देने की नीति की हम माँग व समर्थन करते हैं।

जन संसद, जन नेता, जनघोषणा पत्र

- मौलिक भारत राष्ट्र के प्रति स्पष्ट सोच वाले व्यक्तियों, समूहों व संगठनों का सांझा मंच है जो अपनी-अपनी निजी पहचान, अहम् व स्वार्थों को परे रख राष्ट्रीय हितों व भारतीयता के विकास के लिए एक साथ आये हैं।
- मौलिक भारत मानता है कि यदि कोई व्यक्ति, समूह या संगठन राष्ट्र के प्रति समर्पित हो तो अपने संगठन के सीमाओं से पार जाकर भी वह उसे समर्थन दे सकता है।
- मौलिक भारत भारत के संविधान के मूल दर्शन में पूर्ण आस्था रखता है और यह जानता है कि हमारी राज-व्यवस्था कतिपय कारणों व अपनी कमजोरियो के कारण भटकाव का शिकार हो गयी है और संविधान के मौलिक स्वरूप व आदशों को मूर्तरूप नहीं दे पा रही है। निश्चित रूप से यह हमारे नेतृत्व की असफलता है। अत: हम पंचायत से लेकर संसद तक देश में नये नेतृत्व के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करना चाहते हैं।
- हम ऐसा नेतृत्व विकसित करना चाहते हैं जो ग्राम से लेकर केन्द्र तक एक विकल्प के रूप में स्थापित हो, जिसको अपने पद की जिम्मेदारियों का सम्पूर्ण रूप से ज्ञान हो, जो साखयुक्त हो जिसमें नेतृत्व के गुण हों और जो समग्र चिन्तन रखता हो। ऐसे व्यक्तियों का समूह ही देश में समग्र व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है और संविधान को भी अधिक व्यवहारिक, लोकतांत्रिक, भारतीय, जन केन्द्रित, समसामयिक संदर्भो में प्रासंगिक बना सकता है।
- नये नेतृत्व के विकास के मौलिक कार्य को व्यवहार में लाने के लिए 'मौलिक भारत' पंचायत, ब्लाक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर 'जनसंसद' का गठन करेगा। अनेक वर्षों के चिंतन, मनन व अध्ययन के उपरांत 'मौलिक भारत' ने एक 'दृष्टिकोण पत्र' प्रस्तुत किया है। हम इसे लेकर जनता के बीच जायेंगे।
- जन संसदों में जनता इन मुद्दों पर गंभीर व सारगर्भित बहस करते हुए है, इस दृष्टिकोण पत्र को संशोधित करेगी। इन संशोधनों व मंथन के निष्कर्ष के रूप में प्राप्त अंतिम 'जन घोषणा पत्र' को व्यवहार में लाने के लिए हम राजव्यवस्था पर लोकतांत्रिक तरीके से दबाब डालेंगे।
- हमारे प्रयास रहेंगे कि अगले कुछ वर्षों में सम्पूर्ण देश में नये नेतृत्व का विकास हो सके तथा जनसंसदों द्वारा स्वीकृत दृष्टिकोण पत्र से स्वीकृत मुद्दों के इर्द गिर्द ही राजनीति हो। ऐसी राजनीति देश को एक बौद्धिक एवं आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देगी जो पूर्णत: लोकतांत्रिक, जन केन्द्रित एवं समग्र होगा।
- अपने परिपक्व रूप में जन संसदें जन निगरानी तंत्र, जन लोकपाल व सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भी करने लगेगी। साथ ही प्रत्येक जन संसद एक सहायता नंबर एवं पोर्टल भी चलायेगी जो सभी शिकातें एवं सुझावों को संबधित व्यक्तियों जनप्रतिनिधियों, मीडिया सरकारी गैर सरकारी अधिकारियों तक पहुँचाकर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतू सतर्क करेगी।
- विभिन्न जनससंदों से आने वाले सुझावों को अधिक स्पष्ट, व्यवस्थित एवं बहु आयामी करने के लिए ई-संसद की शुरूवात केन्द्रीय जनसंसद करेगी।
- प्रारभ में मौलिक भारत की केन्द्रीय राज्य जिला व ब्लाक इकाईयां जनसंसदों का गठन करेंगी।

आर्थिक सुधारों हेतु दृष्टिपत्र

- देश जी.डी.पी. आधारित विकास दर के मापदण्डों पर बढ़ रहा है विकास कर रहा है किन्तु यह व्यक्ति के विकास को इंगित नहीं करता। राष्ट्र की जी.डी.पी. बढ़ रही है किन्तु आम व्यक्ति (70-80 प्रतिशत लोगों) की आय में खास बढ़ोत्तरी नहीं है। वर्तमान विकास मात्र 10-20 प्रतिशत लोगो की संवृद्धि का वाहक बन गया है। हम इकाईवाद के समर्थक है तथा जी.डी.पी. के साथ आय व अवसरों के समान वितरण व हयूमन हैप्पीनेस इंडेक्स (मानव संतुष्टि मानक, एच.एच. आई) के समर्थक है। अत: हम आर्थिक नीतियों में जनकेन्द्रित बदलावों की मांग करते है।
- हम भारत को एक बड़ी संख्या वाले राष्ट्र के रूप में देख रहे है जो 100 प्रतिशत शहरी हो ही नहीं सकता। हमारी 60-65 प्रतिशत जनता कृषि व ग्रामीण व्यवस्था के इर्दगिर्द है। अत: हमारी मांग है कि राष्ट्र के संसाधनों का बटंवारा जनसंख्या के अनुरूप हो। शहरीकरण की तथा शहरों के विकास की सीमाएं लागू हों। अधिकतम 50 प्रतिशत जनसंख्या का ही शहरीकरण किया जाये। विकास की हदबंदी हो, शहरों के फैलाव की हदबंदी हो और जनसंख्या के शहरीकरण की हदबंदी हो। देश की आर्थिक नीतियां शहरी व ग्रामीण दृष्टिकोण से अलग-अलग बने व इसके लिए आवश्यक कानूनी व संवैधानिक प्रावधान हों। 5 लाख से अधिक आबादी के शहरों के विकास पर प्रतिबंध होना चाहिए।
- देश के विकास का जन-निजी भागीदारी पीपीपी माडल विफल साबित हो चुका है। सार्वजनिक निगमों व सरकारी सम्पत्तियों, खनिज व प्राकृतिक संसाधनों की लूट ने निजीकरण व पूँजीवादी व्यवस्था की कलई खोल दी है। हमारे मंत्रालयों के अधिकारियों ने काम करना बंद कर दिया है और नीति निर्माण का कार्य विदेशी कम्पनियों, अन्तरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ व 125 परामर्शदाता कम्पनियां व कारपोरेट मिल कर रहे हैं। यह पूर्णत: जनविरोधी व संविधानविरोधी है और हम इसका पुरजोर विरोध करते है। हम बाजारविरोधी नहीं है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं। हम सहकारिता को बढ़ावा दिये जाने के पक्षधर हैं और प्राकृतिक व खनिज संसाधनों पर जनता के हक को सही मानते है और सरकार को इसके कस्टोडियन (संरक्षक) की भूमिका में देखते हैं और इसके लागू करने हेतू संवैधानिक प्रावधानों की मांग करते हैं। देश में सरकारी व निजी क्षेत्र के साथ साथ विभिन्न उद्योग समूहों, धार्मिक व सामाजिक संगठनों व जमीदारों के पास बहुत सारी अनुपयोगी भूमि पड़ी है। हम इस सभी भूमि का राष्ट्र हित में अधिग्रहण कर भूमि-बैंक बनाने के पक्षधर हैं ताकि आगामी योजनाओं हेतू कृषकों से भूमि अधिग्रहण करने के स्थान पर इस भूमि का उपयोग किया जा सके। भूमि अधिग्रहण की स्थिति में पुनर्वास, उचित मुआवजा व समयबद्ध क्रियान्वयन की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।
- बेतरतीब शहरीकरण के कारण शहर कुव्यवस्था, स्लम संस्कृति, अपसंस्कृति व बिल्डरों के व सरकारी अधिकारियों व नेताओं के लूट तंत्र की मिसाल बन चुके हैं। सभी स्लमों का सुविधाओं से सम्पन्न कालोनियों में परिवर्तन, बिल्डरों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून, विकास प्राधिकरणों की प्रभावी भूमिका व अधिक शहरीकरण पर रोक के प्रावधान समय की माँग है।
- देश कारपोरेट घरानों के मकड़जाल में है। एक-एक कर ये घराने सारे संसाधन हड़पते जा रहे हैं। ये नीति निर्माण प्रक्रिया को अपने हित में बदलने में सफल रहे हैं। दुर्भाग्य से ये खुले बाजार के प्रावधानों व मापदंडों पर खरे नहीं उतरते। इनकी प्रवृत्ति सामंतवादी व अधिनायकवादी हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस कम्पनियों के 80-90 प्रतिशत शेयरों पर इसके प्रमोटरों का कब्जा है जो विश्व के विकसित देशों उदारवाद के मानकों के विरूद्ध है जहाँ यह शेयर 10 से 25प्रतिशत तक ही हैं तथा अन्य शेयर धारको की संख्या लाखों या करोड़ों में है। इन कम्पनियों ने नियमों में फेर बदल कर बॉयबैक पद्धति से धीरे - धीरे अपने शेयर वापस खरीद कर पूरी कम्पनी पर कब्जा कर लिया और उदारवाद को लूटतंत्र में बदल दिया है ।
- कारपोरेट घरानों की कार्यप्रणाली संदिग्ध है व देश के विरूद्ध भी। ये विदेशी निवेश (मारिशस रूट, मलशिया रूट व सिंगापुर रूट) के नाम वह भारी मात्र में कालेधन को वापस अपने उद्योगों में लगा रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से पिछले 5 वर्षों में उद्योगों द्वारा लिए 14 लाख करोड़ रूपये के ऋण का अधिकांश भाग विदेशी निवेश व विदेशो में सम्पत्तियों, खानों व कम्पनियों के अधिग्रहण में लगा दिया था। आर्थिक मंदी के नाम पर भी ये उद्योग, सरकार से 13 लाख करोड़ रूपयों की कर छुट ले चुके हैं। देश में पिछले कुछ वर्षो में खुले लाखों करोड़ के घोटालों में इनकी सत्ता तंत्र के साथ नापक गठजोड वे घोटालों का लगातार खुलासा हुआ है। इन्होंने पिछले आठ वर्षों में भारी ऋण लेने के बाद भी मुश्किल से 20 लाख रोजगार भी पैदा नहीं किये। जिस कारण देश के युवाओं में व्यापक बेरोजगारी व असंतोष फैला हुआ है। हम इस करपोरेट लूट व गठजोड़ को रोकने व इस पर प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करते हैं।
- हम कालेधन की अर्थव्यवस्था, सरकारी तंत्र की लूट व कारपोरेट अराजकता के विरूद्ध एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की मांग करते है। इसे प्रभावी बनाने के लिए ''एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/एनजीओ - एक बैंक खाता'' की मांग करते है। यह बैंक खाता, पहचान पत्र व सभी वित्तीय लेन देन के स्रोत के रूप में कार्य करे यह हमारी मांग है।
- हम सट्टा, जुआ, वायदा करोबार, शेयर बाजार, नशे की अर्थव्यवस्था, जमीनों के बेनामी सौदों के खिलाफ हैं। अगर किसी स्तर पर यह सीमित मात्रा में अनिवार्य हो तो इन पर उचित प्रतिबंध, नियमन, व स्पष्ट कानून व पारदर्शी नियंत्रण तंत्र होना चाहिए। साथ ही देश और विदेशों में मौजूद कालेधन की वापसी के पुख्ता एवं समयबद्ध उपाय लागू होने चाहिए।
- हम प्राकृतिक व खनिज संसाधनों पर समाज का हक व नियंत्रण मानते है व सरकार की भूमिका इसके संरक्षक की समझते है। इस अवधारणा को कानूनी रूप देना अनिवार्य है।
- हम करों, कर प्रणाली के सरलीकरण व सीमितकरण की मांग करते है व कर चोरी के सभी रास्तों पर प्रतिबंध के प्रावधानों को लागू करने की मांग करते है।
- उपभोक्ता संरक्षण के लिए कठोर कानूनी प्रावधांन व प्रत्येक ब्लाक में अदालतें तथा उनमें योग्य न्यायधीश व समयबद्ध निर्णयों का प्रावधान हो।
- हम निजीकरण के विरोधी नहीं है किन्तु निजी क्षेत्रों के नियंत्रण के

नियमीकरण की स्पष्ट व प्रभावी व्यवस्थाएं व इसके रोजगारपरक होने की मांग करते है। हम सी.एस.आर. फंड को लाभ का 5प्रतिशत करने की मांग करते है व इसको एक संसदीय कोष द्वारा एकत्र कर सामाजिक हितों में खर्च करने की मांग करते हैं।

- हम तकनीक, प्राद्यौगिकी, अनुसंधान, शोध व उपभोक्ता सामान सभी में स्वदेशी की मांग करते है तथा भारतीय शिक्षा संस्थानों में पढ़े लोगों की विदेश जाने पर राष्ट्रीय हित में एक नीति पत्र की मांग करते है। हम उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश व संस्थानों के प्रवेश के खिलाफ हैं।
- हम रिटेल, पेंशन-बीमा, मीडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य व संचार में विदेशी निवेश के खिलाफ हैं।
- आर्थिक विकास को समग्र विकास की ओर मोड़ने के लिए उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की दूरी घटना आवश्यक है। जिसके लिए विभिन्न के बीच में तालमेल की जिम्मेदारी केा केन्द्रित करने तथा क्रियान्वयन को विकेन्द्रित करना जरूरी है।
- हम प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल की चक्रीय व्यवस्था अपनाने के पक्षधर हैं। सीमित उपयोग, उपयोग से हुई क्षतिपूर्ति की भरपाई और फिर सीमित मात्र में उपयोग। जिससे हम अनन्त समय तक पृथ्वी पर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अस्तित्व को बनाये रख सकें।

  बिजली, पानी जंगल, खनन, औद्योगिक उत्पाद सबके उपयोग की सीमाऐं निधारित करना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक स्थानीय नागरिकों का हो व उनकी इसके अनुरूप शिक्षा व प्रशिक्षण हो ।
- भू संसाधनों का जंगल हेतू 33 प्रतिशत आरक्षण किया जाना सरकारी नीति है ऐसे ही कृषि भूमि, नदी भूमि, पहाड़, जलसंचयन ढांचा क्षेत्र, चारागाहों आदि के भू क्षेत्र का निर्धारण भी जरूरी है। इसे फारेस्ट रिजर्व (संरक्षित वन) के अनुरूप एग्रोरिवर कॉमन रिजर्व एरिया' के रूप में नोटिफाइ किया जा सकता है।
- शहरीकरण व नगरविकास का स्पष्ट ढांचा बनाना होगा व सभी शहरों का पुनर्निर्माण इसी के अनुरूप हो। ग्रामीण, शहरी, औद्योगिक, संस्थागत, रिहायशी, हरित सभी क्षेत्र का आबादी व भूगोल के अनुसार स्पष्ट बटंवारा जरूरी है।
- आबादी के अनुरूप ही सभी संसाधनों का विकास जरूरी है। प्रकृति कितने मानवों का भार वहन कर सकती है, विकास के समय यह जरूरी शर्तें होनी चाहिए। विकास ऐसा हो कि लोग शहरोन्मुखी न हों, ग्रामोन्मुखी हों तब संतुलन बना रहेगा। इसके लिए ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं जो गुणवत्तापूर्ण हों, का विकास आवश्यक है।
- जल यातायात, गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों के तीव्र विकास की योजनाएँ बनें।
- 100 प्रतिशत सरकारी, सार्वजनिक व सरकारी निजी भागीदारी वाली योजनाओं, आमदनी व खर्च का सरकारी व सामाजिक व ऑडिट का प्रावधान होना चाहिए।
- हम सभी बैकों व वित्तीय तंत्र द्वारा किसी भी प्रकार के ऋणों के वितरण की व्यवस्था की पारदर्शी व श्रेष्ठ मापदण्डों पर आधारित प्रक्रिया चाहते है व पिछले सभी ऋणों के वितरण की समीक्षा की मांग करते है।
- देश में जाली नोटों के प्रसार के पीछे के कारण व निवारण की प्रणाली विकसित करने की मांग करते हैं।
- हम सीएजी के अधिकारों में वृद्धि की मांग करते हैं तथा सौ प्रतिशत सरकारी, निजी-सार्वजनिक भागीदारी की सभी योजनाओं तथा सभी सरकारी खरीद व खर्चों की सीएजी द्वारा ऑडिट की मांग करते हैं।

वस्तुत: उपरोक्त सभी कार्य व सुधार करने के बाद ही हम विकसित देश बनने की तरफअग्रसर हो सकेंगे। इस स्थिति में पहुँचने के बाद हमने तीसरे व अंतिम दौर के दृष्टिकोण पत्र के रूप में विस्तृत रूप से अपनी वेबसाईट http://www.maulikbharat.org पर दिया है जिसके पूर्णत: परिपालन के उपरान्त भारत विश्व का सबसे सुखी, विकसित व विकेन्द्रित व प्रकृति केद्रित विकास का उदाहरण बन जायेगा।हमारा उद्देश्य राजनीति तंत्र व आर्थिक तंत्र की तर्क आधारित कार्यप्रणाली तथा सामाजिक तंत्र व धार्मिक तंत्र की भावनाओं पर आधारित जीवन शैली के बीच विशिष्ट समन्वय स्थापित करना है।

राष्ट्रीय सलाहकार समिति

• जनरल विनोद सहगल • प्रमोद चावला • प्रणाम मीना ओम • कमल शर्मा • जेरोनिनो अल्मेड़ा • जसवीर सिंह • राकेश दुबे • गोपाल अग्रवाल • राजीव भगवन • अतुल कृष्णजी महाराज • मधु पूर्णिमा किशवार • डॉ. प्रदीप कुमार • आभा सिंह • वाई.पी. सिंह • महेश गुप्ता • मुकेश कुमार

राष्ट्रीय कार्यकारणी

• अनंत त्रिवेदी • पवन सिन्हा • स्वामी चतुर्वेदी • गजेन्द्र सोलंकी • अनुज अग्रवाल • डॉ. नेपाल सिंह तोमर • डॉ. अमर नाथ ओझा • सुसज्जित कुमार • सुभाष सिंह • प्रमोद सैनी • राजकमल मिश्रा • रवि शंकर • राजेश गोयल • राजीव चतुर्वेदी • किशोर बर्थवाल • नीरज कुमार • सुरेश चिपलूनकर • अभिनव शंकर • अफरोज आलम • नूतन ठाकुर • मेजर संगीता तोमर • महेन्द्र प्रताप सिंह • डॉ. इन्दु चौधरी • विराजा महापात्रा • गौरव अग्रवाल • समीर कुमार • टी.के. जैन • शरीफ भारती • आशुतोष सिंह • डॉ. ए.के. सिंह • संजय शर्मा • इंदु भूषण • विजय आर्या • नवनीत कुमार • निर्मल सिंह • अरूण मलिक • जितेन्द्र गौड़ • पंकज गोयल • राकेश चौहान • रजनीश झा • अजय 'एकल' • भावेश पांडेय • सतीश त्रिपाठी • रामस्वरूप रावतसरे • विकास शुक्ला • धनंजय कुमार • एम.सी. राज • मनीराम शर्मा • राजेन्द्र धर • हेमराज बंगिया • मोतीलाल गुप्ता • अतुल देशमुख • प्रदीप लोखांडे • धनंजय सिंह • राकेश कुमार • शशांक शर्मा • विकास गुप्ता • संजीव गुप्ता • नीरज सक्सेना • सुश्री अनीता गौतम • दीपक पवार • उमेश गौड़ • रजनीश झा • मृत्युंजय सिंह • ईश्वर दयाल कंसल • वरदान चन्द्र • दिवाकर मिश्रा • योगेन्द्र यादव • आचार्य सुनील • कर्नल अजयवीर • सूर्यप्रकाश कपूर • अनिल सुभाष • गोपाल प्रसाद • नीरज भाटिया • मधुसूदन अग्रवाल • सुरेन्द्र मानव • सुरेश शर्मा • नवीन कौशिक • प्रताप चपराणा • आर.एन. द्विवेदी • जितेन्द्र खुराना • एस.पी. सिंह • मुकेश शर्मा • विश्वासानंद शास्त्री

भारत निर्माण की पूर्ण रणनीति

किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सही रणनीति का चुनाव अत्यंत आवश्यक है। साथ ही रणनीति का पूर्ण होना भी आवश्यक है। अपूर्ण रणनीति लक्ष्य को पाने का आभास तो देती है परंतु वास्तव में लक्ष्य काफी दूर होता है। इस अपूर्ण रणनीति से लक्ष्य कभी भी नहीं प्राप्त की जा सकती। उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब रणनीति में छूटी बातों को समाविष्ट करके उसे पूर्ण बनाया जाए। इसके बिना भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा आंशिक तौर पर नहीं सुलझाया जा सकता। रणनीति का यह बचा हुआ भाग देश के कुछ साहसी, दृढप्रतिज्ञ और समर्पित युवाओं द्वारा तैयार किया गया है। उनका यह प्रयास अनेक शानदार परिवर्तन लाएगा। यह भ्रष्टाचार, भूख, अपराध, कर चोरी आदि को एक निश्चित समय सीमा में समाप्त करेगा।

भ्रष्टाचार, भूख, अपराध, कर चोरी आदि वास्तविक समस्या के केवल लक्षण मात्र ही हैं। हमें समस्या के मूल यानी कि हमारे जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति उदासीनता पर चोट करना होगा। हम इसका एक जबरदस्त विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, खेल, रोजगार, तकनीक, कृषि, पोषण, सुरक्षा, मनोरंजन, पर्यावरण आदि सभी आयामों पर 50 बडी परियोजनाओं वाला एक समेकित परावर्तन कार्यक्रम शामिल है। यह समस्त देशवासियों को काफी कम समय में सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।

भारत का भविष्य : समस्त भारतीय जनता का जीवन स्तर 100 गुना बेहतर बनाना जिससे संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास सूची में भारत का स्थान वर्तमान 134 से प्रथम 10 में हो.

क. लक्ष्य → समस्त जनता के जीवन स्तर में भारी उत्थान - भारत में रहने वाले सभी भारतीयों का जीवन 100 गुना बेहतर :

1. भारत में शून्य भ्रष्टाचार जिससे ईमानदार देशों की सूची में भारत का प्रथम स्थान - 2 माह
2. समस्त भारतीय जनता के रहने के लिए 24 घन्टे विद्युत, जल तथा गैस सहित आरामदेह एवं आधुनिक आवासगृहों की उपलब्धि - 10 वर्ष
3. निम्न 80 प्रतिशत आयधारियों की क्रय शक्ति में 10 गुना वृद्धि - 10 वर्ष
4. समस्त जनता की औसतन आयु मे 20 वर्ष की वृद्धि तथा 80 प्रतिशत लघुतम लँबाई के लोगों की लँबाई में 15 सेंमी की वृद्धि - 15 वर्ष
5. 200 ओलंपिक स्वर्ण पदक, संसार के 100 श्रेष्ठतम टेनिस, बैडमिंटन, टेबलटेनिस खिलाड़ी प्रत्येक तथा संसार के सर्वप्रथम हाकी, फुटबाल, एथलेटिक्स, वालीबाल, तैराकी दल - 15 वर्ष
6. 10 नोबल पुरस्कार - 15 वर्ष
7. स्वचालित यन्त्रों सहित जल संकलन, निकास जाल द्वारा विस्तृत बाढ़ एवं अकाल नियन्त्रण प्रणाली तथा मौसम (कोहरा, वर्षा,आँधी, आर्द्रता) नियन्त्रण प्रणाली का निर्माण-10 वर्ष
8. 100 गुना बेहतर सार्वजनिक यातायात व्यवस्था तथा कठोर यातायात नियन्त्रण नियमों सहित विस्तृत सड़क जाल का निर्माण - 5 वर्ष
9. समस्त जनता के लिये सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा, सेवानिवृत्ति-वेतन, चिकित्सा सुरक्षा एवं 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उनके घर में चिकित्सक द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच (जोकि योरोप में भी उपलब्ध नहीं है) - 2 वर्ष
10. आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा तथा जल, थल एवं वायु सेना में भारत की विशालता एवं जनसँख्या के अनुसार 10 से 50 गुना वृद्धि - 2 वर्ष
11. शिक्षा सुधार, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए योग, कला, भाषाएं (प्रान्तीय, विदेशी) तथा खेल, 100 प्रतिशत साक्षरता, व्यवसायिक शिक्षा, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की शिक्षा, समस्त शिक्षा उच्च कोटि की एवं निःशुल्क - 3 वर्ष
12. कर प्रणाली में सुधार जिससे नागरिकों का धन उन्हीं के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाय न कि अत्यधिक धनी देशों के लाभ के लिए - 3 वर्ष
13. समस्त भारत मे लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की सामान्य जनता के साथ शनिवार तथा रविवार को सार्वजनिक सभाएं, जनता द्वारा निगरानी एवं निर्देशन तथा सुझावों पर तुरन्त कार्यवाही - 3 महीने
14. राजनैतिक प्रणाली सुधार, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, आदि जिससे सार्वजनिक धन व्यर्थ न गँवाया जाय - 2 वर्ष
15. 100 गुना बेहतर स्वच्छता, 2 लाख गुलाब तथा अन्य पुष्प उपवन - 2 वर्ष
16. प्राकृतिक विपत्ति जैसे बाढ़, भूकम्प आदि की दशा में तुरन्त सहायता, बाढ़, गर्मी की लू या ठण्ड से कोई मृत्यु नहीं - 2 वर्ष
17. शून्य अपराध तथा 100 गुना बेहतर न्याय प्रणाली - 3 वर्ष
18. आरक्षण समस्या के 100 गुना बेहतर समाधान से आरक्षण नीति का उन्मूलन - 2 वर्ष
19. सभी प्रकार के प्रदूषण जैसे शोर, औद्योगिक एवं अन्य की मात्रा में 100 गुना घटाव तथा कठोर नियन्त्रण - 5 वर्ष
20. ऊर्जा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, औषधीय, वैमानिकी, यातायात, जैव प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, बुद्धिमान यन्त्र, भारी यन्त्र, अर्द्धचालक आदि के क्षेत्र में उच्च-स्तरीय अनुसन्धान केन्द्र-3 वर्ष
21. 1 हजार मनोरंजन क्रीडावन - 5 वर्ष

22. 20 गुना अधिक कृषि उत्पादन - 5 वर्ष
23. शून्य काला धन एवं शून्य कर चोरी - 2 वर्ष
24. पूर्व गुलामों के राष्ट्रमंडल समूह का त्याग - 3 माह
25. भारतीय रूपया संसार की सर्वप्रथम मुद्रा - 10 वर्ष

ख. लक्ष्य प्राप्ति के उपाय => समस्त स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं उत्पादन सुविधाओं द्वारा रुपये का 50 गुना उन्मूल्यन :

1. युद्धयान, पनडुब्बी, टैंक, प्रक्षेपास्त्र, वायुयानवाहक, सभी रक्षा सामग्री वर्तमान उच्च तकनीक से अधिक उन्नत - 10 वर्ष
2. 500 आसन तथा 3000 किमी. प्रति घंटा की तीव्रगति वाला वायुयान - 10 वर्ष
3. 600 किमी. प्रति घंटा की तीव्रगति वाली गाड़ी, कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अमृतसर से इंफाल तक की यात्रा प्रत्येक 5 घंटों में-10 वर्ष
4. ब्रह्मांड में अन्य सूर्य मंडल की मानवीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला द्वारा खोज, माध्यमिक गंतव्य स्थान मंगल ग्रह - 15 वर्ष
5. 50 प्रतिशत सौर्योर्जा, 50 प्रतिशत नाभिकीय संघटन ऊर्जा तथा अन्य ऊर्जा स्रोतों की खोज, 300 नाभिकीय रिएक्टर - 10 वर्ष
6. दूरसंचार अनुसंधान द्वारा सभी स्वदेशी दूरसंचार उपकरण एवं सभी घरों में प्रकाशिक तन्तु से स्थापित संबन्ध का निर्माण - 5 वर्ष
7. स्वदेशी वैयक्तिक गणक एवं महागणक - 5 वर्ष
8. 200 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, 200 भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान, 200 भारतीय प्रबंधक संस्थान, 50 हजार निम्न माध्यमिक कुशलता के व्यवसायिक विद्यालय - 5 वर्ष
9. 1 लाख बालकों, युवाओं तथा वृद्धों के क्रीड़ा-स्थल एवं क्रीड़ा-गृह - 2 वर्ष
10. 10 हजार अत्युच्च कोटि के चिकित्सालय - 5 वर्ष
11. नवीन उपकरणों का विकास जैसे चक्रवात निवारण, जलवायु नियन्त्रण, भाविष्यिक यात्रा से संबन्धित - 10 वर्ष
12. भारतीय उच्च कोटि की कार, सुविधापूर्ण बस - 10 वर्ष
13. विश्व का विशालतम नक्षत्रदर्शक यन्त्र - 15 वर्ष

14. सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म चिप अवयवों का विकास तथा उत्पादन - 5 वर्ष
15. सभी अत्याधुनिक चिकित्सा यन्त्रों एवं उपकरणों का विकास तथा उत्पादन - 5 वर्ष
16. सभी भारी औद्योगिक यन्त्रों जैसे सड़क निर्माण, भारोत्तलन, गणक नियन्त्रित संख्यात्मक यन्त्रादि का विकास एवं उत्पादन - 10 वर्ष
17. उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक उपकरण - 10 वर्ष
18. कूड़ा गंदगी एवं वातावरण प्रबन्ध - 2 वर्ष
19. 20 हजार प्राकृतिक विपत्ति तथा आकस्मिक दुर्घटना में शीघ्र सामान्य स्थिति की प्राप्ति के लिए आधुनिक उपकरणो से सुसज्जित सहायता केन्द्र - 2 वर्ष
20. न्यायिक व्यवस्था की सुविधाओं, न्यायालयों, न्यायाधीशों, न्याय कर्मचारियों आदि में 50 गुना वृद्धि - 3 वर्ष
21. नवीन कर, कार्य, शिक्षा, आन्तरिक सुरक्षा तथा आवास से संबद्ध सामाजिक कल्याण विभाग, 60 हजार राष्ट्रखंड एवं 12 उत्तरदायी, सभी विडियो वी पी एन से जुड़े हुए - 1 वर्ष
22. 60 हजार भारतीय शास्त्रीय (दक्षिणी, उत्तरी, रबीन्द्र संगीत) पश्चिमी शास्त्रीय (पिआनो, वाद्य यन्त्र समूह) संगीत विद्यालय - 2 वर्ष
23. 20 लाख अत्यन्त स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय जिसमें से 1 लाख 10 बड़े शहरों में प्रत्येक - 2 वर्ष
24. कृषि अनुसंधान एवं सुधार, श्रेष्ठतर एवं उन्नत कृषि कार्य प्रणाली, किसानों को आर्थिक सहायता - 3 वर्ष
25. 60 हजार अल्पमूल्यिक, विशाल, उच्चकोटि के व्यापारगृह जिससे कीमतें नियन्त्रित रहें तथा 10 हजार दुग्धालय - 3 वर्ष
26. निरंतर कार्यरत सुरक्षित और विश्वसनीय भुगतान व्यवस्था, तीस लाख निरंतर कार्यरत भुगतान सहायता केन्द्र तथा एक लाख बीस हजार बैंकों शाखाओं की स्थापना, सभी व्यक्ति, व्यापारी तथा दुकानदारों का बैंक खाता अनिवार्य, समस्त लेनदेन भुगतान बैंक मुद्रा पत्रक द्वारा, एक माह में बैंक से एक हजार रूपये से अधिक नगद नहीं - 2 वर्ष ■

क्यों नहीं लागू होते नीति निर्देशक तत्व ?

1. अनु. 39(ख) समुदाय के भौतिक संसाधानों के स्वामित्व व नियन्त्रण के इस प्रकार के वितरण को सुनिश्चित करने की अपेक्षा राज्यों से करता है, जिससे सामुहिक हित को सर्वोत्तम तरीके से साधा जा सके और अनु. 39 (ग) में आर्थिक व्यवस्था के इस रूप में संचालन पर जोर देता है, ताकि आर्थिक संकेन्द्रण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। 25वें सविधन संशोधन के द्वारा अनु. 31 ग जोड़ते हुए अनु. 39 (ख) और (ग) को अनु. 14 में उल्लेखित मूलाधिकारों पर वरीयता दी गई। संसद के इस रूख को केशवानन्द भारती वाद के निर्णय में न्यायपालिका ने भी स्वीकार किया और इसी से उत्साहित होकर 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर वैधानिक अधिकारों का दर्जा दिया गया।

2. अनु. 39 (घ) पुरूष और स्त्रियों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन की बात करता है। इस दिशा में कदम उठाते हुए, राज्य के द्वारा अधिकाधिक स्तर पर लोक-नियोजन में इस संकल्पना को लागू किया गया। अनु. 39 समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता का उपबन्ध करता है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य गरीब और अभावग्रस्त लोगों को, जो अपने लिए विधिक सहायता उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ हैं, नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता हैं। किंतु व्यवहार में अभी बहुत कुछ किया जाना है।

3. अनु 40 ग्राम पंचायतों के गठन और उनके सशक्तिकरण की अपेक्षा राज्य से करता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को वैधानिक ढांचा प्रदान किया गया और उनमें कमजोर व वंचित वर्ग के लोगों की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। किंतु पंचायतों के आर्थिक सशक्तिकरण के अभाव में इनकी प्रासंगिकता बहुत कम है।

4. अनु. 41 कुछ दशाओं में काम, स्वास्थ्य और लोक सहायता पाने के अधिकार का उल्लेख करता है। अनु. 45 अपने मूल रूप में राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह 6-14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की अनिवार्य व नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में अनु. 21 जोड़ते हुए अनिवार्य व नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा को मूलाधिकार का दर्जा दिया गया। इसी आलोक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। इससे पूर्व 1992 के मोहित जैन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को अनु. 21 से जोड़कर देखते हुए, मूलाधिकार का दर्जा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में अनु. 31 के अन्तर्गत गरिमामय जीवन का अधिकार समाहित है और प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध करवाये बिना गरिमामय जीवन को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार जीवकोपार्जन के अधिकार की अनु. 21 के परिप्रेक्ष्य के व्याख्या करते हुये न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि किसी को न्यूनतम मजदूरी न देना अनु. 21 का उल्लंघन है। सरकार के द्वारा कई रोजगारपरक कार्यक्रम आरंभ से ही चलाये जा रहे हैं। विशेष रूप से 1970 के दशक और उसके बाद ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ती चली गई। 2005 में सरकार ने नरेगा (अब मनरेगा) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की विधिक गारंटी प्रदान की और ऐसा न कर पाने स्थिति में क्षतिपूर्ति के रूप में बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाए जायेंगे। इसी प्रकार कमजोर, वंचित और अशक्त लोगों को राज्यों की ओर से लोक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। किंतु व्यापक भ्रष्टाचार के कारण ये असरहीन है।

5. अनु. 42 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह न्याय के लिए न्यायसंगत व मानवोचित दशा उपलब्ध कराए। इस आलोक में राज्य की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। किंतु और उपायों की आवश्यकता

6. अनु. 46 अनुसूचित जातियों व जनजातियों के साथ-साथ अन्य दुर्बल वर्गो व शोषित-उत्पीड़ित समुदाय के आर्थिक हितों के संरक्षण व संवर्धन की अपेक्षा राज्यों से करता है। इस आलोक में लोक-नियोजन के साथ-साथ शिक्षण-संस्थाओं में राज्यों की ओर से आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति के शोषण व अपमान, उपेक्षा व तिरस्कार से रक्षा के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं और उन्हें गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह व्यवस्था व्यापक बदलाव की मांग करती है।

7. अनु. 47 पोषण-स्तर को बनाए रखने व जीवन-स्तर को ऊंचा करने के साथ-साथ लोकस्वास्थ्य में सुधर हेतु राज्य की पहल की अपेक्षा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में 1993 में मिड-डे मील स्कीम को देखा जा सकता है, जिसके जरिए पोषकता और शिक्षा दोनों को एक-दूसरे से संबंधित किया गया। साथ ही, पिछले दशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भी शुरूआत की गई, जिसे मनरेगा से जोड़ने की पहल की जा रही है। किंतु इसके अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं मिले हैं अत: इसमें आमूल चूल परिवर्तन जरूरी हैं।

8. अनु. 4 पर्यावरण संरक्षण और वन्य-जीव संरक्षण की अपेक्षा राज्य से करता है। एम.सी. मेहता वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वस्थ रहने के अधिकार की अनु. 21 के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करते हुए यह कहा कि अच्छे पर्यावरण का अधिकार भी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत आता है। इसी आलोक में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली में सीएनजी आधारित परिवहन प्रणाली को लागू किया गया है और शहरी क्षेत्रों से उद्योगों को हस्तांतरित किए जाने के निर्देश जारी किए गए है। व्यवहार में भारत में पर्यावरण संरक्षण मजाक बन गया है।

9. अनु. 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। इसे संविधान के अन्य उपबन्धों के जरिए सुनिश्चित किया गया है। किंतु वर्तमान समय में इस नीति पर अनेकों प्रश्नचिन्ह खड़े हो गये हैं।

10. अनु. 51 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के लिए प्रयास करे। इसे पिछले 60 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की सक्रियता और पंचशील व गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्तों के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। किंतु भारत कुछ खास प्राप्त नहीं कर पाया है।

संविधान संशोधन और नीति-निदेशक तत्व:

बयालीसवें संविधान संशोधन के जरिए भाग चार में निम्न अनुच्छेद जोड़े गए-

(अ) समान न्याय एवं नि:शुल्क विधि की सहायता का अधिकार (अनु. 39 क)।

(इ) बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा तथा स्वतंत्रता तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर पाने का अधिकार (अनु. 39 च)

(ब) उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना (अनु. 43 क)।

(क) पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य-जीवों की रक्षा (अनु. 48 क)।

फिर 44वें संविधान संशोधन के जरिए अनु. 38 (2) जोड़ते हुए यह उपबंध किया गया कि राज्य व्यक्तियों तथा समूहों के बीच आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा।

86 वें संशोधन के जरिए अनु. 45 में उल्लिखित प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को प्रतिस्थापित करते हुए यह उपबंध किया गया कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा को उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है।

व्यवहार में नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन में बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

नूतन
ठाकुर

जन आक्रोश
बनाम मौलिक भारत

पिछले साल के अंतिम दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में बस एक ही बात गूंजती रही, दिल्ली रेप कांड। मध्यम वर्ग की एक युवा, मासूम लड़की के साथ किया गया अत्यंत वीभत्स बलात्कार कई दिनों तक देश के कोने-कोने में गूंजता रहा और दिल्ली में इसकी चिंघाड़ और चीत्कार भयावह ढंग से सामने आई। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक अत्यंत डरावना, गन्दा, घृणित, कुत्सित कार्य है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है। एक जवान लड़की, जो अभी अपने सपने देखना शुरू ही कर रही हो, उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की जाए, इससे बढ़ कर कोई भी अपराध नहीं हो सकता। यह भी जरूरी है कि इस घटना में शामिल सभी अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और कम से कम समय में मिले।

इस घटना के साथ एक काबिलेतारीफ बात यह रही थी कि इसमें जनता स्वत:स्फूर्त ऊर्जा के साथ सामने आई थी। इस बात पर निश्चित रूप से संतोष व्यक्त किया जाना चाहिए कि इस करुण घटना से आम जनमानस में दया और करुणा की तीव्र भावना प्रवाहित हुई और लोग खुल कर इसके समर्थन में सामने आये। यह बात भी संतोषप्रद है कि लोग ना सिर्फ द्रवित हुए बल्कि उन्होंने अपनी संवेदनाएं खुलेआम प्रकट भी की। मैं एक सामाजिक कार्यकर्त्री के रूप में इसे एक बहुत शुभ सन्देश मानती हूँ जहाँ लोगों को किसी मुद्दे पर अपने विचार बदलने के लिए घरों से धकेलना नहीं पड़ रहा है। लोग अपने-आप, बिना बुलाए चले आ रहे हैं और सीधी-सरल भाषा में अपनी बात कह रहे हैं, अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं।

ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनका खुल कर स्वागत किया जाना चाहिए। ये सब ऐसे मोड़ हैं जो किसी भी देश और समाज की जागृति की कहानी कहते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। पहली बात तो यह कि देश में जनता में जो गुस्सा है, उनमें जो स्फूर्ति है, कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है, उसका इस्तेमाल किस रूप में हो और किस प्रकार से हो रहा है। क्या यह तो नहीं हो रहा कि लोग गुस्से में तो बहुत हैं, उनके बदलाव की चाहतें भी बहुत हैं पर जो रास्ता वे अख्तियार किये हुए हैं, वह ऐसा रास्ता हो जिसकी मंजिल ही भटकाव भरी हो। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें बहुत खुल कर सोचना होगा और जिसके सम्बन्ध में हमें बहुत अधिक जागृत रहना होगा।

इसी जगह मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने इर्द-गिर्द जो देख रही हूँ, वह भटकाव और मूल मुद्दों से खिलवाड़ ज्यादा है, मुद्दों को सही से समझ कर उन पर कार्यवाही करने की स्थिति कम। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा कि किस तरह से कुछ व्यक्तियों, संगठन, संस्थाओं ने देश के लोगों को आसमान का लालच दे कर ठगा और उन्हें सब्ज-बाग दिखा कर अब अपनी राजनैतिक गोटियां सेंकते दिख रहे हैं। एक लोकपाल अधिनियम के आने से देश में पता नहीं क्या परिवर्तन हो जाने वाला था, पर मीडिया थी कि उसे मुद्दा बना-बना कर पूरे देश को एक अजीब मानसिक स्थिति में पहुंचा दिया था, मानो लोकपाल आया नहीं कि देश से सारी कुव्यवस्था, सारी बीमारी, सारी परेशानियां खत्म हो जायेंगी। यह वास्तव में इस देश के साथ एक छल था, एक बहुत बड़ा धोखा।

हम सब इस सपने को फैलते और उतने ही तेजी से सिकुड़ते देख चुके हैं। उस पूरे घटनाक्रम से जो अहसास होता है वह यही कि कहीं ना कहीं पीछे से कुछ नियंता इस लोकपाल के माध्यम से अपना हित साध रहे थे।

अब जब पूरा देश एक बार फिर खौलता दिख रहा है तब हमें पुन: यह सोचना होगा कि क्या यह सारी ऊर्जा बिलकुल सही जगह लगी हुई है या फिर एक बार पुन: इस उर्जा का उपयोग अपने तरीके और अपने सीमित हितों के लिए करने की कोशिशें हुई हैं। मैं यह बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बलात्कार की घटनाएँ इस देश में कई होती हैं, कई घटनाएं अत्यंत ही वीभत्स हुआ करती हैं, संभवत: इस घटना से भी वीभत्स। लेकिन वे घटनाएँ बहुधा दिल्ली में नहीं हुआ करतीं, वे दूर-दराज के इलाकों में घटती हैं और वहीं दफन हो जाया करती हैं। उनकी कोई चीखें तक बाहर सुनाई नहीं देतीं।

फिर बलात्कार के इस अत्यंत जघन्य अपराध के अलावा भी इस देश का आम आदमी रोज किसी ना किसी रूप में ठगा जा रहा है, बलत्कृत किया जा रहा है। कई बहुत गंभीर मामलों में देश एकदम शांत है, उस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। देश की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, मौलिक स्वरुप है तथा गहते खाने छिपी बातें हैं, हममे से अधिकतर लोगों को उसकी जानकारी तक नहीं है। समस्या इस जगह है। मेरी और मौलिक भारत से जुड़े लोगों की चिंता भी इसी जगह है। मौलिक भारत की अवधारणा भी यही है कि हम समस्याओं को उसकी पूर्णता और समग्रता में समझें, जानें और स्वीकार करें। ऐसा करने के बाद ही हम इन समस्याओं के प्रति चैतन्य स्वरुप प्राप्त कर सकेंगे और तभी जा कर हम एक समग्र मौलिक भारत के निर्माण में सफल हो सकेंगे।

लेखक नेशनल आरटीआई फोरम की कन्वेनर हैं।

नये नेतृत्व के निर्माण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम

देश व्यापक बदलाव के दौर में है। यानी यों कहें कि ये समय संक्रमणकाल का भी है, लेकिन नया सूरज भी इन्हीं प्रतिकूल हालात से निकलेगा। मौलिक भारत ऐसे दौर में नये नेतृत्व के निर्माण में अपना योगदान देना चाहती है, जिसके जरिए समर्थ क्षमता वाले लोगों के आगे आने के साथ उभार लेती नई सामूहिक सोच, यकीनन में देश को अगर भ्रम का जाल हटा दिया जायें तो सत्य यही निकल कर आता है कि देश उदारवाद की आँधी में बह रहा है। बुद्धिजीवी, चिंतको और विश्लेषकों के साथ आध्यात्मिक गुरूओं का भी यही मानना है। देश में व्यापक सारी बुराईयों का जड़ में पूँजीवाद ही छुपा है। देश व्यापक बदलावों के दौर में है और प्रत्येक व्यक्ति अंधी दौड़ में है। विश्लेषक मानते है कि विकासशील से विकसित होने के दौर में यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और अन्य विकसित देशों ने भी अपने-अपने समाजों में मूल्यों का व्यापक क्षरण देखा है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। सच तो यही है कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के सभी विकासशील देश इसी प्रकार के बदलावों से गुजर रहे हैं।

माना यह जा रहा है कि कुराज से सुराज, कुव्यवस्था से सुव्यवस्था और अराजकता से कानून के शासन, अविकसित व विकासशील से विकसित और स्वार्थी से बौद्धिकता की तरफ बढ़ती मानवता की इस यात्रा में आने वाले समय में पुरानी राजनीतिक संस्थाएं, नेता एवं दलों का भी क्षरण होगा और समय के इस संक्रमण काल, विचारधाराओं और सभ्यताओं के टकराव के मंथन से नयी, अधिक स्थिर व्यवस्थाओं, विचारधाराओं और नेतृत्व का उदय होगा और तक सुशासन, कानून के शासन और विकसित और समृद्ध समाज का उदय संभव हो सकेगा।

अपनी बौद्धिक और नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मौलिक भारत इस संक्रमण काल में नये नेतृत्व के विकास में अपना योगदान देना चाहता है। हम आह्वान कर रहे हैं कि देश के प्रत्येक प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक व गैर राजनीतिक संस्थाओं से जो अपने अपने स्थान पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर्तव्यनिष्ठ, से निभा रहे हैं, एक दूसरे के साथ श्रृंखला बद्ध हों, सहयोगी बने और सांझा कार्यक्रम बनाकर राष्ट्रनिर्माण के कार्य को वृहद रूप में करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे दबाब समूह के रूप में स्वयं को रूपान्तरित करें कि आपके सुझावों और विचारों का राजनीतिक शक्तियां/व्यवस्था सम्मान करें, स्वीकार करें और फियन्वित करें। संफमण के समय के देश को सहज अवस्था तक ले जाना हम सबका दायितव हैं। मौलिक भारत एक सूत्रधार, एक कड़ी है जो कहीं पर भी स्वयं नेतृत्व नहीं करना चाहता वरन् नेतृत्व करने में सक्षम लोगों व संस्थाओं को पहचान देने, उनमें आपसी समझ व समन्वय स्थापित करने, सामूहिक सोच, पहल व कार्यक्रम तैयार कराने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करना चाहता है।

हमारा लक्ष्य है ...

- सकारात्मक व समान मानसिकता के लोगों व संस्थाओं को श्रृंखलाबद्ध करना।
- एक बेब पोर्टल का विकास करना जिसमें देश के सभी मुद्दों पर विभिन्न सुझावों व विचारों के मंथन से उभरा वास्तविक समाधान 'समग्र दर्शन' सभी तथ्यों व आयामों के साथ उपलब्ध हो।
- राष्ट्रव्यापी नेतृत्व का विकास करना जिसका एक मात्र आधार ग्राम/वार्ड एवं ब्लाक हों। प्रत्येक ग्राम से 4-5 व्यक्ति चुनकर जिनमें नेतृत्व की क्षमता हो व नैतिक गुणों से युक्त हो और उन्हें मिलाकर प्रत्येक ग्राम स्तर पर समिति का गठन और उनमें से 8-10 व्यक्तियों को चुनकर ब्लाक स्तर पर नेतृत्व देने की क्षमता वाले व्यक्तियों की समिति बनाना।
- देश के लगभग 6000 ब्लॉकों से 50 से 60 हजार लोगों का चयन जो ब्लॉक, तहसील, जिलापंचायत, विधान सभा, लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर सकने की क्षमता रखते हों।
- पोर्टल द्वारा इन 50 से 60 हजार लोगों को नेतृत्व का प्रशिक्षण, वैचारिक मंथन द्वारा उभरी नीतियों पर सामूहिक रूप से प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर मीडिया में प्रेस विज्ञप्तियां देना। ग्राम स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और दबाव के माध्यम से व्यवस्था को दिये गये सुझावों को अपनाने के लिए विवश करना।
- ग्राम/वार्ड ब्लाक तहसील जिला, राज्य व केन्द्र स्तर की समस्याएं उठाना, आवंटित सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित धन व क्रियान्वयन पर कड़ी नजर रखना और अनियमितताओं पर तुरन्त आवाज उठाना ग्राम/वार्ड समिति का कार्य होगा।
- ब्लॉक स्तर पर यही कार्य ब्लाक समिति करेगी किन्तु वह ब्लॉक तहसील, जिला, राज्य व केन्द्र सभी से संबंधित मुद्दों को उठाएगी।
- ब्लॉक समितियों द्वारा दिये गये सुझावों व कार्यक्रमों का विवरण साप्ताहिक रूप से पोर्टल पर विभिन्न भाषाओं में जारी किया जायेगा। पोर्टल का संचालन ब्लाक समितियों द्वारा चयनित केन्द्रिय समिति करेगी।
- किसी भी व्यक्ति को कोई पद नहीं दिया जायेगा सभी समितियों के सभी सदस्य समान स्तर पर होंगे ब्लाक समिति का सदस्य उच्चतम पद होगा। केन्द्रीय समिति मात्र पोर्टल के संचालन व विचारों के व्यवस्थित प्रदर्शन व साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति बनाने के लिए कार्य करेगी।
- ब्लाक समिति ही ग्राम पंचायत/वार्ड व केंद्रीय समिति को प्रेस रिलीज जारी करेगी।
- इस प्रक्रिया में प्रथम दो तीन वर्षों में पूरे देश में ग्राम, ब्लाक व केन्द्रीय समितियों का निर्माण व कार्यक्रमों व नीतियों का निर्धारण किया जायेगा।
- इसके पश्चात 2014 के राष्ट्रीय चुनावों में सामूहिक मंथन व सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित कार्यक्रमों को राजनीतिक दलों द्वारा अपनाने हेतु दबाव बनाया जायेगा। साथ ही ग्राम पंचायत, नगरपालिका, विधान सभा, ब्लाक प्रमुख, जिलापंचायत, लोकसभा, राज्य सभा तथा अन्य सभी लोकतांत्रिक चुनावो में मौलिक भारत की ग्राम/वार्ड व ब्लाक समितियों के सदस्यों को आदर्श उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा। कोशिश की जायेगी कि राजनीतिक दल अधिकतम संख्या में मौलिक भारत के सदस्यों को पार्टी का टिकट दें।
- इस प्रक्रिया में मौलिक भारत के सदस्यों की पैठ व्यवस्था में की जायेगी और वे सुशासन, सुव्यवस्था, न्याय और कानून के शासन की दिशा में कार्य करेंगे।
- नेटवर्क 2014 से 2016 के बीच अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर लेगा। एक राजनीतिक दल के रूप में विधिवत रूप से परिवर्तित हो जायेगा।
- 2016 से 2019 के मध्य सशक्त राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से देश की सत्ता पर लोकतांत्रिक तरीके से चुना जायेगा और अपने कार्यों व नीतियों के सम्पूर्ण क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर देश को और देशवासी को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदल देगा जहां सुशासन, सुव्यवस्था और कानून का शासन वास्तविक अर्थों में क्रियान्वयित किया जायेगा।

लक्ष्य प्राप्ति के लिए- न्यूनतम संगठन

1. हमारा संगठन - लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक आंदोलन।
2. हमारा लक्ष्य - व्यवस्था परिवर्तन वर्तमान राज्य व अर्थ व्यवस्था में परिवर्तन।
3) व्यवस्था परिवर्तन का परिणाम - दो
   (1) प्रत्येक व्यक्ति को ईमान की रोटी और इज्जत की जिंदगी।
   (2) भारत विश्व में गौरवशील पद पर पुन:र्स्थापित।
4) आंदोलन की सफलता के तीन कारक-
   (1) साखयुक्त नेतृत्व
   (2) परिस्थितियों की परिपक्वता और
   (3) औजार के रूप में न्यूनतम संगठन।
   हमारे पास साखयुक्त नेतृत्व है। उनके साथ अन्य साखयुक्त नेताओं को जोड़ना भी संभव। परिस्थितियों की परिपक्वता। समाज में बैचेनी व असंतोष का सभी जगह दर्शन। उस असंतोष को सही दिशा में मोड़ने की देरी।
   नेतृत्व भी उपलब्ध है समाज में असंतोष के कारण परिस्थितियां भी पकने के तरफ बढ़ रही है। क्या आंदोलन की सफलता का औजार हमार पास है? नही है।
   अत: आंदोलन की सफलता का औजार - न्यूनतम संगठन बनाना हमारी प्राथमिकता।
5. न्यूनतम संगठन का अपेक्षित स्वरुप-
   (1) राष्ट्रीय कार्यसमिति = 31 सदस्य की संचालन समिति + 120 सदस्य = 151 सदस्य
   (2) प्रांत कार्यसमिति = 21 सदस्य की संचालन समिति + 80 सदस्य = 101 सदस्य 101×36 प्रांत = 3636 सदस्य
   (3) जिला कार्यसमिति = 11 सदस्य की संचालन समिति + 40 सदस्य = 51 सदस्य 51×610 प्रांत = 31110 सदस्य

कुल कार्यकर्ता 34897 सदस्य (35 हजार सदस्य)।

6) संगठन से जुड़े सदस्यों के तीन प्रकार -
   (1) नेता
   (2) कार्यकर्ता
   (3) समर्थक
   नेता अर्थात् नेतृत्व गुणों से संपन्न। जो स्वयं कार्य करे और औरों को भी कार्य करने की प्रेरणा देने में सफल हो।
   कार्यकर्ता अर्थात् जो हमारी विचारधारा से सहमत होकर संगठन का कार्य करे।
   समर्थक जो विचारधारा से सहमत हो और सूचना मिलने पर कार्यक्रम में शामिल हो। जो 35 हजार हम जोड़ना चाहते हैं वे नेता और कार्यकर्ता प्रकार के हों।
7) संगठन के चार अंग-
   (1) कार्यकर्ता
   (2) कार्यालय
   (3) कोष और
   (4) कार्यक्रम

   कार्यालय अर्थात संगठन की गतिविधियों का केन्द्र।
   कोष अर्थात् संगठन को चलाने का ईंधन।
   संगठन के लिए कोष चाहिए कोष के लिए संगठन नहीं। गाड़ी में पेट्रोल टैंक जितना महत्व। पेट्रोल का टैंकर मतलब कोष नहीं।
   कार्यकर्ता और कार्यक्रम की परस्पर पूरक भूमिका। कार्यकर्ताओं के आधर पर कार्यक्रम आयोजन और कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता निर्माण।
8) कार्यक्रमों के प्रकार-
   (1) संगठनात्मक गतिविधियां
   (2) आंदोलनात्मक आयोजन

   गतिविधियां : बैठक-प्रवास-प्रशिक्षण

   आयोजन : धरना, प्रदर्शन, जनसभा, पदयात्रा, आर.टी.आई, पी.आई.एल., जनजागरण अभियान।
9. परिवर्तन या क्रांति में समाज का योगदान-
   ऐतिहासिक निचौड़ - विश्व भर जितने महान क्रांतियां, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक हुई हैं- उस में समाज के सक्रिय लोगों का प्रतिशत -0.01 प्रतिशत से कम।
   बाकी समाज मे जनजागरण के परिणाम से समाज का जागृत, सुप्त या ऐच्छिक या अनैच्छिक समर्थन मिला।
10. व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में हस्तक्षेप अनिवार्य होगा। इसमें सभी को स्पष्टता। हस्तक्षेप का स्वरूप क्या होगा अभी कहना अधपका परोसना होगा।

    राजनीति में यह हस्तक्षेप न तो इतनी जल्दी हो कि जल्दबाजी हो जाए और न इतना कच्चा हो कि समयपूर्व हो जाये, यह नेतृत्व जरूर ध्यान रखेगा।

मौलिक भारत

संघर्ष की राह पर....

हाथरस में पहली जनसंसद

महाशिवरात्रि, 10 मार्च, 2013 मौलिक भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। अपने पिछले चार माह के मंथन, चिंतन, दर्शन व कार्ययोजना को जमीन पर उतारने के लिए मौलिक भारत के जुझारू व समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली संघर्ष के कठोर धरातल पर उतर गई। संघर्ष का पहला पड़ाव बनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े क्षेत्र हाथरस की धरती। इस सांस्कृतिक-धार्मिक नगरी में हमारी टोली का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। चेतन समाज व आमजन सभी ने हमें हाथों हाथ लिया। हमारी स्थानीय इकाई की सक्रियता व गतिविधियां प्रशंसनीय थी। हमारी पहली 'जनसंसद' का आयोजन भी स्थानीय लोगों के लिए अचरज भरा था। यह सामान्य आयोजनों से अलग था। हम लोग न तो फालतु की भविष्यवाणी कर रहे थे और न ही अपनी-अपनी दुकान चला रहे थे। पूरा कार्यक्रम आपसी परिचय, सहभाग और पारस्परिक संवाद पर आधरित था। उद्देश्य भी स्पष्ट थे। राष्ट्र की समस्याओं की जड़ों से लोगों को जोड़ना, अपनी गलतियों को जानना व सुधारना, हाथरस जिले की मूल समस्याओं को पहचानना, व्यवस्था की निष्क्रियता को तोड़ने की रणनीति बनाना और हाथरस जिले की समस्याओं को समझने, जानने व उनसे निवारण के लिए सतत् संघर्ष के लिए जनसंसदों का निर्माण पंचायत, ब्लॉक व जिला स्तर पर करना। इस प्रक्रिया में जिले के सभी जागरूक लोगों को जोड़ने हेतु एक संचालन समिति का गठन करना। सुखद यह रहा कि हम सभी लोगों ने मिलकर यह कार्य पूरा कर लिया। हमारी अनुसंधान टोली ने पूरे जिले के कृषि, उद्योग, यातायात, जल व्यवस्था, नगर योजना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य का पूरा खाका उसकी कमियाँ व उन्हें दूर करने के उपायों की व्यवस्थित जानकारी स्थानीय समिति को दे दी। साथ ही देश भर के मीडिया व्यवस्था से जुड़े अंगों व प्रबुद्ध लोगों तक इन सूचनाओं को पहुँचाया गया। उत्तर प्रदेश के दो लाख करोड़ से अधिक के बजट में हाथरस जिले का हिस्सा मात्र 28 करोड़ जानकर अत्यंत क्षोभ भी हुआ और शासकों की असंवेदनशीलता पर गुस्सा भी आया। हम अपने आक्रोश को एक व्यवस्थित व लोकतांत्रिक रूप से ओलन में परिवर्तित करने हेतु पूरे हाथरस जिले में और इसी प्रकार पूरे देश में नेतृत्व के गुणों व प्रशासनिक क्षमता से युक्त नया नेतृत्व विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जनसंसदों के आयोजन से स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय अपेक्षाओं को नीतिपत्र के रूप में व्यवस्थित कर जनघोषणा पत्र तैयार करते जाएंगे औ इन मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर नये साखयुक्त नेतृत्व का विकास करते जाएंगे। जनसंसद, जनघोषणापत्र ओर जननेताओं की श्रृंखला स्थापित होने के उपरान्त ही 'मौलिक भारत' सम्पूर्ण राष्ट्र में आमूलचूल परिवर्तन एवं नवनिर्माण का बिगुल बजा सकता है ओर राजनीतिक परितर्वन की दिशा में बढ़ सकता है।

मौलिकभारत दूसरे चरण की ओर ...

तीन फरवरी, 2013 से प्रारंभ हुए आंदोलन 'मौलिक भारत' को अब लगभग छह माह हो चुके हैं। आंदोलन की स्थापना के साथ ही संकल्पना, वैकल्पिक नीतियों का निर्माण, दृष्टिकोण प्रपत्र, संगठन का स्वरूप एवं कार्ययोजना सभी का ढांचा तैयार होता गया है। अभी तक 20 से अधिक छोटी-बड़ी बैठकों व कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस चिंतन व मंथन से मौलिक भारत का जो स्वरूप निकल कर आया है वह कुछ इस तरह का है-

- **राष्ट्र प्रथम:** मौलिक भारत एक भारतीयता से ओतप्रोत राष्ट्रवादी आंदोलन है तथा हम अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोध नहीं करते किन्तु प्रत्येक स्तर पर भारत के ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, योग व अध्यात्म की प्रधानता के अनुरूप विदेश नीति के पक्षधर है। हम राष्ट्र की समृद्धि व मानव संसाधनों की निकासी की नीतियों के विरुद्ध हैं तथा राष्ट्रहित में राष्ट्र के सभी संसाधनों के प्रयोग के पक्षधर हैं।
- राजनीतिक जागृति का सामाजिक आंदोलन मौलिक भारत सीधे राजनीतिक लड़ाई का आंदोलन नहीं है। हम तीन स्तरों पर कार्य करने जा रहे हैं-

  प्रथम - वैकल्पिक नीतियों के निर्माण व वर्तमान नीतियों की समीक्षा के लिए चिंतक समूह के रूप में।

  द्वितीय - वैकल्पिक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए जनजागरण हेतु देश भर में मौलिक चिंतन जन संसदों का आयोजन।

  तृतीय - देश भर में 'मौलिक भारत' के चिंतन के अनुरूप मानसिकता वाले नेतृत्व व समर्थकों का ढांचा खड़ा करना।
- स्पष्ट व पारदर्शी आर्थिक स्रोत- 'मौलिक भारत' अपने सदस्यों की सहायता एवं अंशदानों से पल्लवित होने वाला आंदोलन है और हम किसी बाहरी विदेशी, राजनीतिक अथवा अदृश्य स्रोतों से संचालित आंदोलन नहीं हैं।
- विदेशी फंडिंग व राजनीतिक दलों से परे हम न तो किसी विदेशी फंडिंग का समर्थन करते हैं और न ही किसी राजनीतिक दल की कठपुतली हैं। हम निरंतर सत्ता की राजनीति से पर सत्य को सामने रख राष्ट्रहित में परिस्थितियों का अवलोकन कर तटस्थ दृष्टिकोण सामने रखने के लिए दृढ़संकल्पित हैं।
- हमारे साथ विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्थाएं, समूह व एनजीओ जुड़े हैं जिनकी विचारधाराएं व कार्यशैली अलग-अलग हैं किन्तु वे इसी शर्त पर हमारे साथ हैं कि उनकी नीतियाँ 'राष्ट्र प्रथम' की प्राथमिकता पर आधारित हैं।
- हम सामूहिक नेतृत्व की अवधारणा, सबकी सहमति, सबके विचार व सुझावों को आत्मसात करने की नीति पर चलते हैं।
- हम ऐसे किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करते जो आंदोलन का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति अथवा निजी महत्वाकांक्षा को निबटाने में करें।
- हम किसी भी राजनीतिक दल, चिंतन, विचारधारा अथवा समूह के विरुद्ध खड़े नहीं हुए हैं वरन हम अद्यतन और समग्र रूप से मौलिक हैं। यद्यपि हमारी कोशिश है कि हमारा दृष्टिकोण पत्र देश के प्रत्येक दल, समूह, संगठन, सिविल सेवकों व समाजसेवियों तक पहुँचे और वे इसे समझें, मानें व स्वीकारें।

प्रिय मित्रों,

वन्दे मातरम!

आपसे मुखातिब होते हुए अत्यन्त हर्षित महसूस कर रहा हूँ। मैं आनंदित हूँ कि भौतिकता की अंधी दौड़ के बीच उपभोकतावाद की दीवारों को तोड़ राष्ट्र के प्रति समर्पित योग्य लोगों का समूह मेरे साथ है। मैं आपसे प्रेरित हूँ और निरंतर सीखता रहता हूँ। अपने-अपने क्षेत्र में आप सभी लोग श्रेष्ठतम कर मानवजाति एवं प्रत्येक भारतीय के सम्पूर्ण कल्याण के लिए निरन्तर संघर्ष करते हुए राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपनी आहूति दे रहे हैं।

मित्रों, 'मौलिक भारत' आंदोलन के दूसरे चरण का श्रीगणेश करने का समय आ गया है। अब समय 'कार्यवाही' व निचले स्तर पर सक्रियता का है। ऐसे में कुछ सूत्र हम गांठ बांध लें तो सभी के लिए श्रेयष्कर होगा।

- प्रथमत: हमें समझना होगा कि मौलिक भारत क्या है और हम इससे क्यों जुड़े। मित्रों मौलिक भारत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह समझना भी जरूरी है, तभी हम नये लोगों को यह समझा पायेंगे। अत: मौलिक भारत का प्रपत्र जो आपको भेजा गया है ध्यान से पढ़ें।
- द्वितीय, हमारी अपनी सक्रियता एवं भागीदारी का प्रश्न है। हमें निश्चय करना होगा कि हम इस आंदोलन का कितना समय, किस रूप में दे सकते हैं और अगर नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या सहयोग दे पायेंगे।
- तृतीय, यह समझना जरूरी है कि हम 'सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन' के कठिन लक्ष्य पर हैं और इसे पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। क्या हम मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं।

अंतिम, अब हमारी सक्रियता का समय है, यह सक्रियता किस प्रकार से हो, हम क्या-क्या कार्यक्रम करें व कैसे करें जिससे न सिर्फ हमारा संगठन विस्तार हो सके वरन हमारे उठाये मुद्दे जन-जन की आवाज बन सके, इस पर आपके सुझाव आमंत्रित हैं।

आपके उत्तर की प्रतीक्षा में आपका अपना

पवन सिन्हा

(राष्ट्रीय संयोजक)

चुनाव सुधार : अब जरूरी

पांच साल में एक बार लोग वोट डालने जाते हैं और अपने नेता का चुनाव करते हैं। लेकिन इसके बाद इनका अख्तियार खत्म हो जाता है। इनके प्रतिनिधि अपने लोगों के साथ या देश के साथ कैसा भी सलूक करें, ये लोग कुछ नहीं कह सकते। इन्हें इसका हक ही नहीं है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आप शादी करें और शादी करने के बाद आपको यह पता चले कि आपका जीवनसाथी आपके साथ बेवफाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास उसे तलाक देने का भी हक नहीं है। यानि लोगों के पास अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का हक ही नहीं है। लोगों के पास जनमत संग्रह की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जिसके जरिए वे यह कह सकें कि उनके लिए बनाया जा रहा कानून उन्हें पसंद है या नहीं। किसे चुना जाए, इसका विकल्प व्यवहार में धन और राजनीतिक दलों के प्रभाव की वजह से सीमित हो गया है। देश के 156 सांसदों पर गंभीर आरोप वाले फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से कुछ जेल में हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो जेल जाने के पात्र हैं। लेकिन एक सच तो यह भी है कि घूस लेने वाले सांसदों की वजह से अक्सर ही सरकारें गिरते-गिरते बचती हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमारी सरकार जनता द्वारा, जनता की, जनता के लिए सरकार लगती है? नहीं लगती।

हमारे वोट से जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे किसी न किसी दल से आते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी दल के इतने प्रत्याशी जीत जाते हैं कि उसे बहुमत मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में शायद अच्छी से अच्छी स्थिति में उसके पास 30-35 फीसदी लोगों का समर्थन होता है। और अगर संसद त्रिशंकु निकल कर आती है, तब तो दलों को और भी कम लोगों का प्रतिनिधित्व मिल पाता है। इसका नतीजा यह है कि कई-कई बार कुल वोटरों के दस फीसदी से कम वोट पाने वाले दल का नेता देश देश चलाने की स्थिति में पहुंच जाता है। क्या आपको यह सोच कर आश्चर्य नहीं होता कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे देश के 90 फीसदी वोटरों का समर्थन नहीं होता।

भारतीय चुनाव व्यवस्था

हमारे यहां चुनावों के लिए एफपीटीपी (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट) व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि सबसे अधिक वोट पाने वाला व्यक्ति विजयी घोषित होता है। लेकिन यह व्यवस्था वाकई गलत और अनुचित है। हमारे यहां आजादी के बाद से लेकर अब तक के विभिन्न चुनावों में बार-बार यह साबित हुआ है कि किसी चुनाव क्षेत्र में 10 फीसदी से कम वोट हासिल करने वाले लोग विजयी हो जाते हैं। साल 2009 के संसदीय चुनावों में 543 में से 145 सीटों पर विजयी रहने वाले लोग 20 फीसदी से कम वोट पाकर भी जीत गए। केवल पांच सांसद ऐसे रहे जिन्हें 50 फीसदी से अधिक वोट मिले। 2009 के चुनाव में औसतन हर सांसद को 25 फीसदी वोट हासिल हुए।

लेकिन ऐसी गलतियों के साथ जीने के हम इतने आदी हो गए हैं कि अधिकांश लोग तो यह जानते भी नहीं कि इसके अलावा चुनाव की कोई और व्यवस्था भी हो सकती है। भले ही हम आजादी के बाद से जहां के तहां पड़े हुए हों लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोकतंत्रों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपना लिया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था में हर दल को उस अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोट हासिल होते हैं। दलों को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत और उनको मिलने वाले सीटों के प्रतिशत में कोई अंतर नहीं होता।

चुनाव सुधारों की आवश्यकता

पिछले कुछ वर्षों से देश में चुनाव सुधारों के लिए प्रतिबद्ध नागरिकों का एक आंदोलन बन रहा है। यह आंदोलन कभी-कभी राजनीतिक द्वेष की बीमारी का शिकार हो जाता है, फिर भी कुल मिलाकर इनके प्रयास से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्थक बदलाव की गुंजाइश बढ़ी है। टीम अन्ना रालेगण में कोर कमेटी की बैठक के बाद ऐलान कर चुकी है कि उनके एजेंडे में अब चुनाव सुधार ही है। एक ओर चुनाव सुधार के मुद्दे पर टीम अन्ना की ओर से मुहिम आगे बढ़ाए जाने का ऐलान किया गया है और दूसरी ओर सरकार इस मुद्दे पर चौकस हो गई है। इसके मद्देनजर अगले महीने सरकार ने चुनाव सुधार के मसले पर चर्चा के लिए सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है।

इससे पहले कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आइए यह जान लेते हैं कि चुनाव सुधार क्या होते हैं? चुनाव की प्रणाली में करने योग्य उन परिवर्तनों को चुनाव सुधार कहते हैं जिनके करने से जनता की आकांक्षाएं न केवल चुनाव परिणामों बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में साफ-साफ दिखने लगें। सवाल है कि आखिर किन चीजों को चुनाव सुधार में शामिल किया जाता है। चुनाव सुधारों के मुद्दों की सूची में शामिल हैं- निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन, चुनाव खर्चों का निर्धारण एवं उस पर नियन्त्रण, चुनाव प्रचार एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन, मतदाताओं के लिये भयमुक्त वातावरण, घूस देकर, शराब पिलाकर या जबरदस्ती मत डलवाने के विरुद्ध नियन्त्रण और अवैध मतदान पर रोक। इसके अलावा मत-पत्र के प्रयोग के बजाय इलेक्ट्रानिक मशीन द्वारा मतदान, स्वैच्छिक मतदान के बजाय अनिवार्य मतदान, चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने या बुलाने की व्यवस्था, मत-गणना की सही विधि का विकास, स्त्रियों एवं कमजोर समूहों के लिये सीटों का आरक्षण, प्रत्याशियों के लिये समुचित आवश्यक

योग्यता एवं अर्हताएँ निर्धारित करना, मतदाता के लिये अर्हताओं में परिवर्तन और चुनाव क्षेत्रों का सम्यक निर्धारण भी चुनाव सुधार के मुद्दों में शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कानून मंत्रालय को कहा है कि वह अपराधियों को चुनाव-राजनीति से दूर रखने के मुद्दे पर जल्द से जल्द राजनीतिक सहमति बनाए। साथ ही, चुनाव से काला धन दूर रखने के उपायों पर भी बात हो। कानून मंत्रालय कैबिनेट को पहले ही एक नोट भेज चुका है। इसमें मौजूदा कानून में बदलाव की सिफारिश की गई है, ताकि वैसे उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लगे जिनके खिलाफ अदालत से ऐसे मामले में आरोप पत्र तय हो गया हो, जिसमें कम से कम पांच साल कैद की सजा का प्रावधान हो।

ऐसा नहीं है कि देश में चुनाव सुधारों के लिए प्रयास नहीं किए जाते। जब भी इस पर हो-हल्ला मचता है, सरकार एक कमेटी बना देती है। फरवरी 2011 में भी सरकार ने चुनाव सुधार पर एक और कमेटी बना दी। ऐसी खबर से न कोई हैरानी होती है, न किसी के मन में डर पैदा होता है ना ही कोई आस बंधती है। आम आदमी और तंत्र के बीच लगातार गहराते फासले को कागजी रपटों से पाटने की कई कवायदें पहले भी हो चुकी है। ऐसी कवायदों में ऐसा कुछ नहीं होता, जिससे कुछ नया होने की कोई उम्मीद हो। असल में इस समिति में एक भी शख्स ऐसा नहीं, जिसने खुद चुनाव लड़ा हो या जिसे चुनावी राजनीति की कोई समझ हो।

वैसे तो इस समिति ने अपने एजेंडे में वो सब विषय शामिल किये हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मसलन, चुनावों में धन और बल का बढ़ता असर, राजनैतिक दलों को मर्यादित करने की जरूरत, चुनाव में राजकीय कोष, चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा सुचारु बनाना, चुनावी विवादों का बेहतर निपटारा, दल-बदल विरोधी कानून को बेहतर बनाना। लेकिन पिछले दो दशक से चुनावी सुधारों की कवायद इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द हो रही है।

चुनाव में पैसे के सवाल की बात करें तो हर कोई यह मान कर चलता है कि राजनीति में असली समस्या इस पर होने वाले काले धन के असर को रोकना है। इसलिए सारा ध्यान काले धन पर पाबंदी लगाने वाले कानूनों पर रहता है। अगर ये कानून असरदार हो पायें तो जरूर कुछ फायदा होगा, लेकिन काले धन को रोकना सिर्फ चुनावी कानूनों और चुनाव आयोग के बस की बात नहीं है, यह मामला पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदलने से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो असल में सरकार द्वारा चुनाव खर्च उठाने की बहस बहुत पुरानी है। दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ने भी ऐसी ही संस्तुतियां की थीं। विधि आयोग ने भी चुनाव सुधारों की रिपोर्ट (1999) में आंशिक चुनाव खर्च की सिफारिश की थी। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी ऐसी ही बातें कहीं थीं। चुनाव आयोग ने भी विभिन्न पहलुओं पर 2006 में सभी दलों से विचार-विमर्श किया था, लेकिन व्यापक चुनाव सुधारों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। इसके बहुत पहले जयप्रकाश नारायण ने भी चुनाव सुधारों की मांग की थी। प्रत्याशी और दलों को अतिरिक्त खर्च से रोककर ही सरकारी खर्च पर चुनाव की व्यवस्था सफल हो सकती है।

सही दिशा में चुनाव सुधार न किए जाने से भारत का प्रजातंत्र एक अजीब तरह के जाल में फंस गया है। हमारी संसद और हमारी विधान सभाओं में

पार्टी व्हिप: दलों के हाथ में चाबुक

हमारे देश में जनप्रतिनिधियों को संसद में अपने दल की व्हिप के मुताबिक चलना पड़ता है। किसी सांसद का किस विषय पर क्या पक्ष होगा, यह तय करने का अधिकार उसे नहीं होता। उसे दल के मुताबिक ही चलना पड़ता है, वरना उसे निष्कासित कर दिया जाता है। एक ओर भारतीय संविधान कहता है कि सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके खुद के राजनीतिक दल उन्हें जनता के प्रतिनिधि के बजाय पार्टी का एक प्यादा भर मानते हैं। इस प्यादे को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पार्टी व्हिप का। जब कोई विधेयक पारित होने की प्रक्रिया चल रही होती है और राजनीतिक दल को लगता है कि उसके दल के सदस्य पार्टी लाइन के खिलाफ जा सकते हैं तो ऐसे में वह व्हिप जारी कर देता है। अगर वह विधेयक जनविरोधी होता है तो वोटिंग के समय उसके सामने दो विकल्प होते हैं- या तो वह सच का साथ दे यानि जनता की आवाज सुने या अपने दल की बात माने।

राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर वोटिंग से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों को इस सभा में व्हिप जारी कर अपने सांसदों को वोट देने के लिए बाध्य करना पड़ा। असल में दलों को पहले से ही पता था कि उनके सांसदों का बहुमत महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ है। इस तरह का व्हिप तभी जारी किया जाता है, जब सांसद अथवा विधायक के पार्टी लाइन से बाहर जाने का खतरा हो। दोनों के अलावा किसी अन्य पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया।

पार्टी व्हिप जारी होने के बाद नेतृत्वकर्ताओं के पास दो विकल्प होते हैं, अगर वह दल की बात मानता है और उसका दल गलत बात का समर्थन कर रहा है तो उसे इसका हिसाब अगले चुनाव में चुकाना होगा। दूसरी ओर अगर वह प्रतिनिधि सच की या न्याय की आवाज सुनता है और कानून के विरोध में वोट करता है तो उसकी सदस्यता ही खत्म हो जाती है।

कुछ साल पहले की बात है। सरकार के कार्यकाल के अंतिम साल में विश्वास प्रस्ताव लाया गया और हालात ऐसे थे कि दलों को इसके लिए व्हिप जारी करना पड़ा। दोनों ही तरफ से सांसदों ने अपनी-अपनी पार्टी के आदेश के खिलाफ जाकर वोट किए। कुल 51 सांसद ऐसे थे, जिन्होंने पार्टी के व्हिप को नहीं माना। कुछ सांसदों को जब दूसरे दलों से आश्वासन मिल गया तो उन्होंने विश्वास मत के दौरान पार्टी व्हिप के उल्लंघन में देर नहीं लगाई। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले दूसरी श्रेणी उन सांसदों की भी थी जो जानते थे कि उन्हें उनका दल अगले चुनाव में फिर से प्रत्याशी नहीं बनाएगा। पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले जानते थे कि यदि उन्हें उनके दल ने बाहर भी कर दिया तो आम चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन यही सांसद लोकसभा कार्यकाल के पहले या दूसरे वर्ष में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि अगले चुनाव में तीन-चार साल बाकी होते हैं।

यदि आपका सांसद पार्टी व्हिप आदि का हवाला देते हुए गलत बात का समर्थन कर देता है तो क्या आप ठगा हुआ नहीं महसूस करते? क्या गलत बात का समर्थन करने के लिए ही इन्हें भेजा गया है। न जाने कितने बार यही नेता अपने निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर डालते हैं। आखिर हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सोचते कि अपने क्षेत्र के ही नहीं बल्कि देश की जनता की भलाई के नेक काम के लिए किया जाये । यदि किसी सांसद नें ऐसा किया हो (यानी पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया हो), तो हो सकता है कि अभी तो उसे अपने दल का कोपभाजन बनना पड़े लेकिन एक बार जनता की पसंद बन जाने पर उसे बार-बार संसद जाने से कोई भी नहीं रोक सकता।

खारिज करने का अधिकार

लोकतंत्र के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यह निहायत जरूरी है कि वोटर को राइट टू रिजेक्ट (खारिज करने का अधिकार) हासिल हो। अगर उसे मौजूदा प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद नहीं आ रहा तो उसके पास सभी प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार होना चाहिए। यानि वोटर को बटन दबाने के लिए एक और विकल्प मिलना चाहिए- इनमें से कोई नहीं। दूसरी बात, अगर इनमें से कोई नहीं वाले विकल्प को 25 फीसदी से अधिक वोटरों का समर्थन मिलता है तो उस चुनाव क्षेत्र का चुनाव यह सुनिश्चित करने के लिए निरस्त कर दिया जाना चाहिए कि काफी कम संख्या में वोट पाकर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र का प्रतिनिधि न बन जाए। तीसरी बात, इस तरह से खारिज किए गए उम्मीदवारों से एक पूरे संसदीय कार्यकाल यानि पांच साल के लिए देश में कहीं से भी चुनाव में खड़ा होने का अधिकार छीन लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि बार-बार वही पराजित उम्मीदवार चुनाव में न खड़े हो जाएं।

State	Total candidates	Analysed	With criminal cases	Crorepatis	Richest
UP	6,850	2,195	759 (35%)	1,046	Najir Ahmed (Cong) Rs 141cr
GOA	215	129	30 (23%)	29	Dinar Tarcar (MGP) Rs 211.76cr
PUNJAB	1,078	408	61 (15%)	266	Karan Kaur (Cong) Rs 128.4cr
UTTARAKHAND	788	278	53 (19%)	88	Rajesh Shukla (BJP) Rs 26cr
MANIPUR	279	258	3 (1.2%)	33	T N Haokip (Cong) Rs 10cr

Source: ADR-NEW

आपराधिक चरित्र वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी होने लगी है। इन लोगों के पराक्रम और दबदबे की वजह से हमारे देश में ऐसे लोगों के जीतने के आसार काफी अधिक होते हैं और राजनीतिक दल इन्हीं कारणों से इन्हें टिकट देते रहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में प्रजातंत्र की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी। अगर सांसदों को वापस बुलाए जाने का डर रहेगा तो वे गलतियां करने से और गलत बात का साथ देने से बचेंगे। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट जैसी बातों को जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया जाए। साथ ही संसद और विधानसभाओं में व्हिप को खत्म किया जाए, ताकि देश के प्रजातंत्र को परिपक्व होने का मौका मिल सके। जब तक संसद और विधानसभाओं में व्हिप को नहीं हटाया जाएगा और जब तक राजनीतिक दलों में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं होगा, तब तक देश का प्रजातंत्र यूं ही चंद लोगों की जागीर बना रहेगा। ■

एफपीटीपी पद्धति की वजह से बढ़ी हैं दिक्कतें

फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) पद्धति की खामियां अब चुभने लगी हैं। साल 1950 में संविधान लागू करते समय हमने यही पद्धति अपनाई थी। एफपीटीपी पद्धति में जिसको सबसे यादा मत मिलते हैं (चाहे वह कुल मतदान का बहुत ही कम प्रतिशत हो) विजयी माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 101 मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं और ग्यारह उम्मीदवारों में से दस उम्मीदवारों को नौ-नौ वोट मिले हैं लेकिन एक को दस वोट मिले हैं तो दस वोट पाने वाला विजयी घोषित होगा।

एफपीटीपी पद्धति में इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि ऐसा व्यक्ति विजयी हो गया है जिसे 98 प्रतिशत मतदाताओं ने पसंद नहीं किया है। पंद्रहवीं लोकसभा में 145 सांसद ऐसे हैं जिनको 20 प्रतिशत से कम वोट मिले हैं और तीन ऐसे हैं जिनको दस प्रतिशत से भी कम वोट मिले हैं जबकि चौदहवीं लोकसभा में 95 सांसद 20 प्रतिशत से कम वोट पाकर जीते थे। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि एफपीटीपी पद्धति की वजह से हमारे संसद की प्रातिनिधिक प्रकृति लगातार खत्म होती जा रही है।

लेकिन यह इस पद्धति की अकेली गड़बड़ी नहीं है। एफपीटीपी पद्धति की वजह से और कई दिक्कतें आ रही हैं। असल में देश की राजनीति द्विदलीय या द्विध्रुवीय न होकर बहुदलीय और बहुध्रुवीय है। विविधता के कारण कई बार एक पहचान विशेष के मतदाता कुछ चुनाव क्षेत्रों में किसी विशेष दल को अधिक वोट दे देते हैं या तीखे तरीके से इसके खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे में नतीजा यह होता है कि कई बार किसी एक पार्टी को मत ज्यादा मिलते हैं लेकिन सीटें कम आती हैं या सीटें ज्यादा आती हैं और मत कम मिलते हैं।

हमारे पास वैकल्पिक चुनाव पद्धति के रूप में कई विकल्प मौजूद हैं और इसमें सबसे आसान है वैकल्पिक मतदान (अल्टरनेटिव वोटिंग), जिसमें मतदाता को अपनी वरीयता के हिसाब से अपनी पसंद को क्रमवार रखना होता है। अगर किसी प्रत्याशी को 50 प्रतिशत वोट नहीं मिलते तो जो प्रत्याशी मतदाताओं की पसंद में सबसे नीचे के स्तर पर है, उसको बाहर करके उसके वोट मतदाताओं की दूसरी पसंद के वोट में बांट दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी एक प्रत्याशी को 50 फीसदी से ज्यादा मत न मिल जाएं। विश्व के कई देशों में और अमेरिका के कई राज्यों में इसी पद्धति का प्रचलन है।

कैसे होते हैं चुनाव भारत में

- चुनाव आयोग विभिन्न इच्छुक लोगों को निर्धारित शर्तों के तहत राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है।
- ये राजनीतिक दल अपनी विचारधारा व कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का ढांचा खड़ा करते हैं।
- पार्टियां पंचायत से लेकर ब्लाक, तहसील, जिला, राज्य व केन्द्रीय स्तर तक कार्यकारणियों का गठन करती हैं।
- निचले से ऊँचे स्तर तक विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के तहत होने वाले चुनावों में ये दल अपने-अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं।
- जनता संबंधित सीट के लिए खड़े विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक को 'मत' देती है। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है विजयी घोषित होता है।

कहाँ-कहाँ होती हैं गड़बड़ियाँ

- अक्सर दलों में किसी एक या कुछ परिवारों का ही कब्जा हो जाता है और ये परिवार विभिन्न पदों पर अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देते हैं।
- नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न कार्यकारियों के चुनाव ही नहीं होते और राज्य/केन्द्रीय इकाई द्वारा पदाधिकारी या तो थोप दिये जाते हैं या नामित किये जाते हैं, जिस कारण पार्टी में तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं।
- विभिन्न दल क्षेत्र विशेष में अपराधी छवि वाले बाहुबली या धनपति को टिकट देना पसंद करती हैं ताकि साम दाम दंड भेद से चुनाव जीत लिये जायें।
- बहुत से दलों में टिकट वितरण के समय बाकायदा पैसों का लेन देन होता है।
- उम्मीदवारों के चयन में उसकी शिक्षा, नेतृत्व के गुण, संविधान के प्रावधानों की जानकारी, ईमानदारी, चुनाव क्षेत्र से परिचय, सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों की जानकारी आदि नहीं परखे जाते वरन उम्मीदवार के पार्टी हाईकमान से रिश्ते, जाति/धर्म/क्षेत्र/भाषा के अनुरूप जीतने की क्षमता, धन व बल शक्ति, चापलूसी की क्षमता आदि मापदंडों के आधार पर चयन होता है।

- सामान्यतः चुनावों में पर्ची बनवाने, पोलिंग एजेंट बनने, फर्जी मतदान कराने, यातायात के साधनों का प्रबंधा कर सकने वाले, बूथ कैप्चरिंग की क्षमता वाले, लड़-भिड़ सकने वाले, उत्तेजना फैलाने वाले, शराब व पैसे बंटवा सकने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- 90 प्रतिशत पंजीकृत राजनीतिक दल डमी उम्मीदवार खड़े कर सक्षम व रुकने वाले उम्मीदवारों से पैसा लेकर उनके पक्ष में बैठने का धंधा करते हैं। बहुसंख्यक निर्दलीय उम्मीदवारों का भी यही धंधा है।
- देश में लगभग सभी दलों में दो भाग है पार्टी हाईकमान (प्रदेश व केन्द्रीय स्तर पर) व निचले स्तर के नेता व कार्यकर्ता। स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं का अपना वोट बैंक प्रभाव क्षेत्र व चुनावी कला कौशल होता है और विभिन्न हाईकमान अपनी-अपनी गोलियां खेलते हुए अपने अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न आक्षेप, आरोप-प्रत्यारोप, घोटालों को खोलना, छोटे/बड़े नेताओं से पाला बदलवाना, पार्टियों को तोड़ना, सरकारें बनाने गिराने का खेल खेलना और किसी भी तरह सत्ता हथियाना और फिर लंबी चौड़े घपले घोटालों की कहानियां खड़ी करना। अधिकांश स्थानीय नेता व कार्यकर्ता किसी भी स्थायी विचारधारा के नहीं होते और जिस दल या नेता की हवा बन रही होती है उससे तारतम्य बैठाकर अपना अपना धंधा पानी चलाते रहते हैं। कुल मिलाकर जो गुट सत्ता पा जाता है उसके नेता जिला/राज्य/केन्द्र में अपनी-अपनी मठाधीशी/सत्ता चलाते रहते हैं।

अनिवार्य मतदानः वक्त की जरूरत

चुनाव सुधारों के मोर्चे पर आगे बढ़ते समय जिस लक्ष्य को सबसे पहले हासिल किए जाने की जरूरत है, वह है अनिवार्य मतदान। दुनिया भर के अनेक देशों में मतदान करना अनिवार्य है। इस विचार में कुछ भी मौलिकता या नवीनता नहीं है। किसी न किसी रूप में यह विचार 33 देशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इनमें कुछ देशों में तो यह एक सदी से भी पहले से लागू है। इनमें से प्रमुख हैं बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, आस्ट्रिया, साइप्रस, पेरू, ग्रीस और बोलीविया। अनिवार्य मतदान के संबंध में हमें इन तमाम देशों में लागू कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर भारतीय स्थितियों के अनुकूल प्रावधान तैयार करने चाहिए। यदि हम पीछे मुड़ कर देखें तो 1892 में मतदान को अनिवार्य कर बेल्जियम ने इस दिशा में पहला कदम उठाया। 1924 में आस्ट्रेलिया ने इसे लागू किया।

इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर लगाया जाने वाला जुर्माना हर देश में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, आस्ट्रेलिया में मतदान से विमुख रहने वालों पर बीस से पचास डालर का जुर्माना लगाया जाता है। जो लोग जुर्माना अदा नहीं करते, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। स्विट्जरलैंड, आस्ट्रिया, साइप्रस और पेरू में भी मतदान से गैरहाजिर रहने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। बोलीविया में मतदान में भाग न लेने पर वेतन कट जाता है जबकि ग्रीस में मतदान से मुंह चुराने वाले लोगों को पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कड़ी शर्तों का पालन करना पड़ता है। बेल्जियम में चुनाव से अनुपस्थिति की गलती दोहराए जाने पर नागरिकों को मतदान अधिकारों से वंचित भी किया जा सकता है। सिंगापुर में जो लोग वोट नहीं डालते उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। फिर से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

शासन के प्रकार

- लोकतंत्र- जनता द्वारा, जनता की, जनता के लिए सरकार
- राजतंत्र- एक अकेले शासक (जैसे राजा, रानी, बादशाह) की सरकार
- अभिजाततंत्र- विशिष्ट जनों की सरकार
- अल्पजनतंत्र- कुछ लोगों की सरकार
- धर्मतंत्र- ईश्वर की सरकार (असल में इसका मतलब होता है धार्मिक नेताओं की सरकार)
- तानाशाही- उन लोगों की सरकार जिन्होंने जबरन सत्ता हासिल कर ली हो (आम तौर पर सेना की तानाशाही)

लोकतंत्र को दें आधार : करें चुनाव सुधार

आदमी की जिन्दगी में पाँच साल का जो महत्व है वही महत्व देश की जिन्दगी में सौ साल का होता है।हमारे देश में पंच वर्षीय योजना की शुरुवात लोक सभा एवं विधान सभाओ की पांच साल से सह सम्बद्ध है।अर्थात पांच वर्ष की योजना केंद्र सरकार द्वारा पांच साल की लोकसभा के माध्यम से कार्यान्वन किये जाने की संकल्पना है। बस यहीं चूक हो गयी। एक सरकार ने अपनी सुविधा के हिसाब से पांच हिसाब की योजना बनाई और उसको लागू करवा दिया।और उसके बाद आने वाली सरकार ने अपने नेता और पार्टी की इच्छा अनुसार कुछ पुरानी नीतियो को लागू रखा और जो सुविधा जनक नहीं लगी उन्हें बदल दिया।ऐसा करने पर देश की दिशा में क्या परिवर्तन होगा,लगे हुए कितने पैसे ख़राब हो जायंगे,जनता के ऊपर इसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता करने का समय और इच्छा दोनों शक्ति की कमी हमारे नेताओ में रही है। जिसका नतीजा देश दिशा हीन होकर कहाँ जा रहा है इसकी जवाब देही भी शायद ही किसी की है। ऐसा कब तक ऐसे ही चलने दिया जाये? क्या कुछ किया जा सकता है।आइए इस पर विचार करे। देश गणतंत्र की 64वीं जयन्ती मनाने को तैयार है, अत: इस पर विचार करना आवशयक है ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिये जो भारत बनाए उस पर उसे गर्व हो, ताकि वह पढ़ लिख कर किसी तरह अच्छी नौकरी पाकर या विदेश में जा कर बसने का लक्ष्य न बनाने के बजाए देश में रहने और इसकी सेवा करने में गर्व महसूस करे। हमारे इस विषय में सुझाव है रू

देश की अगले सौ सालो की जरूरतों का आंकलन किया जाये और उसको 50,25 और 5 वर्षो में प्राप्त किये जाने योग्य भागो में बाँट कर लागू करने की योजना बनायीं जाये।

देश की योजनाओं को दो हिस्सों में बाटा जाये ,एक वह जो नेताओ और पार्टी हितो के ऊपर देश हित में हो और नेताओ अथवा पार्टी के आने -जाने से उन नीतियों के प्रभावी कार्यान्वन प्रभावित न हो। जैसे देश की शिक्षा नीति क्या होगी, विदेश नीति अथवा रक्षा नीति क्या होगी अथवा बुनियादी ढांचे को बनाने की नीति क्या हो यह पार्टी अथवा नेताओ से प्रभावित न हो और यह अपने दीर्घ कालीन आवश्यकताओ के अनुसार चले ताकि एक निश्चित समय में हमारे देश की दीर्घ कालीन आवश्यतायें पूर्ण होना निश्चित हो जायें।

बची हुए क्षेत्रो की नीतियां पांच वर्ष की आवश्यकताओ के हिसाब से बनाई जाये जिसको चुनी हुई सरकार अपनी नीतियों के हिसाब से बना कर लागू कर सके।

सरकार के द्वारा वस्तुओं के दाम बढ़ाये जाने अथवा अन्य किसी प्रकार भी परिवर्तित किये जाने की मियाद एक साल में एक बार ही हो। ताकि एक बार नीति निर्धारण हो जाने के बाद आम आदमी और देश का व्यापारी उन नियमों के हिसाब से अपनी योजना बना सके और जीवन यापन की व्यवस्था कर सके। साल में कई बार बीच -बीच में महंगाई बढ़ जाने से आम आदमी की कमाई अथवा वेतन वृद्धि नहीं होती अत: उसके लिए जीवन दुश्वार हो जाता है। इसलिए बार-बार वृद्धि से बचा जाना चाहिए।किसी आपात जनक स्थिति में संसद में तीन चौथाई बहुमत से उसका निर्णय किया जाये।

किसान से ख़रीदे जाने का दाम साल में एक बार तय होता है तो फिर उसके खेत में लगने वाले सामानों जैसे खाद,डीजल इत्यादि के दामो में साल में कई बार वृद्धि करने से उसे निरंतर नुक्सान होगा और वह अपने काम को छोड़ने में ज्यादा रूचि रहेगी बजाय काम करने में यह अच्छा चिन्ह नहीं है। भारत देश जिसकी अर्थव्यस्था कृषि आधारित है किसानों को लगातार अनादर देश की ऐसी क्षति करेगा की उसकी पूर्ति मुश्किल है।

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों में निर्णय लेने में आम जनता की राय इलेक्ट्रोनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर संसदीय क्षेत्रानुसार करवा कर सांसदों का अपने क्षेत्र की राय के हिसाब से ही समर्थन देना अनिवार्य हो। उदहारण के लिए एफ डी आइ के मामले में क्षेत्रीय पार्टियों ने जिस तरह का व्यहार किया वह वास्तव में जनतंत्र का अपमान है। ऐसे मुद्दों पर जनता की राय

क्या बदलेगा यह सब?

अब पार्टियों के टिकट लेना बड़ा खेल बन गया है। टिकट के इच्छुक व्यक्ति को अनेक जनसभाएं, कार्यक्रम, भोज, चंदा बाँटना, शराब पिलाना, पार्टी फंड में चंदा देना, प्रमुख नेताओं के घरों पर चक्कर काटना, उन्हें नकद धनराशि देना, स्थानीय स्तर पर चमचों-समर्थकों को पाल कर रखना, वोट बनवाना, विरोधियों के दांव-पेंच काटने के उपाय करना, चुनाव के समय वोटरों को नकद पैसे, शराब, भोजन इत्यादि देना, पोस्टर, बैनर, झंडे, बोर्ड, अखबारों-टीवी आदि में विज्ञापन देना, पत्रकारों को खरीद कर 'पेड न्यूज' छपवाना, विभिन्न प्रभावी समूहों, जाति समूहों आदि को अपने पाले में करना, सरकारी मशीनरी को अपने पक्ष में करना जैसे तिकड़म करने पड़ते हैं। इस सब के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मात्र उत्तर प्रदेश के चुनावों में चुनाव आयोग ने दस हजार करोड़ से ज्यादा काला धन खर्च होने का अनुमान लगाया है। क्या कोई है इसे रोकने वाला?

क्या ट्रांस्फर-पोस्टिंग का धंधा बंद हो सकेगा? जानकार मानते हैं कि पीसीएस अधिकारी मलाईदार पोस्टरों के लिए 10 से 20 लाख रुपये सत्तारूढ़ सरकार के मुखिया को देते हैं, वहीं आईएएस अधिकारियों के मामलों में यह राशि करोड़ों रुपये होती है। अधिकांश राजनीतिक पदों (निगमों, निकायों के पदाधिकारियों) की तो खुली बोली लगती है। जाति-धर्म व परिवार के लोगों को प्रमुखता दी जाती है। भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं में राजनीतिक आकाओं के इशारे पर धांधलियां की जाती हैं तथा अराजपत्रित पदों तक की भर्तियां 5 से 10 लाख रुपये तक लेकर की जाती हैं। भ्रष्ट रास्तों से पहुँचे लोगों से कैसे सुशासन की अपेक्षा की जा सकती है। क्या हमारे नये नेता इसे बदल सकेंगे?

येन केन प्रकारेण चुनाव जीता प्रत्याशी अगले पाँच साल अपनी लागत वसूली, अगले चुनाव का खर्च, व्यक्तिगत लाभ और पार्टी फंड व नेताओं को हिस्सा देने के उपायों में लग जाता है। विधायक निधि सामान्यत: 30 से 50 प्रतिशत कमीशन लेकर जारी की जाती है। विधान सभा क्षेत्र के सभी थानों में विधायक की दलाली चलने लगती है। हत्या, डकैती, बलात्कार, जमीन व औद्योगिक विवादों में विधायक व पुलिस मिल कर कमाते हैं, क्षेत्र के सभी उद्योगों व व्यापारियों से मासिक वसूली की जाती है, सभी मंडी समितियों, अनाज खरीद केन्द्रों व सस्ते राशन की दुकानों पर विधायक अपना स्वाभाविक हक समझता है और किसानों से सीधा व सस्ता अनाज आदि खरीदकर ऊँचे दामों पर इन केन्द्रों को बेचता है और सब्सिडी वाले सामान की फर्जी बिक्री दिखाकर इन्हें बाजार के ऊँचे दाम पर बेच कर बड़ी कमाई करता है। विवादित सम्पत्तियों, ग्राम सभा की जमीनों व गरीब/छोटे किसानों की जमीनों पर जबरन कब्जे किये जाते हैं। विभिन्न समाज कल्याण की योजनाओं में अफसरों के साथ मिलकर भारी फर्जीवाड़े किये जाते हैं। सभी सरकारी ठेके अपने लोगों को दिलाना, ठेकेदारों से कमीशन वसूला, विकास कार्यों के लिए आये धन में

जानना आवाश्यक हो। और इसकी मोनीटरिंग चुनाव आयोग स्वयं करे। और सांसदों के लिए उनके क्षेत्र की जनता का निर्णय मानने की बाध्यता होनी चाहिए।

सरकार जब भी किसी चीज पर दाम बढाती है तो साथ ही बताना चाहिए की उसका बढ़ा हुआ पैसा कहा खर्च करंगे। और बढ़ी कमाई तथा खर्च दोनों में आपस में सम्बन्ध होना चाहिए।उदाहरण के लिए यदि सड़क पर नियम तोड़ने के लिए जुर्माना बढ़ाते है तो उसका निवेश सड़क के गढ़ों को पाटने में ,सड़क बत्तियो को ठीक करने में लगाया जाये।

जब भी सब्सिडी देने की घोषणा सरकार करती है तो उसे यह बताना चाहिए की इसकी भरपाई कहाँ से करने वाली है।किस तरह के अतिरिक्त टैक्स इत्यादि लगाये जाने प्रस्तावित है। ताकि आम जनता को पता चले की किस कीमत पर किसको लाभ पहुँचाई जा रही है। यह उचित नहीं की एक बार सब्सिडी दी जाये और फिर थोड़े दिन बाद घाटे के नाम पर दाम बढ़ाये जाये ये टैक्स लगाये जाये।

जब कोई पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में अर्थ सम्बन्धी घोषणायें करती है तो उसे भी यह बताना आवश्यक हो की खर्च का उपयोग कैसे होगा और धन कैसे आयेगा। जैसे किसान का कर्ज माफ़ किया जायेगा तो इस पैसे की व्यवस्था कैसे होगी।हम बैंक में घाटा करके इसी नीति कैसे बना सकते है। और फिर उसको पूरा करने लिए नए टैक्स लगाये ये दाम बढ़ाये यह उचित नहीं।

सभी उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक हो की वह जन प्रतिनिधि बने रहने के दौरान अपनी माली हैसियत के बारे में स्पष्ट घोषणा करे और बताये की उनकी कमाई में वृद्धि किस तरह अर्थात कितनी वृद्धि सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन के कारण हुयी है और कितनी कमाई के कारण।

यदि कोई उम्मीदवार अपनी सुरक्षा कारणों से एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ता है तो उसे अतरिक्त सीटों पर उपचुनाव करवाने का खर्च चुनाव आयोग के पास जमा करवाना चाहिए। यदि उम्मीदवार एक से अधिक स्थान से जीत जाता है तो छोड़े जाने वाली सीट पर उपचुनाव का खर्चा उस उम्मीदवार से लिया जाये न की सरकारी खजाने से। पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 10000 करोड़ रुपये लोकसभा की 540-542 सीटो पर खर्च हुए थे। जिसके अनुसार करीब 20 करोड़ रुपये एक सीट का खर्च होता है। यदि यही चुनाव एक साथ न होकर अलग अलग होता है तो खर्च लगभग दूना अर्थात उपचुनाव में 40-50 करोड़ होता है। इतना पैसा बैंक में जमा करवा कर ही एक से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाये। किसी उम्मीदवार को चुनाव में विजयी होने की सुरक्षा जनता के पैसे से नहीं दी जा सकती।

चुनाव में आचार संहिता का तोड़ा जाना एक आम बात है। ज्यादातर मामलों में चुनाव आयोग चेतावनी दे कर उम्मीदवार को छोड़ देता है।इस सम्बन्ध में नियम स्पष्ट होना चाहिए। एक बार चेतावनी देने के बाद दुबारा गलती होने पर उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होना चाहिए और चुनाव आयोग इस पर सख्ती से अमल करे इसके लिए सभी पार्टियों के एक-एक प्रतिनिधियों का अधिकरण बने जो इस विषय पर बहुमत से अपनी राय निर्धारित दो-तीन दिन में दे और चुनावआयोग उसे सख्ती से लागू करे।

यदि कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के बारे में आपत्तिजनक अथवा भद्दी टीका-टिप्पणी करता है तो उसे इसके लिए पर्याप्त सबूत देने चाहिये। इसके बिना यह कहना की मैंने तो आरोप लगा दिया है अब आरोपी इस को गलत सिद्ध करे अथवा अदालत में जाये उचित नहीं है। क्योंकि ज्यादातर मामलो में यह केवल बदनाम करने की साजिश होती है जो आम आदमी को गुमराह करने के लिए की जाती है।

सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा लिए जाने वाला पैसा व खर्च का ब्यौरा इनकी बैलेंस शीट में हो और वह वेब साईट पर आम आदमी के लिए उपलब्ध हो ताकि पच्चीस हजार से ज्यादा दान देने वाले का नाम और पता उसी तरह जांचा जा सके जैसे समाज सेवी संस्थाओं को दिया जाने वाला धन जांचा जाता है। दिए जाने वाले धन पर 20-25 प्रतिशत टैक्स वसूलना भी ठीक रहेगा। ताकि काले धन को चुनाव के माध्यम से सफेद करने के काम पर रोक लग सके।

जो पब्लिक लिमिटेड कंपनिया दान देती है यह केवल उन्ही को इजाजत होनी चाहिए जिन्होंने अपनी सालाना बैठक में ऐसा प्रस्ताव पास किया हो।यह केवल 2 प्रतिशत शेयर रखने वाले और मालिको की तरह कम्पनी चलाने की मन मर्जी से नहीं होना चाहिए।

जिन कंपनियो पर सरकारी देनदारी बाकी है उन्हें दान देने की इजाजत तब तक न दी जाये जब तक वह देनदारी दे नहीं दें अथवा उतना पैसा सरकारी खजाने में जमा न कर दे। ताकि सरकारी पैसा देने के बजाय दान देकर जीतने वाली पार्टी की सरकार बनने के बाद दान की दुहाई दे कर सरकारी खजाने को चूना न लगा सके।

बंदरबांट करना आदि स्थानीय आमदनियां हैं। एक शातिर विधायक 100 करोड़ रुपये सालाना तक बना सकता है, है कोई इसे रोकने वाला?

यदि विधायक सत्तारूढ़ दल का है और किसी मंत्रिमंडलीय समिति, निगम, बोर्ड, संघ आदि का सदस्य बन गया तो बल्ले-बल्ले और मंत्री बन गया तो चाँदी ही चाँदी। लूट-खसोट, माल बनाना और फर्जी कम्पनियां बनाकर पैसे ठिकाने लगाना। शेयर, सोना, जमीन, मॉल आदि में निवेश तो पुरानी बातें हैं। अब अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान, बड़ा उद्योग, व्यापार आदि खोलकर एक 'कारपोरेट हाउस' के रूप में खड़ा हो जाना आम बात है। कोई है जो इस कुचक्र को तोड़ सके?

सारे प्रदेश (कुछ शहरों को छोड़ कर) अव्यवस्था, कुशासन व खराब आधारभूत ढांचे का शिकार हैं। बेरोजगारी, अशिक्षा व अंधविश्वास, जाति, धर्म, भाषा व क्षेत्रों के आधार पर बँटा समाज एक कड़वा सच है। आधी जनता कुपोषित है और नारी, पुरुष की अधिनायकवादी मानसिकता का शिकार, गुलामों सी जिंदगी जी रही है। जनता का बौद्धिक विकास निम्न स्तर का है और स्कूल व अस्पताल नेता-अफसर गठजोड़ की खुली लूट का जीता जागता उदाहरण हैं। यह गठजोड़ विकास की राह में आगे बढ़ने को इच्छुक समाज को भ्रष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। फिर अपने जाल में उसे फंसा कर भ्रष्ट बना देता है और यह स्थापित करने की कोशिश करता है कि जनता ही भ्रष्ट है, हम क्या कर सकते हैं? कौन पहल करेगा इसे बदलने की?

राज्यों में मुख्यमंत्री तानाशाह के रूप में राज कर रहे हैं। ये लोग प्रदेश के बदहाल ढांचे को सुधारने की जगह नये प्रोजेक्टों, मोटे कमीशन, खनिज, जमीन व अन्य संसाधनों को खुली लूट में संलग्न एक संगठित गिरोह के मुखिया जैसे लगते हैं। लाचार व बिकी हुई नौकरशाही व मीडिया उनकी इन्हीं कारगुजारियों को विकास की नई दिशा, रचनात्मक बदलाव व दूरगामी नीति, सोशल इंजीनियरिंग, आधारभूत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि-आदि नामों से सुशोभित कर जनता को भरमाता रहता है। कोई है इस नियति से जनता को निकालने वाला?

राज्यों में किसी भी दल की सरकार या गठबंधन हो, सबका केन्द्र में सत्तारूढ़ दलों से एक गोपनीय समझौता होता है और इसके तहत बड़े सौदों, प्रोजेक्ट, ठेके, योजनाओं आदि में हित व कमीशन साझा किये जाते हैं। यहाँ पर बंदरबांट व खेल लाखों करोड़ों में पहुँच जाते हैं और फिर एक बड़ी नामावली सामने आती है जैसे कालाधन, मनी-लाडरिंग, स्विस बैंक, हवाला, संदिग्ध सौदे, सट्टा, शेयर बाजार, मैच फिक्सिंग के खेल, मुद्रा बाजार, शेयर, सोने व जमीन के दामों में उतार-चढ़ाव और पैसे से पैसा कमाने के खेल में आतंकवादी गतिविधियों, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, स्मग्लिंग, हथियारों व रक्षा सौदे, दूसरे देशों में अस्थिरता पैदा करना, सरकारें बनाना-गिराना, अन्तरराष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं के दाम बढ़ाने गिराने का खेल चल निकलता है। कौन दिलायेगा मुक्ति?

सच तो यही है कि भारत में लोकतंत्र का व्यावहारिक अर्थ सुशासन व कानून का शासन नहीं है। यह दबंगों के संगठित गिरोहों की आपसी लड़ाई को नियंत्रित करने का उपकरण मात्र है ताकि सब बारी-बारी से लूट सकें।

मौलिकभारत

जन से दूर जनतंत्र कारण-निवारण?

यदि भारत में जनतंत्र है, तो इस जनतंत्र के स्वरूप, कार्यतंत्र, व्यवस्था आदि का निधार्रण जननीति के द्वारा होना चाहिए या राजनीति के द्वारा? यदि निर्धारण का अधिकार जननीति के द्वारा होना चाहिए तो इसके लिए हमें जननेता चुनने चाहिए या राजनेता? प्रस्तुत हैं कुछ ज्वलंत सवाल

सवैधानिक तौर पर भारत एक जनतंत्र या राजतंत्र?

यदि भारत में जनतंत्र है, तो इस जनतंत्र के स्वरूप, कार्यतंत्र, व्यवस्था आदि का निधार्रण जननीति के द्वारा होना चाहिए या राजनीति के द्वारा? यदि निर्धारण का अधिकार जननीति के द्वारा होना चाहिए तो इसके लिए हमें जननेता चुनने चाहिए या राजनेता? जननेता यानी जनाधार वाला नेता अर्थात सही मायने में जनप्रतिनिधि। राजनेता यानी जो राज करना चाहता हो, जिसकी मानसिकता राजतांत्रिक हो।

जननेता का चुनाव हो, इसके लिए भारत में चुनाव व्यवस्था है; कायदे-कानून हैं और उन्हे अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग है। बावजूद इसके क्या आज हम वाकई जननेता चुन पा रहे हैं?

चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधियों पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह स्थिति किसी एक स्तर पर नहीं, कमोबेश हर स्तर पर है। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, शहरी निकाय और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक; प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रधान को वापस बुलाने के अधिकार के बावजूद परिदृश्य अनियंत्रित जैसी ही है।

क्या यह सच नहीं है कि हम अपने ही द्वारा चुने हुए 'जनप्रतिनिधि' द्वारा शासित हो रहे हैं?

यदि हां, तो खामी कहां हैं? हमारे चुनने में या चुनाव प्रणाली या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में? इसका जवाब तलाशना चाहिए। संभवत: सुधार की जरूरत तीनो स्तर पर है।

चुनाव की चुनौतियां

मतदान जागरुकता के तमाम अभियानों के बावजूद क्या यह सच नहीं है कि हमारे मतदान का आधार जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग और निजी लाभ, प्रलोभन के इर्द-गिर्द सिमट गया है?

क्या यह सच नहीं है कि धर्म-जाति-वर्ग-वर्ण आदि की छूत लगाये बगैर सत्ता में आना किसी भी दल के लिए असंभव हो गया है?

प्रश्न यह है कि मतदान के चुनाव का आधार क्या हो, यह चुनाव आयोग तय करता है, उम्मीदवार या मतदाता?

क्या यह सच नहीं है कि आज की पूरी चुनाव प्रक्रिया धनबल, बाहुबल, मीडिया और संवेदनशील मुद्दों के जरिए प्रभावित की जा रही है?

क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनतंत्र जनता नहीं, अपराधी, धनपति और कट्टर ताकतों द्वारा संचालित किया जा रहा है? जन, जननेता और जननीति तो कहीं प्रभावी भूमिका निभा ही नहीं पा रहे।

तो दोषी कौन है?

खैर! इस बात को काफी शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की जिम्मेदारियों को लेकर मतदाताओं को जागरुक व सशक्त करने के काम को पूरे पांच साल और संगठित तरीके से करने की जरूरत है। यह कैसे हो सकता है?

क्या पूरे देश में मतदाता परिषदों का गठन और उन्हे चुनाव आयोग द्वारा अधिकारिक मान्यता की मांग इस दिशा में पहली सीढ़ी हो सकती है?

यदि हां, तो कैसे और किन सावधानियों के साथ किया जाना चाहिए? इस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए।

सुधार की दूसरी जरूरत चुनाव प्रणाली और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में है। यह बात नई नहीं है। कई संगठनों द्वारा की गई शुरुआत जनमांग कैसे बने? जनसंसद इसमें अहम भूमिका निभा सकती है।

चुनाव सुधार के मुद्दे

वर्तमान चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी क्या है?

क्या यह प्रणाली धनबल, बाहुबल, परिवारवाद, जातिवाद जैसे अलोकतांत्रिक कदमों पर रोक लगाती है? क्या यह विवेकपूर्ण मतदान को प्रोत्साहित करती है? क्या यह जनता तथा संविधान के प्रति जनप्रतिनिधियों को कर्तव्यनिष्ठ और जवाबदेह बनने के लिए बाध्य करने में सक्षम है? क्या यह राजनीतिक अस्थिरता, दलबदलू प्रवृति आदि अनैतिक प्रवृतियों को रोकने में कारगर है? यदि नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसे बदल जाना चाहिए? यदि हां! तो इसका सही विकल्प क्या है?

धनबल कैसे रुके?

चुनावी खर्च कैसे कम हो? पैसा देकर टिकट लेना; पैसा देकर वोट हासिल करना कैसे खत्म हो? क्या इस दिशा में कोई उपाय किए गये हैं? क्या वे कारगर साबित हो रहे हैं? क्या सरकार द्वारा उम्मीदवार का खर्च वहन करने से यह संभव है? क्या उम्मीदवार की बजाय दल चुनने का सुझाया फार्मूला इसमें सहयोगी हो सकता है?

परिवारवाद कैसे रुके?

क्या परिवारवाद रुकना चाहिए? यदि हां। तो क्या इसके लिए राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र कायम करना एक कदम हो सकता है? क्या एक परिवार से एक ही सदस्य को चुनाव लड़ने की अनुमति से यह हो

सकता है? क्या एक परिवार के एक ही सदस्य को दल का पदाधिकारी का प्रावधान होने से कुछ नियंत्रण होना संभव है? क्या यह लोकतांत्रिक होगा?

यदि हां! तो क्या ऐसा करने की कमान चुनाव आयोग को सौंपी जानी चाहिए या और किसी संवैधानिक संस्था की जरूरत महसूस होती है? क्या पार्टी व्हिप जैसे कदम किसी भी दल के आंतरिक लोकतंत्र के खिलाफ व्यवस्था हैं? क्या इस पर रोक लगनी चाहिए?

अपराधियों का प्रवेश कैसे रुके?

जिन पर आरोप पत्र दाखिल कर दिया हो, क्या उन सभी की चुनाव में उम्मीदवारी प्रतिबंधित हो या इस में भी कुछ सीमा बनाई जानी चाहिए। जैसे यदि आरोप पत्र ऐसे अपराध के लिए दाखिल किया हो, जिसकी सजा न्यूनतम पांच वर्ष हो आदि आदि। क्या ऐसे प्रतिबंध पंचायत से लेकर हर स्तर के चुनाव पर होने चाहिए? क्या स्वयंसेवी, सामाजिक, सहकारी संगठनों में भी इनकी उम्मीदवारी पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? प्रतिबंध सिर्फ उम्मीदवारी के लिए होने चाहिए या ऐसे लोगों को मतदान व आम सदस्यता से ही वंचित किया जाना चाहिए?

चुनाव पश्चात् जनप्रतिनिधियों पर मतदाता का नियंत्रण कैसे हो?

क्या 'राइट टू रिकाल' इस दिशा में सही कदम है? इस कदम का कोई व्यापक दुष्प्रभाव तो नहीं है? क्या जनघोषणा पत्र इस दिशा में सहयोगी हो सकता है? यदि हां! तो जनघोषणा लागू करने के लिए चुने गये जनप्रतिनिधि को बाध्य करने के लिए किन संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होगी? ग्रामसभा से लेकर लोकसभा स्तर तक मतदाता परिषदों का संवैधानिक ढांचा बने। मतदाता परिषदें अपने-अपने स्तर पर अगले पांच वर्ष के काम व योजना तय करें और जनप्रतिनिधि तथा अधिकारियों को उस स्तर पर उसी योजना के क्रियान्वयन की इजाजत हो। मतदाता परिषदों को उनके इलाके में खर्च हुए हर पैसे के 'पब्लिक ऑडिट' का अधिकार हो। क्या यह व्यवस्था होनी चाहिए? क्या इससे लक्ष्य मिल जायेगा?

पांच वर्ष से पहले दोबारा चुनाव कराने की नौबत न आये। यह कैसे हो? क्या एमएमपीएस इसका उपाय है? क्या बहुदलीय सरकारों के स्थान पर एकदलीय सरकारें होनी चाहिए? यदि हां, तो कैसे हो? क्या राज्य और राष्ट्र स्तरीय दलों की मान्यता के लिए तय मानदंडों में बदलाव से यह संभव है? क्या एमएमपीएस से यह संभव होगा? क्या चुनाव पश्चात् गठबंधन पर रोक लगनी चाहिए? यदि हां! क्यों और कैसे?

क्या चुनाव में सीटों का आरक्षण होना चाहिए?

विवेकपूर्ण मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े? क्या मतदान से पहले और बाद जागरुकता के सतत् अभियान चलाने से बात बन सकती है? क्या नो कैंडिटेट वोट इसका सही उपाय है? क्या आवश्यक मतदान इसका उपाय है? क्या मतदान न करने वाले मतदाता को कुछ अति आवश्यक सुविधाओं से वंचित करके उसे मतदान के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? यदि हां ! तो किन-किन सुविधाओं से? विवेकपूर्ण मतदान के मद्देनजर क्या चुनाव की आचार संहिता लागू होने के दौरान उसके उल्लंघन के दोषी उम्मीदवार के साथ-साथ उससे निजी लाभ लेने वाले मतदाता को घूस लेने का दोषी मानकर दंडित किया जाना चाहिए?

क्या मतदान का वर्तमान तरीका और माध्यम ठीक व पर्याप्त है? क्या मतदाता की न्यूनतम उम्र ठीक है? एक साथ अधिसूचित चुनावों के लिए मतदान एक ही दिन में होने चाहिए या कई दिन में? मतदान के लिए मतदाताओं को एक ही दिन दिया जाना चाहिए या एक से ज्यादा दिन में किसी एक दिन आकर मतदान का विकल्प देने से कोई फायदा होगा? ■

बीस सूत्र

कैसे मूल्यांकन करें अपने जनप्रतिनिधि का?

1. क्या आपका जनप्रतिनिधि अपने पद की गरिमा व जिम्मेदारी समझता है?
2. क्या उसकी शिक्षा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पर्याप्त है?
3. क्या उसने अपने चुनाव के समय चुनाव खर्चों के लिए निर्धारित धन से अधिक धन का उपयोग तो नहीं किया?
4. उसकी आय के स्रोत क्या हैं?
5. क्या वह पैसे/शराब व दावतों के बल पर चुनाव जीता है?
6. क्या वह अपनी पद प्रतिष्ठा का प्रयोग अपने-अपने परिजनों, रिश्तेदार व दोस्तों के काम कराने के लिए तो नहीं करता?
7. क्या उसकी संपत्ति अवैध धन/भूमि व्यापार आदि में आश्चर्यजनक वृद्धि तो नहीं हो रही?
8. क्या वह स्थानीय हित व जनता की मांगों के लिए सरकारी अधिकारियों व सदन में आवास उठाता है?
9. क्या वह चुनावी व पार्टी खर्चों के लिए चेक द्वारा जनता से दान लेता हे अथवा नकद धन स्वयं या व्यापारियों, उद्योगपतियों द्वारा लेता है?
10. क्या वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के घर जन्म, विवाह आदि समारोह में नकद पैसे बांटता है? यदि हाँ तो उसके इन पैसों का स्रोत क्या है?
11. क्या उसने पैसे देकर तो टिकिट नहीं खरीदा था?
12. क्या चुनाव से पूर्व भी निरंतर जनता के सम्पर्क में रहता था और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष और अपनी प्रभावी भूमिका निभाता रहा?
13. क्या उसमें नेतृत्व के पर्याप्त गुण अथवा अपने पारिवारिक सम्बन्धों, धन, बाहुबल आदि के दम पर राजनीति में उतरा है?
14. क्या उसे सरकारी योजनाओं, उनमें आवंटित धन तथा जनता तक उसकी निरन्तर पहुँच की जानकारी है?
15. क्या उसने जनता की मूल समस्याओं और उनके समाधान की कोई रूपरेखा तैयार की है?
16. कहीं वह धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर तो वोट नहीं मांगता?
17. कहीं वह ठेकों में, सदन में मत देते समय तथा अपने द्वारा आवंटित विशेष निधि में कमीशन तो नहीं मांगता?
18. क्या वह अपने राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र की स्वायतता के प्रति संवेदनशील है और सामूहिक नेतृत्व, सबसे सलाह लेते हुए काम करना पसन्द करता है?
19. क्या वह कार्यकुशल व क्षमतावान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करता है तथा चमचागिरी व चापलूसी को अधिक महत्व देता है?
20. कहीं वह राष्ट्रविरोधी नीतियों व गुटों को तो परोक्ष समर्थन व सहयोग तो नहीं दे रहा है?